



ANNUAL REPORT F.Y. 2017-18





INDEX

S No.	Particulars	Page No.
1	Board of Directors	3
2	Notice of AGM	4
3	Chairman's Letter to Shareholders	5
4	Message from Managing Director	7
5	Director's Report	9
6	Report on Corporate Governance	28
7	Secretarial Audit Report	35
8	Extract of Annual Return	40
9	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	47
10	Independent Auditor's Report	74
11	Financial Statements for the year 2017-18	83
12	Comptroller and Auditor General Report	103



REGISTERED OFFICE:

Administrative Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph-0522- 2304011 Email. cslmrcl@gmail.com, Website: www.lmrcl.com

STATUTORY AUDITORS

M/s. D S Shukla & Co. Chartered Accountants, G F - 2 Ekta Apartment, 125, Chandralok, Aliganj Lucknow- 226024

INTERNAL AUDITORS

M/s. S.N. Kapur & Associates Chartered Accountants

SECRETARIAL AUDITOR

M/s Dileep Dixit & Company Company Secretaries

COMPANY SECRETARY

Pushpa Bellani

OUR BANKS

State Bank of India HDFC Bank Ltd.



BOARD OF DIRECTORS

Name	Designation
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, LMRC Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, (MoHUA) (Gol)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC
Shri Manoj Kumar	Nominee Director, Gol, Additional Secretary (D&C), Ministry of Housing and Urban Affairs
Smt. Jhanja Tripathy	Nominee Director, Gol Joint Secretary & FA, (MoHUA), Gol
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, Gol Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Pradeep M Sikdar	Nominee Director, Gol, ED/Sig.(Dev), Railway Board
Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Anil Garg	Nominee Director, GoUP Commissioner Lucknow Division
Shri Rajesh Kumar Singh	Nominee Director, GoUP Principal Secratary, Independence & Industrial Development Department, GoUP
Shri Ajay Kumar Shukla	Nominee Director, GoUP, Secretary Finance Department
Shri Mahendra Kumar	Whole-time Director Director (Rolling Stock & Systems), LMRC
Shri Ajai Kant Rastogi	Whole-time Director, Director (Finance) LMRC
Shri Sanjay Mishra	Whole-time Director, Director (Works & Infrastructure), LMRC



NOTICE

5th ANNUAL GENERAL MEETING LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

NOTICE is hereby given that the FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING of LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED will be held on 29th September 2018 at 5:30 PM at the Registered Office of the Company at Board Room, Ground Floor, Administrative Building Vipin Khand, Gomti Nagar Near Dr. Ambedhkar Samajik, Parivartan Sthal Lucknow 226010 to transacts the following business::

Ordinary Business:

- 1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended 31st March, 2018, the reports of the Directors and Statutory Auditors together with the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
 - **"RESOLVED THAT** consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded to approve and adopt the audited Financial Statements for the year ended on March 31st, 2018 along with Auditor's Report and Director's Report".
- 2. To fix remuneration of Auditors for the Financial Year 2018-19 and if considered fit, to pass with or without modifications, the following resolution as an ordinary Resolution:-
 - **"RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to fix the remuneration, out of pocket expenses, statutory taxes and other ancillary expenses of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2018-19"..

Notes:

- 1. The Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business as set out in the Notice is annexed.
- 2. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the meeting instead of himself / herself, and the proxy need not be a member of the company.
- 3. The instrument appointing the proxy, duly completed, must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting. A proxy form for the AGM is enclosed.

By Order of the Board of Directors

(Company Secretary)

Place: Lucknow Date: 27/09/2018

Registered Office:


Lucknow Metro Rail Corporation Limited Administrative Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh India - 226010



CHAIRMAN'S MESSAGE TO THE SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

It is my proud privilege to welcome you all to the 5th Annual General Meeting of your Company. The Director's Report and the Audited Accounts for the Financial Year 2017-18, the Statutory Auditor's Report along with comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to all of you and with your permission, I take them as read.





yearsperiod. It has earned the distinction of being the fastest ever Metro Rail Project undertaken in the Country. It is a matter of pridefor Company. On 5th September, 2017, Priority Section of Lucknow Metro Phase-1Aproject was opened to the public in the august presence of Shri Rajnath Singh, Honorable Home Minister, Government of India, Shri Ram Naik, His Excellency - the Governor of Uttar Pradesh, Shri Yogi Aditynath, Honorable Chief Minister, Uttar Pradesh, ShriHardeep Singh Puri, Honorable Union Minister for Housing and Urban Affairs and many other dignitaries. The inaugural ceremony was well attended by the people from the various cross sections of the society with great enthusiasm and alacrity. The entire city of Lucknow was in festive mood in welcoming their own Metro in the capital city of Uttar Pradesh.

After successful commissioning of the first stretch of the project, the Company is whole heartedly working hard to complete the entire North-South corridor of the Lucknow Metro Phase-1A project including the underground andthe elevated sections. The Company achieved simultaneous breakthroughs of the two tunnelson 28thApril, 2018 when TBMs namely 'Gomti' and 'Ganga' emerged out at the Hussain Ganj Metro station construction site, thereby completing the entire tunneling work on the project. Civil construction of the viaduct and the nine elevated stations are also progressing at afast pace. The Ballastless Track installation, Traction works, Architectural Finishing, Electrical & Mechanical works and other System installation works are also being undertaken in parallel to complete the project as per the stipulated target by 1st April, 2019.

The Company has always stressed on improving the processes and methods to enhance the speed of execution of the project. It is my pleasure to inform you that the physical progress of project is 85% and financial progress is 83% as on date.

You will also be happy to know that Government of Uttar Pradesh vide letter No. 38/8-7-8-18 Metro/2017 dated 11-1-2018 has approved the reconstitution of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC) - the existing 50:50 jointly owned company of GoI and GoUP- as a Single SPV for implementation of Metro Rail projects in various important cities of Uttar Pradesh and consequently rename it from **Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC)** to **Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRC)**. The Detailed Project Reports(DPR) for Kanpur, Agra and Meerut Metros are under process of approval by the Governments.

The tremendous emphasis by the Company on environmental and social aspects in delivering Lucknow Metro project is really commendable. As you know, Company has received accreditation for **ISO 14001: 2015 & OHSAS 18001: 2007** in recognition of the organization's integrated management system as per the international standards. All the eight stations of 'Priority Section' are certified ''Platinum Rated'' buildings by



the Indian Green Building Council (IGBC). Company has undertaken extensive environmental campaign during the World Environment Week wherein environmental awareness activities such as sapling plantation, talks on environmental issues, quiz and slogan writing competition to take positive environmental steps ahead in protecting nature and mother earth while implementing major infrastructure project like Lucknow Metro were organized. Company has also installed a fully automatic waste composting machine to collect and decompose the waste to produce good quality organic compost which is now being used for the extensive plantation and greenery activities undertaken by the Company in landscaping works along the central median below the Metro viaduct, at Metro stations and the Depot. The Company is further in process of getting certification for remaining stations of the project.

During these years, the Company has achieved many national and international awards in recognition of its commendable work in delivering the Lucknow Metro project. Recently, Lucknow Metro created history by becoming the first ever Metro Rail Corporation from India to bag the **International 'Royal Society For The Prevention Of Accidents' (RoSPA) Award** in Glasgow, United Kingdom, on 13th September, 2018. No other Metro Rail Corporation from India has ever been honored with this prestigious award.

Last year, the Company was conferred with a special award for "Best Urban Mass Transit Project" during the 10th Urban Mobility India Conference & Exhibition and CODATU XVII Conference held at the Hyderabad by Government of India on 6th November, 2017. The Company won the renowned **Dun & Bradstreet Infra Award, 2017** on 2nd November, 2017 in the Metro Rail category for completing and commissioning the 8.5 km "Priority Corridor" of the North –South Corridor (Phase 1A) project in a record time of less than three years.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere thanks for the goodwill and cooperation extended to the Company by the external funding institution European Investment Bank (EIB), various departments of the Government of India and Government of Uttar Pradesh in implementation of this prestigious project. I would also like to put on record my profound appreciation for the employees of LMRC for their dedication and hard work without which it would have not been possible to commence the revenue operation on the Priority Section in less than three years' time as well as making it possible to achieve the stiff targets within strict time frame maintaining high standards of safety and quality

Thanking you,

Sd/(Durga Shanker Mishra)
Chairman, LMRC
Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, GOI



MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

I take this privilege to welcome you all to the 5th year's AGM. Lucknow Metro will give a long haul answer for the transportation needs of Lucknow, the Capital city of Uttar Pradesh. Lucknow Metro will provide the ever predominant requirement for reasonable and quality public transport system in the city.

On 5th September, 2017, the 8.5 km Priority Section of Lucknow Metro Phase-1A project from Transport Nagar to Charbagh consisting of eight elevated Metro stations was opened to the public in the august presence of Honorable Home Minister, Government of India Shri Rajnath Singh, His Excellency the Governor of



Uttar Pradesh Shri Ram Naik, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Aditynath, Honorable Union Minister for Housing and Urban Affairs Shri Hardeep Singh Puri and many other dignitaries. By commencing revenue operation on Priority Section in less than three years period, Lucknow Metro has earned distinction of being the fastest Metro project ever undertaken in the Country. It has been a landmark achievement and has set new benchmark in Metro construction.

Works on the remaining stretches of 22.878 km North-South corridor are progressing at fast pace to complete it ahead of stipulated target of 1st April, 2019. Out of this, civil works for the 3.85 km underground section comprising three stations viz. Hussainganj, Sachivalaya and Hazratganj are almost complete along with all the six drives of tunnel boring machine. Work for the CCS Airport underground Metro station is also progressing at a fast pace. Along with it, works on balance elevated section with nine elevated stations are progressing well. Amausi elevated Metro station is complete with Architectural finishing and Electrical & Mechanical works.

LMRC has also started Track, Over Head Electrification (OHE) and power supply works for the balanced section along with other System works. Lucknow Metro is slated to fulfill its target of commissioning the whole North-South corridor from CCS Airport to Munshipulia before 1st April, 2019 and complete Lucknow Metro Phase-1A project within approved time frame.

To conserve energy and use renewable sources of energy, Lucknow Metro has taken many initiatives such as regenerative braking in the trains which will result in saving 30-35% traction energy, use of 1% criteria for underground stations in the air conditioning system, using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environmental Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) system for the underground stations etc.

Currently, Lucknow Metro has planned 1.5- 2MW solar energy under the RESCO model from the roof mounted photo voltaic cells on stabling and inspection sheds in Transport Nagar Car Maintenance Depot. Because of all these novel measures, society will be able to recover the entire investment cost on the project in just 5 years, Economic Rate of Return (EIRR) of the Project being 19.46%.

To create sustainable environment LMRC's Metro stations and Depot have been designed and built as 'Green' buildings in accordance with the standards of the Indian Green Building Council (IGBC). Apart from this, on the



occasion of the World Environment Day on 5th June, 2017, LMRC has been awarded International Organization for Standardization (ISO) 14001:2004 & Occupational Health & Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 certifications in recognition of the organization's compliances with international standards.

LMRC's "Centre of Excellence for Training" (CoET) situated at the Transport Nagar Car Maintenance Depot is also one of its kind in Uttar Pradesh – imparting specialised training on Metro technology. The freshly recruited staff of LMRC are being imparted rigorous training at this training centre. It will also be a great facility for initial and refresher training of Metro staff for all upcoming Metros in Uttar Pradesh as well as other Metros in the Country.

Lucknow Metro has ushered a revolution in bringing Mass Rapid Transit System (MRTS) in important cities of Uttar Pradesh. It is now a role model for other Metros that shall be coming up in various cities of Uttar Pradesh.

I sincerely thank our external funding institution European Investment Bank (EIB), Board of Directors, various departments of Government of India and Government of Uttar Pradesh as well as all the stakeholders for their unstinted support to the LMRC in achieving our targets.

I thank and compliment every staff of LMRC, General Consultants and Contracting agencies who have made these achievements possible by their continued hard work, dedication and commitment in timely completion of first stage of this project of extreme public interest in a very strict time frame to meet the commitment to the Government and people of Lucknow.

At the end, I would also like to thank the citizens of Lucknow for their overwhelming support to the project and seek their continued whole hearted patronage in future.

I would like to assure all of you and the people of Lucknow that a very small but extremely hardworking and professionally competent team of LMRC will leave no stone unturned in accomplishing tough targets ahead and make the City proud.

Thanking You

Sd/-(Kumar Keshav) Managing Director



DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

Your Directors have the pleasure in presenting the 5th Annual Report of the Company together with the Audited Accounts, Auditors' Report and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended on 31stMarch, 2018.

1. Financial Results and Performance

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31stMarch, 2018

(Rs. in Lacs)

Particulars	For FY 2017-2018	For FY 2016-2017
Total Income	7487.35	1850.65
Less: Operating Expenses	5650.94	3155.04
Less: Depreciation	4430.84	303.48
Less: Financial Expenses	82.64	1.00
Less: Exceptional Items	(216.54)	(49.36)
Profit (Loss) Before Tax	(2893.61)	(1658.23)
Add / (Less): Tax Expense	355.33	(239.22)
Net Profit (Loss) After Tax	(2538.28)	(1897.45)
Transfer to General Reserves	-	-
Profit Carried Forward to the Balance Sheet	-	-

Transfer to General Reserves:

The Board has not transferred any amount to the General Reserve.

Dividend for the Financial Year 2017-18

During the year under review i.e. FY 2017-18 company have losses, the Board of Directors do not recommend any Dividend on the Equity Shares of the Company.

2. Status of the Lucknow Metro Rail Project

The Company is a Joint Venture of Government of India (GoI) & Government of Uttar Pradesh (GoUP) for implementation of Lucknow Metro Rail Project as an Integrated Rapid Mass Public Transport System in Lucknow. It is a 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) of Government of India (GoI) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) and incorporated under the Companies Act 1956.



3. Project Status of Phase IA

The 8.5 km "Priority Corridor" of the North-South Corridor (Phase 1A) is already operational for public services with effect from 5th September, 2017. The civil work of the remaining stretch of 14.378 km is going at a rapid pace to finish the job well ahead of the target.

Out of this, the civil work for the 3.67 km underground section comprising the Hussainganj, Sachivalaya and Hazratganj route is almost complete. Work for the

Chaudhary Charan Singh Airport Underground Metro station is also progressing at a fast pace.

Company has also started laying tracks and the work of the Over Head Electrification (OHE) for providing power supply to the Metro trains for the balanced elevated corridor from KD Singh Babu Stadium to Munshipulia. The Civil work for the Amausi Metro station is complete with the finishing and the Electrical & Mechanical works going at present.

Lucknow Metro is slated to commission the whole North-South corridor (Phase 1A) from Chaudhary Charan Singh Airport to Munshipulia by April, 2019.



Transport Nagar Metro Stationa

4. Company Creates History – Inaugurates Metro in less than three years by commencement of Revenue Operation

On 5th September, 2017, Lucknow Metro created a history by inaugurating Metro for commercial services in less than three years. It has earned the distinction of being the fastest ever Metro Rail Project execution in the country. It is a matter of gratification for the Board of Directors of your company to report that the Priority Section 1A of Phase I, from Transport Nagar to Charbagh with a section length of 8.5 kms and 8 stations, was inaugurated by the Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh on 5th September 2017, in



Inauguration for Commercial Services of Lucknow Metro Train for Priority Corridor (Phase-1A) on 5th September, 2017



the august presence of His Excellency, the Governor of Uttar Pradesh, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, the Honorable Union Minister for Urban Housing and Urban Affairs, and many other dignitaries. The inaugural ceremony was well attended by the people from the various cross sections of the society with great enthusiasm and alacrity. The entire city of Lucknow was in a festive mood in welcoming their Lucknow Metro; the first Metro Rail Project in the State.

The 8.5 km "Priority Corridor" of the North – South Metro Corridor (Phase 1A) between Transport Nagar & Charbagh consisting of eight elevated Metro stations. It's been a landmark achievement in the history of Metro Rail Project execution in the country which has set a new benchmark in Metro construction in India.

Lucknow Metro is the first Metro in the country which has tied up with Radio City 91.1 FM and launched its very own FM Radio. It is now providing specialized content, public announcements, jingles and melodious music at all Metro stations for the commuters of Lucknow Metro. In order to provide a push to

government's 'Digital India' campaign and an extended benefit for the Metro commuters, Lucknow Metro started providing free Wi-Fi facility to its 'Go Smart' card users at all its operational Metro stations. Your Company has also taken up various initiatives to make its station facilities for differently able person.

The Priority Section –1A section was opened to the general public on 6thSeptember 2017. A robust system of receiving public enquiries and feedback has been established from the first day of operations. A Passenger Helpline was also started and mechanism of recording written feedback has also been put in place at stations. Public has shown considerable enthusiasm in sharing their feedback about the system. An efficient mechanism for addressing public complaints has also been put in place. The helpline is increasingly becoming the one-point contact for the people of Lucknow with LMRCL. Your Company also believes in social & economic inclusion and has involved.



Shri DurgaShanker Mishra, Secretary, (MoHUA), Gol delivering speech during the Metro Diwas Celebration on 5th September, 2018

5. Status of Underground Metro Stations Work

Starting the underground civil work on 1st August, 2016 from the Sachivalaya Metro Station site, LMRC has completed the civil work for the 3.67 underground Metro stretch comprising the Hussainganj, Sachivaalaya and Hazratganj Metro stations in less than two years though it requires different kind of construction work for various Metro lines and stations. The total length of the 5.8m dia tunnel from Sachivalaya underground Metro station to Hazratganj underground Metro station is 811m.



Work of Rigid Overhead Conductor System (ROCS) Inside Metro Tunnel Between Sachivalaya and Hazratganj.



The Company has achieved two tunnel breakthroughs – one after the other – on 7th & 8th May, 2018 when TBMs namely 'Gomti' and 'Ganga' emerged out at Hazratganj Metro construction site after breaking the wall. With the completion of this drive, Lucknow Metro has successfully completed tunneling work between Hazratganj which constitutes about 75% of the total scope of tunneling which has been planned to be carried out between Charbagh to Hazratganj.

6. Rolling Stock

The rolling stock for Lucknow Metro Rail Corporation consisting of 80 cars for 20 trains and Train Control & Signalling System for Lucknow Metro Phase-1A has been supplied by a Consortium of ALSTOM Transport India Ltd, Bangalore & ALSTOM Transport SA, France. The trains were supplied within a very tight schedule of 64 weeks in one of the shortest period known for trains supply after placing an order. The Company has the credit of completing the signalling trials and RDSO conducted Oscillation trials within the shortest known period in India to ensure fastest



The LMRC Team with Managing Director, during the unloading of 20th Rolling Stock (Metro Train)

commissioning of a metro project within three years of start of construction.

These state of the art trains designed in France are manufactured in India by ALSTOM Transport India Ltd in their plant near Chennai while Train Control & Signalling System will be supplied by ALSTOM Transport SA, France.

MRTS proposed in Lucknow is characterized by short inter-station distance of about one km between the stations, having design speed of 90 kmph & schedule speed of 32 to 35km per hour including dwell time/stoppage of 30 seconds per station and design headway of 100 second.

LMRC trains are energy efficient, reliable and better comfort to passengers in terms of riding quality, lower-noise level and environment friendly. The body shell of cars made of stainless steel are lightweight. The highly energy efficient Trains are with regenerative braking to feed theenergy back to overhead electrical energy system during braking. All systems in the train are monitored & selectively controlled by a microprocessor based Train Control & Management System (TCMS).

7. Lucknow Metro Starts Construction Work of Receiving Sub Station (RSS) At Mahila Polytechnic, Munshipulia

Lucknow Metro started the construction work of state-of-the-art 220kV/33kV/25kV Receiving Sub Station (RSS) cum Auxiliary main Sub Station cum Traction Sub Station at the Mahila Polytechnic, Munshipulia on 8th December, 2017. This sub-station will feed power to the entire 22.878 km long North - South Corridor (Phase 1A) from the Chaudhary Charan Singh Airport to Munshipulia. This RSS is designed to feed 25kV traction power and 33kV auxiliary power to the entire Metro corridor of Phase 1A of the Lucknow Metro Rail Project



8. Signalling, Train Control, Lifts & Escalators

The state of art signalling system based on "Communication based Train Control" (CBTC) with Continuous Automatic Train Control System (CATS) has been supplied. The main features of Train Control & Signalling system for Lucknow MRTS are Automatic Train Protection (ATP) with Cab Signalling with Track to train communication through Coded Audio Frequency Track Circuits, Automatic Train Operation System (ATO), Automatic Train Supervision System (ATS) with Automatic Route Setting and Automatic Train Regulation.

The trains run in between stations automatically with minimum intervention of Train driver with the provision of Automatic Train operation system which also ensures that the train achieves timely, accurate and smooth station stops or stopping ahead of a restrictive point. The Automatic Train Supervision system ensure automatic management of train movement by Automatic Route setting and Automatic Train regulation by supervising the train movement continuously and optimizing the train movements in case of abnormalities.

The work for Telecommunication System has been awarded to M/s L & T. The design for the entire corridor has been finalized. For Priority Section all major materials and Signalling & Telecommunication equipments are installed.

The work for Escalators for Phase-1A i.e. North south corridor has been awarded to consortium of Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co. Ltd., China & Stone India Limited, India. The work for Lifts for Phase-1A i.e. North south corridor has been awarded to M/s Johnson Lift Pvt. Ltd. All the Escalators & Lifts of priority section were commissioned before ROD of the section and at present these are in public use. Delivery of Lifts and Escalators for balance section is in progress.

9. Automatic Fare Collection System

System (AFC) under an innovative implementation model. In this business model, a consortium led by HDFC Bank bears the capital and maintenance cost of the implementation of the AFC system for 12 years. HDFC Bank will also issue co-branded smart cards of EVM standards, which can be used as tickets for Lucknow Metro and assorted value cards at other Points of Sale (PoS). The smart card was officially launched during the inaugural ceremony of Lucknow Metro. AFC equipment, both on site and on cloud has been installed and commissioned for



Automatic Fare Collection (AFC) System at Metro station

the first 8 stations from Transport Nagar to Charbagh. AFC system has been working satisfactorily since the opening of the section for revenue operation. Some of the salient features of the AFC system are:

- Use of QR coded tickets for transit.
- EVM standard Contactless Smart Card for transit operation.



Your Company is also in process of implementing an open-loop mobility card for ticketing solution, which will be valid across various modes of urban public transport that will enable customers to purchase tickets for transit as well as to effect other non-transit payments.

Your Company has developed an App for Lucknow Metro. This will provide a digital environment driven by transportation systems where passengers can avail customized value-added services

10. Alternate Revenue Initiatives

With a view to shore up its bottom line, your Company is exploring ways to leverage the indirect beneficiaries and other sources for alternate incomes. The avenues for non-fare box revenue has been identified and explored and includes the following:

- Advertisements
- Commercial Development & Rentals
- Property Development
- Leasing of Optic Fiber Cables
- Leasing of tower spaces
- Parking

Company is getting revenue from advertisement, Commercial Development & Rental parking and leasing of tower spaces.

11. Connectivity Initiatives

Various efforts are being initiated by your company to further improve the transportation infrastructure in the city. In terms of its project sanction conditions, your Company has also been mandated to pursue the integration of various modes of transport and support for Lucknow City. To realize this vision, your Company has initiated several steps and conceived projects well beyond the construction of the Metro Rail. For this company has hired the services of E rickshaw as last mile connectivity selection of preferred partner / operator of first and last mile connectivity to and from metro stations, for this company has given the contract to M/s Kinetic Green Energy and Power Solutions Ltd to provide a better connectivity with various metro stations.





Visit of Government Delegation of Indian Ambassadors/High Commissioners during their visit to Lucknow Metro Depot



12. Execution of Metro Projects in various cities of Uttar Pradesh

The GoUP vide letter No. 38/8-7-8-18 Metro/2017 dated 11-1-2018 has approved the reconstitution of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC) the existing 50:50 jointly owned company of Gol and GoUP as a Single SPV and recommend to change the name of the company as Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRC) for implementation of various Metro Rail projects in various important cities of State of Uttar Pradesh.

The detailed project report (DPR) of Kanpur, Agra and Meerut Metros are in under process for approval of Government of India.



LMRC 's Photo Exhibition'Metro Diwas' on 5th September, 2018at Transport Nagar Depot

13. Workshop cum Maintenance Depot

The Company Workshop cum Maintenance Depot of the North-South Metro corridor (Phase 1A) is constructed at 32nd Battalion, P.A.C. campus, Transport Nagar Lucknow in approximately 52 acres of land. The Depot have world class modern state-of-the-art facilities at Workshop Cum Inspection Bay Lines, Stabling Yards, Automatic Train Wash Plant, Depot Control Centre, Receiving Sub-Station (RSS), Training Centre (Centre for Excellence for Training) and other facilities. This Depot is going to be Pioneering Depot of LMRC and is first of its kind in Uttar Pradesh.



Managing Director, Delivering Motivational Speech at CoET, Transport Nagar Metro Depot



14. Centre of Excellence for Training (CoET) at the Transport Nagar Metro Depot

The LMRC's Centre of Excellence for Training (CoET)has started to function from a new specialized building from 29th March, 2017. This building has been constructed inside the premises of the Transport Nagar Metro Depot and has been equipped with state-of-the-art Metro training facilities to train fresh recruits to LMRC. The center has capacity to cater the training needs of all upcoming metros in Uttar Pradesh. The main facilities include CBT Class rooms, Desktops Simulators, Motion Simulators and state of art library. CoET has seven state of art classrooms capable of imparting training to 300 plus trainees.

To improve soft-skills for excellent client service CoET conduct regular courses on communication and soft skill with reputed institutions like Amity Business School, Luckow; Regional English Language Office US Embassy and other reputed free-lance trainers.

It will be a role model for all other upcoming Metros in other important cities of the State like Kanpur, Varanasi, Meerut, Agra, Allahabad and Gorakhpur.

15. LMRC Installs Automatic Waste Composting Machine at Depot; Takes a Step Ahead Towards Maintaining a Cleaner & Greener UP

It is yet another step ahead taken by LMRC towards maintaining a cleaner and greener Uttar Pradesh. This machine will decompose the waste and will produce good quality organic compost which can be used in the Depot for the vegetation, plants and greenery for their optimal growth.

This fully automatic waste composting machine will be fed with the Depot canteen kitchen waste, depot garden waste and tobacco products collected from commuters while frisking them at Metro stations. In turn, the machine will give good quality of organic compost after eight days of decomposition cycle.



Automatic Waste Composting Machine at Depot

16. OHE Mast Erection Between Transport Nagar and Chaudhary Charan Singh Airport Metro Stretch)

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) has started the work for installing 25 KV overhead traction between the Transport Nagar and the Chaudhary Charan Singh Airport Metro station stretch on 5th August, 2017. For this, Over Head Electrification (OHE) masts are being erected successively on the elevated viaduct between this stretches.

The OHE mast erection is being done simultaneously with the installation of U-Girders in the section. It is being done to expedite the process and complete it early.

Installation of conductor rail of Rigid Overhead Catanery System (ROCS) has also been started in the underground tunnels simultaneously.



17. Safety

LMRC is fully prepared with highest safety and security norms and for this the company has undertaken various safety awareness campaigns for its staff, commuters, general public and contractors' employees working with us. Project, safety training has been made mandatory for all contractors' workers and site staff. Competence Assessment based training has been organized on key trades like Lifting Engineers, Scaff olders, Drivers & Operators, Pick and Carry Crane Operators etc.

All stations of the Priority section have installed the CCTVs, detectors, scanners, metal detectors etc. to monitor Metro Stations for 24 Hours. All the Metro Stations of the Priority Section are earthquake resistant and have been designed to sustain seismic force.

Priority section's 8 stations and train depot has been certified as per ISO 14001 and OHSAS 18001, Lucknow Metro is in process of getting certification for the remaining section of the project phase 1A. The Company is also under process to certified for ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 for operations.

> Celebration of National Safety Day (4th March, 2018):

On 4th March every year Company observes a National Safety Day for the entire Lucknow Metro Rail Project and to create more awareness among staff, engineers, and agencies staff and workers observed for the entire week and organized Training Program on Heavy Lifting and material handling to LMRC engineers and agencies' staff, Quiz and slogan competition, Behavior Based Safety Program and Awards and Prize distribution to Best Safe Contractor award, Housekeeping awards, Safe Erection Awards



Pledge Ceremony on National Safety Week

> Celebration of World Environment Day (5th June, 2018):

World Environment Day is the biggest annual event for positive environmental action and takes place every 5 June. World Environment Day is a day for everyone, everywhere activities were performed as part of the celebration includes Sapling Plantation in Transport Nagar Train Depot, LMRC, Environment Awareness Training imparted to LMRC Employees by Programme Director, Centre for Environment Education with Quiz competition among the LMRC employees were conducted to raise awareness about environmental issues, Slogan and Poster making competition was conducted to encourage participation in conservation of environment and Award and Certificates were awarded to winner of various competition.

> Solar Initiative Milestones:

LMRC has installed 1 MWp capacity of solar panels on the roof of its Workshop Cum Inspection Bay and rooftop of Stabling line shed at the Transport Nagar Metro Depot which is producing electricity for usage in the Depot, Metro Stations and at other Metro utilities with effect from 14th March, 2018. This solar project has been commissioned by LMRC under the RESCO model without investing any public money.

Solar Panels of 10 KW capacity has also been installed at the roof of Transport Nagar Receiving Sub Station (RSS) at the Transport Nagar Metro Depot for meeting out the operational power requirements of the RSS.






Solar panel at the Roof of Metro's Registered Office

Solar panels of 12 KW capacity have also been installed at the roof of the Lucknow Metro's Administrative Building at Vipin Khand, Gomti Nagar. These are also operational and the office is already saving a substantial amount on the electricity bill on account of this.

Apart from these solar initiatives, Lucknow Metro has taken several energy conservation measures such as use of regenerative braking in the trains which is resulting in saving of 30 to 35 per cent traction energy thereby resulting in reduction in emission of Green House Gases



Exterior View of Metro station

(GHG), use of 1% criteria for underground stations in the air-conditioning system for the stations, using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environment Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) system for the underground section etc.



18. Awards & Accolades for Lucknow Metro Rail Corporation Limited

- On 5th June, 2017, Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) was awarded with the International Organization for Standardization (ISO) 14001: 2004 & the Occupational Health & Safety Assessment Series (OHSAS) 18001: 2007 certificates in recognition of the organization's integrated management system
- On 2nd November, 2017, Company won the renowned Dun & Bradstreet Infra Award, 2017 in the Metro Rail category for completing and commissioning the 8.5 km "Priority Corridor" of the North –South Corridor (Phase 1A) project in a record time of less than three years.
- On 6th November, 2017, Company was conferred with a special award for its commendable initiative in the category of "Best Urban Mass Transit" for the 'Lucknow Metro Rail Project Phase 1A (North – South Corridor)' in10th Urban Mobility India Conference & Exhibition and CODATU XVII Conference held at the Hyderabad International Convention Centre (HICC), Hyderabad (Telangana).
- ➤ On 1st February, 2018 Lucknow Metro was awarded for adopting 'Green Initiatives' at the 'Smart City Summit' at Gurugram (Haryana) for implementing a green mode of urban transport in the capital city of Uttar Pradesh.
- On 18th February, 2018, Lucknow Metro was also awarded with the renowned ET Now CSR Leadership Award, 2018 under the "Smart Transport Initiative" for undertaking and implementing Lucknow Metro – one of the smartest transport initiatives of the Government.
- On 23rd February, 2018, Company won the 'Technology Sabha Award, 2018' in the Wireless Category for linking Wi-Fi services with its 'GoSmart' Card. by the Indian Express Group during the 23rd edition of the Technology Award at Indore, Madhya Pradesh. Lucknow Metro's underground project executed by M/s TATA-Gulermak JV is awarded with the highly acclaimed "RoSPA Silver Award" on 5th July, 2018 for the health and safety performance during the period of January 01, 2017 to December 31, 2017 by the Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)



Best Employee Award







19. Indian Green Building Council (IGBC) Certifies LMRC a Green Metro Rail System; Awards Platinum Certification to All Its Eight Stations

The Indian Green Building Council (IGBC) – one of the apex body in India to rate and certify a system as a 'Green' system – has certified LMRC a "Green Metro Rail System", thereby, awarding platinum certificate to all its eight Metro stations on the 'Priority Corridor' from Transport Nagar to Charbagh on 31st August, 2017.

Platinum certificates and plaques for 8 stations of the priority corridor. This is highest green rating for any civil structure or building which has been awarded to LMRC. It is yet another major milestone that has been achieved by LMRC. It is worth mentioning here that Lucknow Metro has been certified a 'Green Metro Rail' much before the start of its commercial services.

With this LMRC becomes the 1st government entity in Lucknow region and 1st one in Transport sector in U.P. to attain Indian green buildings council's Platinum certificate.

20. Share Capital

Your Company has received Rs. 639.00 Crore towards equity during the year from the Government of India and Government of Uttar Pradesh. The total paid up Share Capital as on 31st March 2018 is Rs. 1581.65 Crore. As per the financing pattern approved from Government of India, Rs. 3502 crores are to be arranged through Foreign Funding Agency. EIB (European Investment Bank) has agreed to Finance EURO 450 Million. The Finance Contract for Tranche A of EURO 200 Million was signed on 30.03.2016 and Finance Contract for Tranche B of EURO 250 Million was signed on 31st March, 2017. Gol disbursed Rs. 981 Cr. to LMRC in FY 2017-2018.



Yoga Training for employees

21. Human Resource

The Management of LMRCL always feels that motivated, contented and satisfied workforce is the key for the successful achievement in its organizational goals. Keeping this objective in view, the Company is giving paramount importance for human resource development and realization of its potential. The employer-employee relationship continues to be cordial throughout the year and LMRCL was able to meet the targets. The Company's employment practices are aligned to attract and retain talent.

As on 31st March 2018, the employee strength of the Company was 454 (321in Project and 133 in Operations & Maintenance). In view of the approaching deadline for completion of construction activities for North South Corridor and the subsequent revenue operations, the intake of manpower and their competency building is in progress. LMRC has been imparting regular trainings and organize various programmes, workshops, etc. for its employee's regular development.

The guidelines issued by the GoI & GoUP from time to time with regard to reservation for SCs/STs/PH/OBCs/ PWD/Women/ESM in recruitment are being followed.

22. Corporate Social Responsibility

LMRC CSR policy is aimed at demonstrating care for the community through its focus on education and skill development, health & Wellness and environmental sustainability including bio diversity, energy and water conservation. Also embedded in this objective is support to the marginalized cross section of the



society by providing opportunities to improve their quality of life. The projects undertaken will be within the broad frame work of schedule VII of the Company Act 2013.

The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the Board of Directors comprises of Shri Nitin Ramesh Gokarn, Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department, Shri Ajai Kant Rastogi, Director (Finance), Shri Mahendra Kumar (Director RS & S)

During the year under review Company does not have any CSR liability on account of the losses in previous three financial years. Accordingly, company has not undertaken any CSR activity during the current year.

23. Prevention of sexual harassment at workplace

Lucknow Metro is committed towards for providing a safe working environment to its female employees. In this regard, a lecture on gender sensitization has been included in the induction training curriculum to inculcate the culture of righteous behavior among new recruits.

The Company has a policy on prevention of Sexual Harassment at Workplace. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 consisting of the following members to look into the cases pertaining to sexual harassment of women and to facilitate a safe working environment free from sexual harassment.

Composition of the Internal Complaints Committee:

 Ms. Pushpa Bellani - Presiding Officer
 Ms. Deepti Agarwal - External Member (Practicing Company Secretary)

Shri S.A. Raza
Ms. Manju Lata
Member
Member

one case of sexual harassment reported during the year under review and till this date the case has been reported and disposed off.

24. Training

During the year under review O&M employees have been imparted various training matched to their position, group and department, at Training Institute. Training Institute also conducts various Management Development Programme and Training Programme on Signalling, Train Control System, Fare Collection System and Ballast less Track for O &M staff. The Training Institute has been imparting customized training programmes in the field of Construction, Operations, Maintenance and Customer Care.





Training of Employees at Amity University



25. Right to Information

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total 91 RTI applications and appeals were processed during the year.

26. Vigilance

The Vigilance Department in the Company is headed by the Chief Vigilance Officer, who reports to Managing Director, Lucknow Metro. The Vigilance Unit follows the Central Vigilance Commission guidelines, extant internal guidelines concerning the business and affairs of the Company. Prevention rather than punitive action is the sole thrust in the preventive checks. Outcome of the checks is carefully drafted into system improvement circulars for plugging the loopholes.

27. Fixed Deposit

The Company has neither invited any deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 nor accepted or received any deposits from the public.

28. Particulars of Employees

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(12) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are not applicable.

29. Board of Directors

As on the date of this report, the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited comprises of 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh and 3 are Functional Directors. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director is a nominee of the Government of Uttar Pradesh. A detailed note on the Board of Directors is provided under the section 'Corporate Governance Report'.

30. Number of Meetings of the Board

During the financial year under review, the Board of Directors of the Company met 4 times, on the 22nd May, 2017, 1st September, 2017, 6th January, 2018, 9th February, 2018

31. Committees of the Board

The Board has constituted various committees of board in commensurate with the size and nature of the operations of your Company and legal provisions. These are the Audit Committee & the Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Nomination Remuneration Committee, Sexual Harassment Committee. Each of these sub-Committees has clearly spelt out Terms of Reference which is duly approved by the Board. These committees meet according to the requirements of your company from time to time. The details of the committees of the Board are provided under the section 'Corporate Governance Report'.

32. Directors' Responsibility Statement

In compliance with section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts, the applicable Indian Accounting Standards had been followed along with proper explanations for material departures;
- the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments



and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;

- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors had prepared the annual accounts on a going-concern basis;
- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and are operating effectively.

33. Declaration by Independent Directors

The Company has no Independent Directors on its Board presently, as the Government Company is exempted from appointment of Independent Directors in the Board of the Company.

34. Extract of the Annual Return

The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013 is available on the website of the Company, link of which is given as under:

http://lmrcl.com/resource/downloads/

35. Particulars of loans, guarantees and investments

During the year under Report, the Company has not:-

- a. given any loan to any person or other body corporate;
- b. given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- c. Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act 2013.

36. Related Party Transactions

During the year under report, the Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

37. Material changes and commitments

There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, that have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

a) Waste Management:

LMRC considers today's waste as tomorrow's raw material. The aim is to minimize waste generation and to recycle the waste. The following measures have been adopted to identify and recycle waste:

- a. 100% waste segregation is ensured at sites.
- b. The waste paper is being recycled into useful office stationery through an outsourced agency.
- c. Training and awareness on minimization of waste generation at source itself.

b) Water Management:

Lucknow Metro is very much concerned with water conservation in construction and operation & maintenance activities. Concerted efforts are being made to reduce water consumption. The following initiatives have been taken:



- a. Rain water harvesting structures have been installed at stations, depots, residential colonies, along viaduct, etc.
- b. Reuse of Effluent Treatment Plant/Sewage Treatment Plant treated water.
- c. Using sewage water and Reverse Osmosis reject relaying of pipe work and use of low flow plumbing
- d. Use of efficient dual flush toilets and use of lower capacity flushing tank for toilet, encouraging waterless urinals
- e. Encouraging mopping for station cleaning instead of washing

c) Conservation of Energy:

Lucknow Metro is taking several energy conservation measures, such as, the use of regenerative braking in the trains which will result in saving of 30 to 35 per cent traction energy, thereby resulting in reduction in emission of Green House Gases (GHG), using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environmental Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) for the underground station etc.


Currently, 1MWpcapacity roof mounted photo voltaic cells installed on train stabling shed and inspection line sheds has been commissioned by Lucknow Metro under the RESCO model. Because of all these novel measures, society will be able to recover the entire investment cost of the project in 5 years, its Economic Internal Rate of Return (EIRR) of the Project being 19.46%.

d) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year there were no foreign exchange earnings. The details of the Foreign Outgo as under

AMT. in INR

S.No.	Particulars	2017-18 (in lakhs)	2016-17 (in lakhs)
1	Contracts payments	22190	16618
2	Professional and Consultancy Fees	3468	1535
3	Tour, travel and others	15	32
4	Capital Goods	27100	Nil



Erection of 60 Meter Special Steel Span near Nishatganj over the main line Railway operational track



Directors and Key Managerial Personnel

Details of new Directors appointed and Directors ceased/retired during the year given below:

	Appointment during the year			Cessation/Retired during the year			
S. No.	Name of the Director Appointed	Designation	Date of Appointment Ceased	S. No.	Name of the Director	Designation	Date of cessation
1.	Dr. Anup Chandra Pandey	Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Department, GoUP	27/03/2018	1.	Shri Rama Raman	Principal Secretary, Ind. Dev. GoUP	12/04/2017
2.	Shri Manoj Kumar	Additional Secretary, D&CMoHUA	24/08/2017	2.	Shri Bhuvanesh Kumar	Commissioner, Lucknow	12/04/2017
3.	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP		3.	Shri Mukul Singhal	Additional Chief Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	16/03/2018
4.	Shri Vinay Kumar Singh	Managing Director, National Capital Region Transport Corporation	27/03/2018	4.	Shri Alok Sinha	Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Department, GoUP	16/03/2018
				5.	Shri K.K Saberwal	Director (Finance), DMRC	16/03/2018
				6.	Shri K.K Aggarwal	Executive Director (Plng), Railways	30/01/2018
				7.	Shri Daljeet Singh	Director (W&I), LMRC	31/10/2017
				8.	Shri Mukesh Mittal	Finance Secretary, GoUP	28/02/2018
				9.	Shri Rajiv Gauba	Secretary MoHUA, Gol	21/06/2017



38. Directors and Key Managerial Personnel

The Key Managerial Personnel of the Company are as follows:

- 1. Shri Kumar Keshav, Managing Director
- 2. Shri Mahendra Kumar, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- 3. Shri Ajai Kant Rastogi, Whole Time Director (Finance) and CFO
- 4. Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- 5. Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

Remuneration and other details of the Key Managerial Personnel for the financial year ended on 31st March, 2018 are mentioned in the extract of the Annual Return

Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by Directors whose tenure ceased during the year. These Directors are Shri Rajiv Gauba, Shri Mukul Singhal, Shri Alok Sinha, Shri K K Saberwal, K K Aggarwal, Shri Rama Raman, Shri Bhuvanesh Kumar, Shri Mukesh Mittal.

39. Significant and Material orders:

No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the Company and affecting its operations.

40. Risk Management Policy:

Your Company is committed to identify potential risks before they occur so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed across the life of the project and to mitigate its adverse impacts on achieving the larger objectives for this your Company has identified the following specific areas for Risk Management:

- 1. to ensure that all the current and future material risk exposures of the Company are identified, assessed, quantified, appropriately mitigated, minimized and managed on time;
- 2. to ensure that high priority risks are aggressively managed and eliminated;
- 3. to ensure that all risks are cost-effectively managed throughout the project;
- 4. to promote information sharing at all levels of the management to make informed decisions on issues critical to the success of the project;
- 5. to ensure compliance with the appropriate regulations, wherever applicable.
- 6. Your Company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives:
 - Conducting quarterly internal audit by independent auditors; their observations are reviewed by the Audit Committee and corrective actions taken wherever found appropriate.
 - Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.

41. Internal Financial Control

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the



Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

42. Corporate Governance

Your Company adheres to impeccable Corporate Governance standards and pursues transparency, integrity and accountability in all its activities. A separate section entitled 'Corporate Governance Report' has been annexed to this report.

43. Auditors

a) Statutory Auditor

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 M/s D S Shukla & Co, Chartered Accountants were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) who shall continue in office till the conclusion of the next Annual General Meeting. Report of the Statutory Auditors forming a part here of has been annexed suitably.

b) Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s Dileep Dixit &Co., Practicing Company Secretaries, was appointed to conduct the secretarial audit of the Company for the year 2017-18. The report from the secretarial auditor and the explanations or comments to every qualification made by the Company Secretary in practice in his Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

c) Internal Auditor

M/s. S N Kapoor & Associates, Chartered Accountants, Lucknow, were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct Internal Audit and their report is reviewed by the Audit Committee from time to time.

44. Acknowledgement

The Board of Directors places on record their appreciation for the advice, guidance and support given by the various Ministries, Departments and Agencies of Govt. of India. and Govt. of Uttar Pradesh.

The Board of Directors expresses sincere thanks to European Investment Bank for providing loan to this project.

The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co-operation.

The Board of Directors wish to place on record appreciation for the hard work and commitment put in by the Company's employees at all levels due to which project targets are being achieved and train operations are going to be start. The Board also look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

For and on behalf of the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited

Place: New Delhi Date: 23.07.2018

Sd/-**Kumar Keshav** Managing Director DIN-02908695 Sd/-**Ajai Kant Rastogi** Director Finance DIN-07228424



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance policy of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRCL) is evolved from the philosophy of adherence to impeccable Corporate Governance practices by ensuring transparency, accountability and standards of fair dealing and ethics for attaining its corporate objective of providing a safe, reliable, efficient, viable and customer-friendly Metro system for the city of Lucknow. LMRCL pursues the highest standards of ethics and maintains core values of integrity and trust in the entire arena in which it operates.

In the performance of its functions, LMRCL is guided by the CVC guidelines, the Articles of Association (AoA) of the Company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable accounting standards, regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act 2005 and Rules made there under. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc. are appropriately complied with.

1. Board of Directors

1. Composition of the Board of Directors

As on the date of this report, the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited comprises of 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh and 3 are Functional Directors. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director, is a nominee of the Government of Uttar Pradesh.

The Composition of the Board as on 31.03.2018 is as follows:

Name	Designation	
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)	
Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC	
Shri Manoj Kumar	Nominee Director, GOI Additional Secretary (D&C), MoHUA	
Smt. Jhanja Tripathy	Nominee Director, GOI Joint Secretary & FA,MoHUA	
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GOI Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited	
Dr. Anup Chandra Pandey	Nominee Director, GoUP Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industri Department, GoUP	
Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	
Shri Anil Garg	Nominee Director, GoUP Commissioner, Lucknow	



Shri Mahendra Kumar	Whole-time Director Director (RS&S), LMRC
Shri Ajai Kant Rastogi	Whole-time Director Director (Finance), LMRC

During the period under report, the following Directors were inducted based on nomination received from Government of India and Government of Uttar Pradesh are:

- 1. Shri Manoj Kumar
- 2. Dr. Anup Chandra Pandey
- 3. Shri Nitin Ramesh Gokarn
- 4. Shri Vinay Kumar Singh

2. Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by following Directors whose tenure ceased during the year under review;

Name of the Director Ceased	Designation	Date of cessation
Shri Rama Raman	Principal Secretary, Ind. Dev. GoUP	12/04/2017
Shri Bhuvanesh Kumar	Commissioner, Lucknow	12/04/2017
Shri Mukul Singhal	Additional Chief Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	16/03/2018
Shri Alok Sinha	Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Department, GoUP	16/03/2018
Shri K.K Saberwal	Director (Finance), DMRC	16/03/2018
Shri K.K Aggarwal	Executive Director (Plng), Railways	30/01/2018
Shri Daljeet Singh	Director (W&I), LMRC	31/10/2017
Shri Mukesh Mittal	Finance Secretary, GoUP	28/02/2018
Shri Rajiv Gauba	Secretary, MoHUA, Gol	21/06/2017

The Board of Directors of the Company comprises professionals with proven administrative and execution capabilities, committed to the objective of the company, who collectively direct the affairs of the Company.

3. Board Procedure

Board Meetings are conducted regularly for critical evaluation and review of the performance of the Company and for ensuring effective implementation of management decisions. The Company has streamlined a procedure for holding the Board and its Committee Meetings, as explained below: -

Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings:

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at short notice. The Board also



passes Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

The agenda papers are prepared by the Heads of Departments concerned and submitted to the Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information, are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings.

In special and exceptional circum stances, additional or supplementary item(s), not on the agenda are taken up for discussion with the permission of the Chair. The Board is also informed of major events/items of approvals taken whenever necessary. The Managing Director at the Board Meetings keeps the Board apprised of the overall performance of the Company. Board are view of the status of actions taken on the directives of the Board in earlier meetings also forms a part of the agenda.

The members of the Board have complete access to all information of the Company.

Also, the Board meetings are conducted in line with the Secretarial Standards-1.

Briefing by the Managing Director:

At the beginning of each meeting of the Board, the Managing Director briefs the Board members about the key developments including the status of the project and other important achievements/developments relating to the Company in various areas.

Recording Minutes of proceedings at the Board meeting:

Minutes of the proceedings of each Board meeting are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the Board Meetings are submitted for confirmation at its next meeting after these are signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-committees of the Board are placed before the Board for its in formation.

Compliance:

The Heads of Departments, while preparing agenda notes ensure adherence to all the applicable statutory requirements including the provisions of the Companies Act 2013, the Articles of Association and the CVC guidelines.

The employees of the Company pursue the duties and responsibilities entrusted to them. They always maintain high moral standards and values in contributing to wards corporate functioning, and the appropriate and timely guidance from the management, helps them to discharge their duties effectively.

4. Meeting of share holders

The Fourth Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held on 1st September 2017 at registered office of the company at Lucknow

5. Board Meetings

During the year FY 2017-2018, Four Board meetings were convened and held. The attendance of each of the previous Directors and current Directors of the Company at the Board meetings held



during their tenure is as given below:

Sl.No	Name	No. of Meetings held in 2017-18 during the tenure of their Directorship	No. of Board meetings attended
1.	Shri Durga Shanker Mishra	4	4
2.	Shri Manoj Kumar	3	2
3.	Smt. Jhanja Tripathy	4	3
4	Shri K. K. Aggarwal	3	2
5	Shri K. K. Saberwal	4	4
6	Shri Mukul Singhal	3	3
7	Shri Alok Sinha	3	1
8	Shri Mukesh Mittal	4	2
9.	Shri Anil Garg	4	1
10	Shri Kumar Keshav	4	4
11	Shri Mahendra Kumar	4	4
12	Shri Ajai Kant Rastogi	4	4
13	Shri Daljeet Singh	2	2
14	Shri Rama Raman	0	0
15	Shri Bhuvanesh Kumar	0	0

Committees of the Board

The Board has constituted Five Committees, commensurate with the size and nature of operation of the Company. These are Audit Committee & Investment Committee, Sexual Harassment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Nomination remuneration Committee. Each of these committees has clearly spelt out Terms of Reference duly approved by the Board. These Committees meet according to the requirements of the Company from time to time.

a. Audit Committee:

The composition of the Audit Committee of the Company as on date is:

SNo.	Name of the Director	Designation	Date of appointment at Member of the Committee
1	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	27.03.2018
2	Shri Ajay Kumar Shukla	Member, Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh	02.05.2018



3	Smt. Jhanja Tripathy	Member, Joint Secretary & FA, MoUD	24.08.2017
4	Shri Mahendra Kumar Director (RS&S) LMRC	Member, Director (RS &S), LMRC	24.08.2017

On 24.8.2017 the Board of Directors has reconstituted the Audit Committee by replacing Shri Sada kant with Shri Mukul Singhal. On account of appointment of Shri Nitin Ramesh Gokarn in place of Shri Mukul Singhal on 27.3.2018, he has been appointed as Chairman of the Audit Committee. Shri Ajai Kant Rastogi, D(F) has been appointed in place of Shri Mahendra Kumar, Director (RS&S) LMRC. On account of superannuation of Shri Mukesh Mittal on 28.2.2018 Shri Ajay Kumar Shukla has been appointed as Nominee Director of the Company on 23.5.2018 accordingly he is also appointed as member of the Audit Committee.

The Committee met four times during the year under review.

Meeting No.	Date of Meeting
10th	20.04.2017
11th	18.05.2017
12th	28.08.2017
13th	06.02.2018

General Manager (Finance), Internal Auditors and the Statutory Auditors of the Company were also invited to attend the meetings of the committee. The terms of reference of the Audit Committee are as approved by the Board in accordance with the provisions of Companies Act 2013 and rule made thereunder

S No	Name of the Member of the Audit Committee	Meetings held in 2017-18 during the tenure of their Membership	Meetings Attended
1.	Shri Sada Kant	2	2
2.	Shri Mukesh Mittal	4	3
3.	Shri Ajai Kant Rastogi	2	2
4.	Smt. Jhanja Tripathy,	2	0
5.	Shri Mahendra Kumar, Director (RS&S), LMRC	2	2
6.	Shri Mukul Singhal	2	2

b. Investment Committee:

The composition of the Investment Committee of the Company is as follows as on date.

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Kumar Keshav, Managing Director Cha	
2.	Shri Mahendra Kumar, Director (RS&S) Member	
3.	Shri Ajai Kant Rastogi, Director (Finance) Member	



The Investment Committee met three times during the year.

S No	Name of the Member	Meeting held in 2017-18 during the tenure of their Membership	Meeting Attended
1.	Shri Kumar Keshav	7	7
2.	Shri Mahendra Kumar	7	7
3.	Shri Ajai Kant Rastogi	7	7

c. Corporate Social Responsibility Committee:

The Corporate Social Responsibility Committee of the Company was formed on 9-2-2018 and composition of the committee as on date as mentioned below:

S No	Name of the Member	Designation
1	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2	Shri Mahendra Kumar	Director (Rolling Stock & System), LMRC
3	Shri Ajai Kant Rastogi	Director (Finance), LMRC

During the year under review the CSR committee meeting has not been held.

d. Nomination & Remuneration Committee

The composition of the Nomination & Remuneration Committee of the Company as on date is:

S.No.	Name of the Director	Designation
1	Shri Mukul Singhal	Additional Chief Secretary, Housing & Urban Planning Department, GoUP
2	*Shri Nitin Ramesh Gokarn	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department, GoUP
3	Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC
4	Shri Ajai Kant Rastogi	Director (Finance), LMRC

^{*}On account of appointment of Shri Nitin Ramesh Gokarn in place of Shri Mukul Singhal on 27.3.2018, he has been appointed as Chairman of the NRC committee on 06.06.2018

During the year NRC committee met only once on 06.02.2018 and all the member of the committee attended the meeting.

2. Disclosures

a) There have been no materially significant related party transactions i.e., transactions of the Company of a material nature with its promoters, the directors or the management, subsidiaries or relatives etc.

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.

That may have potential conflict of interest with the interest of the Company at large.

- b) There were no cases of any statutory non-compliances by the Company or any instances of penalties imposed or structures against the Company by any Statutory Authority.
- c) There were no items of expenditure debited in the books of accounts, which were not for the purpose of the business of the Company.

3. Company's Website

The Company's website is www.lmrcl.com All major information pertaining to the Company, including the project, contracts, job recruitment processes etc are given on the website to disseminate timely information about all procurement of goods and services. The website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail project and other significant developments.

Address for correspondence:

Registered Office:

Administrative Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph-0522-2304011 Email. cslmrcl@gmail.com Website: www.lmrcl.com

> For and on behalf of the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited

Sd/-**Kumar Keshav**

Managing Director DIN-02908695

Sd/-**Ajai Kant Rastogi** Director Finance

DIN-07228424

Place: New Delhi Date: 23.07.2018



Annexure-I

Dileep Dixit & Co.Company Secretaries

Email ID: cs.dilipdixit@gmail.com Contact Nos.: +91 8354980010

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2017

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule no. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand, Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik, Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrcl@gmail.com

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Lucknow Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called "the company"). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Lucknow Metro Rail Corporation Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st Day of March, 2018** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Lucknow Metro Rail Corporation Limited ("the Company") for the financial year ended on 31st Day of March, 2018 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; (**Not applicable to the Company during Audit Period**)
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; (**Not applicable to the Company during Audit Period**)
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not applicable to the Company during Audit Period)



- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'); (Not applicable to the Company during Audit Period)
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (Not applicable to the Company during Audit Period)
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992; (Not applicable to the Company during Audit Period)
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (Not applicable as the Company has not made any public offer of securities during the period under review);
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999/Securities And Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (effective 28th October 2014) (Not applicable as the Company has not granted any options during the financial year under review);
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

 (Not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review);
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client- (Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review);
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable as the Company is not a listed entity) and
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998- (Not applicable as the Company has not bought back/propose to buyback any of its securities during the financial year under review);
- (vi) Other Miscellaneous and General laws to the extent as may be applicable specifically to the company). I further report that the following are the other laws specifically applicable to the Company;
 - 1. The Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978;
 - 2. Metro (Operation and Maintenance) Act, 2002
 - 3. Metro Railway Amendment Act, 2009

We further report that the applicable financial laws, such as Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed under my audit in its entirety as same falls under review of the statutory audit and by other designated professionals.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

ANNUAL REPORT 2017-18



Para wise Report on specific observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the applicable laws are provided in the "Annexure A" attached with this report (forming integral part of report).

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act and as per the orders issued by the concerned regulatory body and government in this regard.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in most of the meetings, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes of the meetings duly recorded and signed by the Chairman, the decisions of the Board were unanimous and no dissenting views have been recorded.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For M/s. Dileep Dixit & Co.

Sd/-Dileep Kumar Dixit

FCS No. 6244 C.P.No. 6770

Place: Lucknow Date: 20/07/2018

Annexure A

- 1. Observation of intervention of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings more particularly between 29th and 30th meeting of the Board conducted during the audit period pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013.
- 2. The Company has not approved the Corporate Social Responsibility Policy for the company neither discloses contents of such Policy in its report nor has place it on the company's website.

For M/s. Dileep Dixit & Co.

Sd/-Dileep Kumar Dixit FCS No. 6244 C P No. 6770

Place: Lucknow Date: 20/07/2018

Email ID: cs.dilipdixit@gmail.com

Contact Nos.: +91 8354980010



Dileep Dixit & Co.

Company Secretaries

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand, Gomti Nagar, Near DR Ambedhkar Samajik, Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrcl@gmail.com

Our Report of even date is to be read along with this letter.

- 1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- 2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company so far it is not concerned with our audit related matters.
- 4. Where ever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
- 6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For M/s. Dileep Dixit & Co.

Sd/-Dileep Kumar Dixit FCS No. 6244 C P No. 6770

Place: Lucknow Date: 20/07/2018



Comment on Draft Secretarial Audit Report of Secretarial Auditor of the Company for Fy 2017-18

Annexure	Comment	Reply
1.	Observation of intervention of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings more particularly between 29th and 30th meeting of the Board conducted during the audit period pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013	29th Board meeting was held on 1.9.2017 & 30th Board meeting was held on 6-1-2018. There was delay of 6 days on account of the calendar year ending, and due to pre occupied & unavoidable reasons, the members were not available for the meeting and hence the meeting could not be conducted within the stipulated days.
2.	The Company has not approved the Corporate Social Responsibility Policy for the company neither discloses contents of such Policy in its report nor has place it on the company's website	The Board has constituted the CSR Committee in the 31st Board meeting held on 09.2.2018. The CSR Committee in the meeting held on 13.7.2018 approved the CSR policy of the Company and recommend to the Board for approval. After obtaining approval of the Board the same will be placed on official website of the Company.

(Company Secretary)



Annexure-II

Annexure I to the Directors' Report FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended 31st March, 2018

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1) of the Company (Management and Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U60300UP2013SGC60836			
2.	Registration Date	25th November, 2013			
3.	Name of the Company	Lucknow Metro Rail Corporation Limited			
4.	Category/Sub-category of the Company	Government Company			
5.	Address of the Registered office & contact details	Administrative Building, Vipin Khand Gomti Nagar, Parivartan Sthal, Lucknow- 226010 Phone: 05222304010, Fax: Email: cslmrcl@gmail.com Website: www.lmrcl.com			
6.	Whether listed company	Not Listed			
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NA			

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

Sr.	Name and Description of Main	NIC Code of the	% to total turnover of the
No.	Products/ Services	Product/ Service	Company
1.	Mass Rapid Transit Services	99642108	

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and address of the CIN/GLN Company		Holding/Subsidiar/ Associate	% of share held	Application section
1.	Not	Applicable-			



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

a) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders		No. of share beginning [As on 31-A	of the year		No. of shares held at the end of the year [As on 31-March, 2018]				%Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	-	21260000	21260000	22.55%	-	65160000	65160000	41.20%	
c) State Govt(s)	-	73005000	73005000	77.45%	-	93005000	93005000	58.80%	
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A)		94265000	94265000	100%		158165000	158165000	100%	
B. Public Shareholding									
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s).	-	-	-	-	-	-	-		-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs		-	-	-	-	-	-	-	
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	_	_	-
2. Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	_	-
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	_	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	1	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Resident Indians									
Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreign Nationals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clearing Members	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trusts		-	1	-	-	-	-	-	
Foreign Bodies - D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A + B + C)	-	94265000	94265000	100%		158165000	158165000	100%	



b) Shareholding of Promoter-

Sr. No.	Shareholder's Name	Shar	eholding at of the ye	0	Share	he end	% Change in shareho- Iding during the year	
		No. of Shares	% of total Shares of the company		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	21260000	22.55%	-	65160000	41.20%		18.65% increased
2.	UP Govt.	73005000	77.45%	-	93005000	58.80%		18.65% decreased
	Total	94265000	100%	-	158165000	100%		-

c) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change):

SI. No.	Name of Shareholder	Shareholding at the beginning of the year (i.e. 01/04/2017)		Date	Shareholdi beginning	· ·	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	Govt. of U.P	73005000	77.45%	22.05.2017 Right Issue	20000000	18.65% Increased	93005000	58.80%
2.	Govt. of India	21260000	22.55 %	22.05.2017 Right Issue	43900000	18.65% Increased	65160000	41.20%
	TOTAL	94265000	100%		63900000			_

d) Shareholding Pattern of top ten Shareholders: (Other than Directors, Promoters and Holders of GD Rs and AD Rs):

Sr. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of % of total shares of the company		No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc):	Not Applicable			
	At the end of the year				



e) SHAREHOLDING of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.	Shareholding of each Directors and each key Managerial Personnel		holding at the iing of the year	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.):	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

v) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	14,64,32,00,000	-	14,64,32,00,000
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	33,49,148	-	33,49,148
Total (i + ii + iii)	-	14,64,65,49,148	-	14,64,65,49,148
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
* Addition	-	2,60,78,77,03,619	-	2,60,78,77,03,619
* Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	-	2,75,40,50,00,000	-	2,75,40,50,00,000
ii) Interest due but not paid-	-	2,24,03,688	-	2,24,03,688
iii) Interest accrued but not due	-	68,49,079	-	68,49,079
Total (i + ii + iii)	-	2,75,43,42,52,767	-	2,75,43,42,52,767



VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr.	Particulars of	N	lame of MD/W	ΓD/ Manager (A	mt in Rs.)	Total Amount		
No.	Remuneration							
		Managing Director	WD(F)	WD(W&I)	WD (R&S)			
1.	Gross salary							
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	26,46,933.00	27,50,492.00	26,39,787.00	24,83,005.00	1,05,20,217.00		
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	4,21,792.00	9,23,443.00	4,96,424.00	3,81,312.00	22,22,971.00		
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -tax Act, 1961	-	-	-	-	-		
2.	Stock Option	-	-	-	-			
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-		
4.	Commission - as % of profit - others, specify	-	-	-	-	-		
5.	Others, please specify							
	Total (A) Rs. Ceiling as per the Act	30,68,725.00	36,73,935.00	31,36,211.00	28,64,317.00	1,27,43,188.00		

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration		Name of Directors				
1.	Independent Directors	-	-	-	-		
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-		
	Commission	-	-	-	-	-	
	Others, please specify	-	-	-	-		
	Total (1)	-	-	-	-		
2	Other Non-Executive Directors						
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-		
	Commission	-	-	-	-		
	Others, please specify Retainer ship fee	-	-	-	-		
	Total (2)	-	-	-	-		
	Total (B) = $(1 + 2)$	-	-	-	-		
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-		
	Overall Ceiling as per the Act						



C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CS			Total
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	9,34,875.00	1	1	9,34,875.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	1,72,661.00	-	-	1,72,661.00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-
	- as % of profit	-	-	-	-
	others, specify	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total	11,07,536.00	-	-	11,07,536.00

VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

Туре	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	1	-	-	-
Compounding	-	1	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	1	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED LUCKNOW FINANCIAL YEAR 2017-18

Note No. 29 Company Information and Significant Accounting Policies

A. Company Information

1. Reporting Entity

Lucknow Metro Rail Corporation Limited (referred to as "the Company") is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50% equity participation of the Government of India (GOI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP). The registered office of the company is located at Administrative Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh. It was formed as a special purpose vehicle (SPV) on 25th November 2013 to execute Mass Rapid Transit System (MRTS) in Lucknow city by providing Metro Rail. Government of India (GoI) – MoUD gave its approval for the implementation of Lucknow Metro Rail Project Phase -1A vide communique no. K-14011/27/2013-MRTS-IV dated 25th January 2016. The Project covers a total length of 22.878 km with 21 Stations at completion cost of INR 692800 Lakh (including escalation cost of 7.5% per year based on May, 2013 price level and IDC of INR 4800 Lakh). Priority sector corridor of Phase 1A – Transport Nagar to Charbagh (8.5 Km) commenced commercial operations from 5thSeptember 2017. Balance about 14.378 kms are in the process of completion. During the year 2017-18, other operations include some rental income from property and space alongside Priority Sector corridor.

2. Basis of Preparation - Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared on accrual basis of accounting in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind. AS) as prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013, as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), and other accounting principles generally accepted in India. Further, the Guidance Notes / Announcements issued by The Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) are also considered wherever applicable, the same are adopted consistently by the company. The Company has uniformly applied the accounting policies during the periods presented. These are the Company's first Ind AS financial statements and Ind AS 101; First-time Adoption of Indian Accounting Standards has been applied.

For all the periods up to and including 31st March 2017, the Company had prepared its financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which includes, Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies Act, 2013 (collectively considered to as 'Previous GAAP'). The Company has followed the provisions of Ind AS 101 in preparing its opening Ind AS Balance Sheet as of the date of transition, viz., 1stApril, 2016. Some of the Company's Ind AS Accounting Policies used in the opening Balance Sheet differed from its Indian GAAP Accounting Policies applied as at 31stMarch, 2016 and accordingly the adjustments were made to restate the opening balances as per Ind AS as per the provisions of Ind AS 101. The resulting adjustments, arising from events and transactions before the date of transition to Ind AS, were recognized directly through retained earnings as at 1stApril, 2016 as required by Ind AS 101. These changes are reflected in the Statement of changes in Equity prepared as a part of Financial Statements.



3. Basis of Measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for:

- i. Certain financial assets and liabilities that are measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments)
- ii. Defined benefits plans and plan assets. The methods used to measure fair values are discussed further in notes to financial statements.

4. Going Concern Assumption

The Financial Statements have been prepared on a going concern basis as it is considered by the board that the company will continue in operational existence for the foreseeable future and meet its liabilities as they fall due for payment.

5. Use of Estimates and Management Judgment

The preparation of the financial statements is in conformity with the Ind. ASs that also requires estimates and assumptions to be made by the management which affect the reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures of contingent liabilities / Assets on the date of financial statements. Actual results could differ from these estimates. The estimates are reviewed periodically and revisions to the accounting estimate are recognized in the period in which estimates are revised and future period is affected. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which the results are crystallized.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of estimation, uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements is as under:

- **Property, plant and equipment** represent a significant proportion of asset base of the company. The charge in respect of periodic depreciation is derived after determining the estimate of an assets expected useful life, the expected residual value at the end of its life and depreciation method. The useful lives and residual values of company's assets are determined by the management at the time the asset is acquired and reviewed periodically, including at each financial year end along with depreciation method. The lives are based on historical experience with similar assets as well as anticipation of future events, which may impact their life, such as changes in technology.
- Provisions: Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive
 obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required
 to settle the obligation and the amount can be reliably estimated. Provisions are not
 recognized for future operating losses. Provisions are determined based on management
 estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.
- Contingent liabilities/Assets: Contingent Liabilities are disclosed in respect of possible
 obligations that arise from past events but their existence will be confirmed by the occurrence
 or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the
 Company or where any present obligation cannot be measured in terms of future outflow of
 resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent liabilities



/assets are disclosed on the basis of judgment of management/independent experts, wherever required. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.

- Post-Employment benefit plans: Employee benefit obligations are measured on the basis of
 actuarial assumptions which include mortality and withdrawal rates as well as assumptions
 concerning future developments in discount rates, the rate of salary increases and the
 inflation rate. The Company considers that the assumptions used to measure its obligations
 are appropriate and documented. However, any changes in these assumptions may have a
 material impact on the resulting calculations.
- Impairment test of PPE: The recoverable amount of PPE is determined based on judgment of assumptions of technical experts, wherever required. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in impairment. As the Company commenced commercial operations for priority sector corridor on 05/09/2017 and the work for Phase 1A is in progress, management is of the view that there is no impairment of PPE during FY 2017-18.
- **Recognition of Deferred Tax Assets:** The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. In addition, a significant judgment is required in assessing the impact of any legal or economic limits.

The carrying amount as at the end of the reporting period in respect of the above is referred in respective notes.

B. Significant Accounting Policies

1. Functional and Presentation Currency

The Financial Statements have been presented in Indian Rupees - INR $(\mbox{\rotaleff{f}})$, which is the Company's functional currency. Transactions in foreign currencies are recognized at the prevailing exchange rates in INR $(\mbox{\rotaleff{f}})$ on the transaction dates. Realized gains and losses on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss or Capital Work in Progress to whichever the same may relate to.

2. Property, Plant & Equipment and Intangible Assets

- 2.1 Property, Plant & Equipment including intangible assets are shown at their acquisition cost / historical cost. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Borrowing costs and other directly attributable costs relating to acquisition of fixed assets which takes substantial period of time to get ready for its intended use are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready to be put to use. Fixed Assets are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use.
- 2.2 Assets & Systems common to more than one section of the project are capitalized on the basis of technical estimates/ assessments.
- 2.3 All the costs directly attributable to bring the asset to intended use have been included in the cost of assets in accordance with the provisions of Ind AS 16.



- 2.4 Contracts are capitalized on completion on the basis of statement of account received from executing agencies and in its absence on the basis of technical assessment of the work executed.
- 2.5 Capitalization of the assets for new section to be opened for public carriage of passengers is done after ensuring its completeness in all respect as per Standard operating procedures as defined in the company, administrative formalities and compliance of requirements stipulated by Commissioner of Metro Railway Safety imperative for the opening of such section for public use.
- 2.6 In the case of assets put to use, where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement.
- 2.7 Payments made towards permissions for construction of Station Entry and Exit from various landowning agencies is capitalized as intangible asset and amortized over the useful life of the asset.
- 2.8 Expenditure on major inspection, overhauls and replacing part of an item of property, plant and equipment shall be capitalized, if it is probable that the future economic benefits embodied in it will flow to the company and its cost can be measured reliably.
- 2.9 Gain and losses on disposal of an item of Property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of the item, and are recognized net within miscellaneous/ other income and loss in the Statement of Profit & Loss.

3. Land

- 3.1 Amount received for buying land for the company as part of interest-free Subordinate Loan for Land sanctioned to the Company, is treated as interest-free subordinate loan for land.
- 3.2 Payments made provisionally / liability provided towards cost or compensation related to the land including lease-hold land in possession, are treated as cost of the land or Lease-hold land. Payment made provisionally / liability provided towards land acquired on temporary basis has been amortized over the possession period of the land.
- 3.3 The pieces of land purchased by LMRC for which possession has been obtained pending registration have been accounted for on the basis of payment made for them.
- 3.4 LMRC has received few pieces of land free of cost from Government of Uttar Pradesh. These have been capitalized as freehold land at a token amount of INR 1/- per piece of land. As these parcels of land were received prior to implementation of Ind AS, the same have been continued at nominal value of INR 1/- in accordance with the exemptions permitted in Ind AS 101.
- 3.5 Land received in exchange of assets is recognized at the Fair value of the land received. Difference between fair value of land received and cost of asset given is recognized as applicable govt. grant. These grants are accounted under the head of Deferred Income and the same are amortized as per the provisions of Ind AS 20.
- 3.6 Compensation, replacement etc. relating to the cost of rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs) is booked to CWIP and on completion is added to the cost of related assets.



3.7 Land received from Government at free of cost ownership of which vests with LMRC is recognized at fair value of the land received which is calculated on the basis of circle rates of that area effective on the date of receipt of such land.

4. Capital Work-in-Progress

- 4.1 Cost of capital assets which are under construction and not ready for intended use, include other direct and indirect expenditure directly attributable to the project / asset.
- 4.2 Administrative, indirect and general overheads (net of income) directly attributable to the projects are allocated in the ratio of assets capitalized.
- 4.3 Amounts pertaining to construction period such as Price Variation, Final Penalty (other than interest received from temporary deployment of funds received by way of equity, interest free subordinate-debt and grant), etc. have been adjusted against the expenditure during construction.
- 4.4 Claims including price variation are accounted for on approval and acceptance. Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill.

5 Allocation of Interest during Construction

Interest During Construction (IDC) in respect of qualifying assets commissioned during the year, is allocated in the ratio which the value of commissioned assets bear to the qualifying CWIP as at the end of the month of commissioning. In other cases, IDC is allocated based on the date of capitalisation of the last section.

6 Depreciation/Amortization

6.1 Depreciation on Property, Plant & Equipment has been provided following the Straight-Line Method on the basis of useful life of assets as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013 except in respect of following assets/components of assets, where useful life is determined based on technical assessment by the company:

S.No.	Asset	Useful life (In years)
A.	Rolling Stock	30
A1	Components of Rolling Stock-Power supplies, Auxiliaries, Brakes, Air-conditioning system, Interriors, On board controls, Announcement and CCTV system	18
В	Escalators	30
B1	Components of Escalators- Handrail	7
B2	Components of Escalators-Step and Chain Roller, Relay, Timers and Control Gear	8
В3	Components of Escalators- Remaining Components	15
С	Elevators	30
C1	Components of Elevators-Traction Machine / Motor, Governor, Anti Creep Device	20
C2	Components of Elevators-Safety Gear Rope, Hoisting Chain/Rope	8



C3	Components of Elevators-Contactors, Relays	10
C4	Components of Elevators-Remaining Components	30
D	Components of AFC	
D1	CSC(Contactless Smart Card)	7
D2	CST(Contactless Smart Token)	5
D3	Reamining Components	10
Е	Mobile Handset	3

Parameters considered for identification of components of assets:

- i. Assets having value of INR 10 Lakhs & above and components of value more than 10 % in relation to the main asset have only been considered for componentization.
- ii. The maximum life of component has been restricted to the life of principal asset.
- iii. Significant components of assets having same useful life have been clubbed together irrespective of the percentage in relation to principal asset. Remaining components or insignificant items have combined together with the principal asset.
- iv. Land, Track Work (Permanent Way) and Intangible Assets are not componentised as identification of separate components is not possible.
- v. Vehicles. Temporary Structures, Survey/ Safety Equipment, IT System, Office equipment, Furniture and Fixture and related assets have not been componentized as their value in relation to the total assets of the company is quite insignificant.
- 6.2 Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing INR 5000/-or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materially aspect.
- 6.3 The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.
- 6.4 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the day on which assets were ready for use. Depreciation on addition to / deduction from an existing assets which forms integral part of main assets is charged over the remaining useful life of that assets.
- 6.5 Major overhaul and inspection costs, which have been capitalized, are depreciated over the period until the next scheduled outage or actual major inspection/ overhaul, whichever is earlier.
- 6.6 Considering the future economic benefits from software, they have been capitalized as Intangible Assets and amortized over a period of 5 years on Straight Line Method.
- 6.7 Expenditure on the items, ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

7 Foreign Currency

7.1 Transactions denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction.



- 7.2 Monetary items denominated in foreign currencies are translated in functional currency at closing exchange rates as at the reporting date.
- 7.3 Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognized in profit or loss/ CWIP as the case may be in the year in which it arises.
- 7.4 The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. The Pass Through Assistance (PTA) provided by Government of India is based on the finance contract signed between EIB and Government of India(GoI) for Euro 450 Million (equivalent to INR 350200 Lakh) as the borrower. The loan is secured by sovereign guarantee by the GoI. The loan shall be disbursed in through tranches as per budgetary provisions of Government of India. GoI gave the loan from their Plan Budget of Ministry of Urban Development (MoUD) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from GoI. During the year, the company has received an amount of INR 98100 Lakh as Pass through Assistance from GoI. The company has provided for interest of INR 259 Lakh Lakh during the year.

8. Impairment of Assets

An asset is treated impaired, when carrying cost of assets exceeds its recoverable amount. An impaired loss is charged to Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there is a change in the estimate of the recoverable amount.

9. Revenue Recognition

- 9.1 Revenue from tickets/tokens are recognized on the date of its purchase and in case of smart cards on the basis of money value of the actual usage.
- 9.2 Income from sale of scrap is accounted on realization basis.
- 9.3 The interest income on Flexi Deposits and TDRs / FDRs has been recognized on time proportion basis, taking into account the amount invested, rates applicable and interest accrued as per the interest certificates issued by the banks. The interest earned on FDRs has been recognized in the Statement of Profit and Loss.
- 9.4 Rental Income in case of property and space let out has been recognized on the basis of terms and conditions of the contract agreement with licensee/lessee/concessionaire, etc.
- 9.5 Revenue accrued from advertisement for the space utilized is accounted for on accrual basis based on the contract terms.

10. Inventories

Inventories including loose tools and spares are valued at the lower of cost, or, net realizable value.

11. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash equivalents comprise of cash at bank and cash in hand. The company considers all highly liquid investments with an original maturity of less than one year but en-cashable at short notice, to be cash equivalents.



12. Retirement Benefits

- 12.1 The Contribution to the provident fund and pension scheme for the period is recognized as expense and is charged to the Statement of Profit & Loss. Company obligations towards post retirement benefits are actuarially determined and provided for.
- 12.2 The company has set up a Gratuity Trust Fund with LIC of India and gratuity liability to employees is provided for on basis of actuarial valuation.
- 12.3 Re-measurements comprising of actuarial gains and losses, the effect of assets ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the Other Comprehensive Income (OCI) in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

13. Insurance Claims

Insurance claims are accounted for bases on acceptance of claims.

14. Prior Period expenses and Income

Income/Expenditure relating to prior period, which does not exceed INR 100,000, are treated as income/expenditure of current year.

15. Grants in Aid

- 15.1 Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards Capital Expenditure for creation of assets are initially shown as 'Deferred Revenue'. These are subsequently recognized as income each year over the life of the relevant assets in proportion to depreciation on those assets.
- 15.2 Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards revenue has been recognized in the Statement of Profit & Loss under the head 'other income'.
- 15.3 Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are recorded gross at fair amounts and released to the income statement over the expected useful life and pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.
- 15.4 The Financial Assistance received from Government of Uttar Pradesh for State Taxes has been adjusted/deducted from Capital work in Progress (CWIP).

16. Borrowing Cost

Borrowing cost incurred on the funds borrowed specially for the project and identified therewith is capitalized up to the time of commissioning of the project or part thereof and thereafter charged to revenue to the extent assets are under commercial operation.

17. Subordinate Debt

Interest free subordinate debts received from GoI & GoUP are repayable after the repayment of all Non-Government Debts (i.e. Senior Debts). These debts have been recognized as long-term borrowings. The subordinate debts are interest free. As per Government Order, Company is required to make repayment of subordinate debt only after repayment of entire Senior Term Debt



availed for the project. In view of the uncertainty of repayment period, the company has not considered necessary for fair valuation of Government subordinate debt.

18. Taxation

- 18.1 Income Tax is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.
- 18.2 Deferred tax is calculated using the balance sheet method. Deferred tax liabilities are generally recognized in full for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that the underlying tax loss, unused tax credits (MAT Credit entitlement) or deductible temporary difference will be utilized against future taxable income. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.
- 18.3 Income tax expense, comprising current tax and deferred tax, is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in Other Comprehensive Income (OCI) or equity, in which cases it is recognized in OCI or equity.

19. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are determined based on management best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date and are not discounted to present value. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate. Contingent Assets are not recognized but disclosed in the financial statement.

20. Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Indian Accounting Standard (Ind AS) – 7 on 'Statement of Cash Flows'.

21. Financial Instruments

Recognition, Initial Measurement and De-Recognition

Financial assets and Financial liabilities are recognized when company becomes party to the contractual provision of the instrument and are measured initially at fair value adjusted by transaction costs, except for those financial assets which are classified at Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) at inception.

Financial assets are De-Recognized when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, or when the financial asset and all substantial risks and rewards are transferred. A financial liability is derecognized when it is extinguished, discharged, cancelled or expires.

Classification and Subsequent Measurement of Financial assets

For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories upon initial recognition:



- Financial assets at amortized cost using effective interest method (EIR)
- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

All the financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date. There are no Financial Assets, which are designated at FVTPL in the company.

Classification and Subsequent measurement of financial liabilities

Financial liabilities are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities held for trading or designated at FVTPL, that are carried subsequently at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. All derivative financial instruments are accounted for FVTPL. There are no financial liabilities, which are designated at FVTPL in the company.

Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows:

- Financial Assets & Financial Liabilities, which are, interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instrument's interest rate.
- For other financial assets or financial liabilities: SBI-MCLR/Base rate at beginning of financial year for highest available period.

30. Notes to Financial Statements

1. Contingent Liabilities: (in Lakhs)

S. No.	Particulars	As at 31.03.18	As at 31.03.17	As at 01.04.16
1.	Crossing Charges demanded by Northern Railway	124	5122	5122
2.	Penalty Charges claimed by BSNL	21	21	21
3.	Traffic block charges demanded by Northern Railway	NIL	109	0.00
4.	Land acquisition related court case by Anil Kumar Gupta	NIL	463	463
5.	Land acquisition related court case by Arjun Kumar Gupta	NIL	338	338
6.	Land acquisition related court case by Pawan Kumar Chawla	NIL	1065	1065
7.	Land acquisition related court case by Dinesh Kumar Pathak	4	4	4



8.	Additional compensation for Land @ 100% of	2554	2554	NIL
	circle rate and annual 25.54 concession fees for			
	30 yrs. being demanded by U.P. State Road			
	Transport Corporation, Lucknow for the Land			
	transferred to LMRC for Metro Rail Project			
9.	Additional compensation for Land @ 100% of	108	108	NIL
	circle rate being 1.08 demanded by U.P.			
	Cooperative Union Limited, Lucknow for the Land			
	transferred to LMRC for Metro Rail project			
10.	In relation to the rent of land for Casting Yard of	2440	2440	NIL
	Lucknow Airport 24.40 (Letter No. 6050-52			
	Dt. 22-05-2017 Airport Authority of India)			
11.	Letter of Credit(s) in USD	2960	22	NIL
12.	Letter of Credit(s) in EURO	2231	57	NIL
13.	M/s Delhi Metro Rail Corporation on a/c of	9	NIL	NIL
	Revision of DPR for E-W Corridor of Lucknow			
	Metro Rail Project			
14.	North Railway Lucknow claimed charges for	14	NIL	NIL
	temporary use of railway land during construction			
	period			
15.	North Eastern Railway Lucknow on a/c of charges	895	NIL	NIL
	for permission to cross railway land and charges			
	for Temporary use of Railway Land during			
	Construction Period			
16.	Additional compensation for Land @ 100% of	285	NIL	NIL
	circle rate being 2.85 Cr. demanded by U.P.			
	Cooperative Bank Limited, Lucknow for the Land			
	transferred to LMRC for Hazratganj Ramp			
1 <i>7</i> .	Consumer forum court case	5	NIL	NIL

Explanatory Note: The claims for additional differential liability towards GST have been submitted by the contractors/vendors. The claim has been recommended for further examination and verification by the management which is being done by external experts and necessary adjustments shall be carried out only if the claim is justifiable as per the terms of contract.

Contingent Assets: There are no contingent assets as on date with the company.

2. Commitments: Estimated amounts of contracts including foreign currency contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is 169725 Lakh. As on March 31st, 2018.



3. Payment to the Statutory Auditors: -

(₹ in Lakh)

Particulars	2017-18	2016-17
Audit Fees	2.00	1.80
Tax Audit Fees	0.80	NA
Reimbursement:		
-Goods and Service Tax/ Service Tax	0.504	0.27
Total	3.304	2.07

4. The Company has accounted for State reimbursable taxes which has been adjusted in the carrying amount of PPE including CWIP to the tune of INR 11053 Lakh on the basis of details provided by the Contractors. Further the company has received reimbursable taxes from GoUP to the tune of INR 9900 Lakh till 31.03.2018.

5. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at $31^{\rm ST}$ March 2018

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1.	Amount remaining unpaid to any supplier:		
	a) Principal Amount	NIL	NIL
	b) Interest due thereon	NIL	NIL
2.	Amount of interest paid in terms of section 16 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	NIL	NIL
3.	Amount of interest due and payable for the Period of delay in making payment(which have been paid but beyond the appointed day during the year)but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL
4.	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL
5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and medium Enterprises Development Act,2006		



Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-1: Presentation of financial Statements: Capital Management.

The Primary Objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The company monitors capital using Debt: Equity ratio, which is Long Term debt divided by total owner's capital, The Debt equity ratio are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2018	As at March 31,2017	As at March 31,2016
(a) Total Debt	2,75,405.00	1,46,432.00	21,332.00
(b) Total Capital	1,89,792.00	1,30,665.00	66,765.00
Debt: Equity Ratio (a/b)	1.451	1.12	0.3195

For the purpose of the company's capital management, capital includes issued capital and share application money pending allotment. Debt includes long term loans and borrowings.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-17 "Leases"

a. The Company has taken on lease/rent premises for employees. These Lease arrangements are usually renewable on mutually agreed terms, during the year the company has paid lease rent amounting to INR 206.87 Lakh(P.Y Rs. 184.23Lakh) and included under the head of Expenditure Lease rent for Staff Accommodations

(₹ in Lakhs)

Operating Lease	Not Later than one Year	Later than one year and up to five years	Beyond five years
Current Year (2017-18)	NIL	227.28	8434
Previous Year (2016-17)	NIL	260.21	87.33

b. The company has leased out its various assets to parties on operating lease basis. Future minimum lease rent receivable under non-cancellable operating lease are given as under:

Operating Lease	Not Later than one Year	Later than one year and up to five years	Beyond five years
Current Year (2017-18)	0.09	259.31	2605.93
Previous Year (2016-17)	NIL	NIL	18.76

- c. The project office of the company is located in the premises of Lucknow Development Authority (LDA) situated at 1st Floor, Janpath Market, Hazratganj, Lucknow. The issue regarding the rent of the aforesaid premises is still under consideration by LDA. Under these circumstances, no rent has been charged and will be accounted for as and when the issue is finalized by them.
- d. Company has taken land on temporary lease / rent for implementation of the Project and during this Accounting period, INR 113.92 lacs has been paid towards lease / rent.



8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19" Employee Benefits"

8.1 General description of various defined employee's benefits schemes are as under:

a) Provident Fund:

The company's Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognized on accrual basis.

b) Gratuity:

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continues service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26* last drawn basic pay plus dearness pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination and disablement or on death. A policy has been formed for this purpose.

This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company. The disclosure of information as required under Ind AS-19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognized on the basis of Actuarial valuation.

As per Actuarial valuation company's best estimated for FY 2017-2018 towards the Gratuity Fund Contribution is INR 210.20 Lakh However, the company is making contribution to the fund as per the demand made by life Insurance Corporation of India.

Regarding the LMRC employees excluding those on deputation, the Company has procured gratuity plan through LIC wherein every employee is entitled to the benefit equivalent to fifteen days' salary last drawn for each completed year of service. The same is payable on termination of service or retirement whichever is earlier. The benefit vests after five years of continuous service. The fund is managed by LIC. The total liability recognized on the basis of contribution payable to the Insurer amounting to INR 188.92 lakh during FY 2017-18, details given as below:

Particulars	Amount (₹ in Lakhs)
Current Service Cost –FY17-18	185.16
LIC Premium	3.77
Total	188.93

c) Pension:

Employee's National Pension Scheme is managed by Stockholding Corporation of India. This scheme is optional and company's obligation is limited to pay 2.5% of Basic pay of the enrolled employee.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of deputationist employees, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of the India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The company provides for earned leave benefits (included compensated absence) and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days



respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar year while is service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation.

The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

In respect of deputationist employees, Leave salary contribution is payable to their parent departments @ 11% of pay drawn (Basic pay including Dearness Pay & Special Pay) and is accounted for on accrual basis.

In relation to LMRC employees excluding those on deputation, the actuarial valuation of leave encashment was carried out by an Actuary and appropriate provisions have been made in books of accounts and financial statements accordingly as following: -

The results of the calculations of Leave Encashment are as under:

Net Defined Benefit obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity Funded) (in Lakh)	Leave (Non - (Funded) (in Lakh)
Present value of the defined benefit obligation	C.Y.	265.98	624.26
	P.Y.	48.38	181.71
Fair value of the plan assets	C.Y.	286.01	-
	P.Y.	94.93	-
Surplus or (deficit) in the plan	C.Y.	20.03	-624.26
	P.Y.	46.54	-181.71
Experience adjustments on plan liabilities	C.Y.	76.63	139.91
	P.Y.	-2.53	139.91
Total Net Defined Benefit obligation	C.Y.	210.19	442.56
	P.Y.	34.09	181.71

Movement in Plan Assets

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non-Funded) (in Lakh)
Fair value of assets at beginning of year	C.Y.	94.93	-
	P.Y.	-	-
Adjustment to opening fair value of plan assets	C.Y.	-1.63	-
	P.Y.	-	-
Interest income (+)	C.Y.	6.17	-
	P.Y.	-	-



Return on plan assets, excluding amounts of interest (+/-)	C.Y.	1.23	-
	P.Y.	-	-
Change in asset ceiling, excluding amounts included in interest expense (+/-)	C.Y.	-	-
μ,	P.Y.	-	-
FX rate gains (+) and losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by the employer (+)	C.Y.	185.32	-
	P.Y.	94.93	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Fair value of assets at end of year	C.Y.	286.01	-
	P.Y.	94.93	-

Movement in Defined Benefit Obligations

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Defined benefit obligation at beginning of year	C.Y.	48.38	181.71
	P.Y.	14.29	30.26
Current service cost (+)	C.Y.	136.59	290.84
	P.Y.	3.55	290.84
Interest cost (+)	C.Y.	3.15	11.81
	P.Y.	1.07	2.28
Gain (-) / loss (+) from change in demographic assumptions	C.Y.	60.87	129.83
assumptions		11.82	26.38
Gain (-) / loss (+) from change in financial	C.Y.	108.41	177.31
assumptions	P.Y.	15.92	36.56



Experience adjustment (+/-)	C.Y.	-91.41	-167.23
Experience adjustment (+7-)	C.1.	-31.41	-107.23
	P.Y.	-30.27	-13.57
FX rate gains (-) and losses (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	_	
Defined benefit obligation at end of year	C.Y.	265.98	624.26
	P.Y.	48.38	181.71

Benefit expense recognised in profit or loss

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Current service cost (+)	C.Y.	136.59	290.84
	P.Y.	35.55	99.80
Interest cost (+)	C.Y.	3.15	11.81
	P.Y.	1.07	2.28
Interest income (+)	C.Y.	6.17	-
	P.Y.	-	-
Net interest on net defined benefit liability	C.Y.	-3.03	11.81
	P.Y.	1.07	20.28
Past service cost (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlement gains (+) or losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Total expense recognised in profit or loss	C.Y.	133.56	302.65
	P.Y.	36.62	102.08



Amount recognised in Other Comprehensive Income

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	C.Y.	76.63	139.91
Comprehensive income	P.Y.	-	49.36

Category of investment in Plan assets

Category of investment	% of fair value of plan assets
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	100%

Actuarial Assumptions

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Non - Funded)
Method used	C.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
	P.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Discount Rate	C.Y.	7.50% p.a.	7.50% p.a.
	P.Y.	6.50% p.a.	6.50% p.a.
Salary escalation rate	C.Y.	10% p.a.	10% p.a.
	P.Y.	5% p.a.	5% p.a.
Employee Attrition /	C.Y.	0% p.a.	0% p.a.
withdrawal rate			
	P.Y.	3% p.a.	3% p.a.
Mortality	C.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2006-08 Ult
	P.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2006-08 Ult

Sensitivity Analysis and Expected Benefit Payments:

1. Sensitivity Analysis

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2018 (in Lakh)	Financial Year Ending 31st March 2018 (in Lakh)
Discount Rate	0.50%	(78.97)	(34.61)
	-0.50%	91.93	40.41
Salary Growth Rate	1.00%	191.82	77.50
	-1.00%	(145.16)	(62.86)
Price Inflation Rate	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
Medical Inflation Rate	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
Mortality Rate	+3 years	(2.99)	(1.26)
	-3 years	2.20	0.92



2. Expected Benefit Payments

Sr. No.	Year of Payment	Leave Encashment	Gratuity
1	31-Mar-19	0.64	0.26
2	31-Mar-20	0.74	0.29
3	31-Mar-21	0.68	6.01
4	31-Mar-22	0.79	0.31
5	31-Mar-23	0.84	4.51
6	31-Mar-2024 to 31-Mar-2028	5.15	9.43

- 9 Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS 21) "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates":
 - a. The amount of exchange differences (net) credited to the statement of Profit & Loss is INR 0.0128735 Lakhs (PY INR 0.33,14678 Lakhs).
 - b. Adjustment in PPE/ CWIP includes INR 824 Lakh (PY INR 93 Lakh) on account of exchange differences due to translation of Monetary Items

10 Disclosure in respect of Ind AS 24 "Related Party Disclosures"

(a) Key Management Persons:

- 1. Shri Kumar Keshav, Managing Director
- 2. Shri Daljeet Singh, Whole Time Director (Works & Infrastructure) (upto 31/10/2017)
- 3. Shri Mahendra Kumar, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- 4. Shri Ajai Kant Rastogi, Whole Time Director (Finance)
- 5. Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

(b) Disclosure of transactions of the company with related parties (Key Management Persons):

Particulars	2017-18 (in Lakh)	2016-17 (₹ in Lakhs)
Salaries & Allowances	123.16	114.55
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	18.11	15.64
Other Benefits	16.32	27.56
Total (included in Employees Cost)	157.58	157.75

In addition to the above remuneration,

- i. the whole time Directors have been allowed to use the Company owned car (including for private journeys) subject to recovery as per the Company's rules.
- ii. No other transaction with any other related parties was carried out during the FY 2017-18.



11 DISCLOSURE IN RESPECT OF Indian ACCOUNTING STANDARD (Ind. AS) - 33: EARNING PER SHARE:

1. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

Particulars	2017-18 (₹ in Lakhs)	2016-17 (₹ in Lakhs)
Profit after taxation, prior period adjustments & tax Adjustments for the earlier years as per Statement of Profit & Loss (INR in Lakhs)	(2538.29)	(1897.45)
Weighted average number of equity shares outstanding:		
Basic	997.45	743.94
Diluted	1586.62	861.11
Basic Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share	(2.54)	(2.55)
Diluted Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	(1.60)	(2.20)

Disclosure in respect of Indian Accounting Standard Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance as at 01.04.17	Additions/Transfers During the Year	Utilization during the Year	Closing balance as at 31.03.2018
Retirement Benefits	231.31	514.39	48.72	696.97
Expenses	4245.60	1147.80	4134.19	1259.20
Total	4476.90	662.18	4182.92	1956.17

Particulars	Opening balance as at 01.04.16	Additions/Transfers During the Year	Utilization during the Year	Closing balance as at 31.03.2017
Retirement Benefits	Nil	231.31	Nil	231.31
Expenses	Nil	424 5.60	Nil	4245.60
Total	Nil	4476.90	Nil	4476.90



13 Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-101:" First-time adoption of Indian Accounting Standards":

Notes to first time adoption of Ind AS

These are the Company's first Financial Statements for the year ended 31st March 2018.

The accounting policies set out in Note 29 have been applied in preparation of financial statements for the year ended 31st March, 2018, the comparative information presented in these financial statements for the year ended 31st March, 2017 and in the preparation of opening Ind AS balance sheet as at 1st April, 2016 (the Company's date of transition).

For transition to Ind AS the company has availed the following Mandatory / Optional exemptions as per IND AS 101:

- a) **Deemed Cost for Property, Plant & Equipment:** The Company has availed exemption under para D7AA of appendix D to IND AS 101, which permits a first time adopter to continue with the carrying values for its PPE as at date of transition to IND ASs measured as per previous GAAP.
- b) Classification & Fair value measurement of financial assets or financial liabilities at initial recognition: The financial assets and liabilities have been classified on the basis of facts existing as at the date of transition to IND AS. In addition, the exemption under para B8C and para D20 permits prospective application of requirements of IND AS 109 to transactions entered into on or after date of transition.

An explanation of how the transition from previous GAAP to Ind AS has affected the company's financial position, financial performance and cash flows is set out in following tables and notes.

Reconciliation between previous GAAP and Ind AS:

Ind AS 101 requires an entity to reconcile equity, total comprehensive income for prior periods. The following tables represent the reconciliations from previous GAAP to Ind AS:

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Reconcilliation between previous GAAP and Ind AS for impact on Balance Sheet

Particulars	Note No.	As at March 31, 2017 as per IGAAP (Audited)		As per March 31, 2017 (Ind AS)	As at March,31 2016 as perl GAAP (Audited)	Adjustments	As at April 1,2016 (Ind AS)
ASSETS							
Non-current assets							
(a) Property, Plant and Equipment	1	9,682.51		9,682.51	6,448.66		6 ,448.66
(b) Capital work-in-progress	2	1,84,972.46		1,84,972.46	65,540.29		65,540.29
(c) Intangible assets	3	3,723.09	-	3,723.09	3,768.85		3 ,768.85
(d) Intangible Assets Under Development	4	293.82	-	293.82	-		-
(e) Financial Assets	5						
(i) Loans		3,748.22	(3,748.22)	-	2.68	(2.68)	-
(ii) Others		-	156.31	156.31		2.68	2 .68



(f) Other non-current Assets	6	-	3,591.92	3,591.92			-
Current Assets							
(a) Inventories	7	-	-	-			-
(b) Financial Assets							
(i) Cash & Cash Equivalents	8	1,00,718.45		1,00,718.45	36,303.65		36,303.65
(ii) Loans		37,918.80	(37,918.80)	-	25,584.87	(25,584.87)	-
(ii) Others	9	-	230.18	230.18		1 <i>7</i> 6.51	1 76.51
(c) Current Tax Assets	10		-				-
(d) Other Current Assets	11	253.33	37,688.61	37,941.94	197.35	25,408.36	25,605.71
Total Assets		3,41,310.68	-	3,41,310.68	1,37,846.35	-	1,37,846.35
EQUITY AND LIABILITIES							
Equity							
(a) Equity Share Capital	12	94,265.00	-	94,265.00	38,005.00		38,005.00
(b) Other Equity	13	84,750.87		84,750.87	72,554.54		72,554.54
Liabilities							
Non-current liabilities							
(a) Financial Liabilities							
(i) Borrowings	14	1,46,432.00	-	1,46,432.00	21,332.00		21,332.00
(ii) Other Financial Liabilities	15	-	293.88	293.88		79.16	79.16
(b) Other non Current Liabilities		293.88	(293.88)	-			
(c) Provisions	16	117.97	-	117.97	12.53		1 2.53
Deferred Tax Liabilities	1 <i>7</i>	355.33		355.33	116.10		1 16.10
Current liabilities							
(a) Financial Liabilities							
(i) Trade payables	18	6,763.98	(105.96)	6,658.02	4,531.29	(59.30)	4,471.99
(ii) Other Financial Liabilities	19	-	3,044.43	3,044.43		640.68	6 40.68
(iii) Other current liabilities	20	3,972.72	(2,938.47)	1,034.24	1,277.15	(660.54)	6 16.62
(b) Provisions	21	4,358.94	-	4,358.94	17.73		1 7.73
Total Equity and Liabilities		3,41,310.68	-	3,41,310.68	1,37,846.35	-	1,37,846.35



Reconcilliation between previous GAAP and Ind AS for impact on Statement of Profit and Loss

	Particulars	Note No.	Year Ended March 31, 2017 IGAAP	Adjustment	Year Ended March 31, 2017 (Ind As)
	Income				
i)	Revenue From Operations	22	-	0.43	0.43
ii)	Other Income	23	1,850.66	(0.43)	1,850.22
iii)	Prior Period Income		2.48	(2.48)	
			1,853.14	(2.48)	1 ,850.65
	Total Income				
	Expenses				
i)	Operating Expenses	24	-	62.73	62.73
ii)	Employees' Benefit Expenses	25	1,844.91	(42.70)	1,802.21
iii)	Finance Cost	26	1.00		1.00
iv)	Depreciation & Amortization Expenses	27	303.48		303.48
v)	Other Expenses	28	1,359.51	(69.41)	1,290.10
vi)	Prior Period Expenses		50.24	(50.24)	-
	Total expenses		3,559.13	(99.62)	3,459.52
Pro	ofit/ (Loss) before tax		(1,706.00)	97.14	(1,608.87)
	Tax expense				
	Current Tax				
	Deferred Tax	17	(239.22)		(239.22)
Pro	fit/(Loss) for the year		(1,945.22)	97.14	(1,848.09)
Otl	her Comprehensive Income				
i)	Items that will not be reclassified to profit or loss				
	- Remeasurements of the defined benefit plans		-		(49.36)
ii)	Items that will be reclassified to profit or loss		-		-
Otl	her Comprehensive Income/ (Loss) for the			(49.36)	(49.36)
Tot	al Comprehensive Income for the Period		(1,945.22)	47.77	(1,897.45)



14 Disclosures in respect of IND 107- "Financial Instruments: Disclosure"

14.1 Financial Instruments

(i) Financial Instruments by Categories

The carrying values of financial instruments by categories are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31s	t March, 2	As on 31st March, 2017			As on 01 April, 2016				
	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)		Amortized Cost (in Lakh)		FV OCI (in Lakh)	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)	FV OCI (in Lakh)	
Financial Assets:										
Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9	650.38	-	-	386.49	-	-	179.19	-	-	
Trade Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cash & Cash Equivalents (Refer Note -8)	119127.86	-	-	100718.45	-	-	36303.65	-	-	
TOTAL		-	-		-	-		-	-	
Financial Liabilit	ies:									
Borrowings (Refer Note -14)	275405.00	-	-	146432.00	-	-	21332.00	-	-	
Other Financial Liabilities (Refer Note - 15 & 19)	7504.30	7500.82*	-	3338.31	-	-	720.02	-	-	
Trade Payable (Refer Note-19)	18768.13	-	-	6658.02	-	-	4471.99	-	-	
TOTAL		-	-		-	-		-	-	

^{*} The other financial comprises of Security deposits from contractors and customers.

(ii) Fair Value Hierarchy:

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of significant inputs to the measurement as follows:

Level 1: Quoted Prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximise the use of relevant observable market input and minimise use of unobservable inputs.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on the observables market inputs, the instrument is categorised in level 3 of fair value hierarchy.



(iii) Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Value are disclosed:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Level	As on 31st M	arch, 2018	As on 31st	March, 2017	As on 01st	April, 2016
		Carrying value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets:							
Loans (Refer Note-3&10	Level 2	-	-	-	1	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9	Level 2	650.38	650.38	386.49	386.49	179.19	179.19
Total							
Financial Liabilities:							
Other Financial Liabilities (Refer Note- 15 & 19)	Level 2	7504.3	7500.82	3338.31	3338.31	720.02	720.02

(iv) Valuation techniques and process used to determine fair values

- a) The carrying value of financial assets and liabilities with the maturities less than 12 months are considered to be representative of their fair value.
- b) Fair value of the other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a discount rate which is defined as per Accounting Policy No.20.

14.2 Financial Risk Management

Financial risk factors

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial asset and liabilities by category are summarized above. The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's Risk Management focus on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below:

A) Market Risk

The Company has foreign exchange risk as Market Risk. The Company does not have any interest rate risk since the loans to the company are at either NIL rate of interest or at fixed rate of interest as per disbursement notice of each tranche of loan received from EIB. Also company does not have price risk since company is not having derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of Property Plant and Equipment from outside India. The company does not have any hedging instrument to cover the foreign exchange risk.

B) Credit Risk

Credit Risk refers to the risk of default on its obligation by the counter party resulting in a financial loss. The company exposed to this risk for various financial instruments, for example by granting advances to the employees, receivables from customers, security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets.



- Cash and Cash equivalents
- Trade receivables
- Other financial assets measured at amortized cost.

The company continuously monitors defaults of customers and other counter parties, identifies either individually at reasonable cost, external credit ratings and/or reports on customers and the other counter parties are obtained and used.

a) Credit risk Management

Cash and cash equivalent

Credit risk related to cash and cash equivalent is managed by placing funds in schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India, and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

Other financial assets

Other financial assets are measured at amortized cost and there is no impairment.

b) Expected credit losses

Company provides expected credit losses based on the following:

Trade Receivables

Trade receivables are impaired when recover ability is considered doubtful based on the recovery analysis performed by the company for individual trade receivables. The company considers that all the above financial assets that are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets measured at amortized loss

Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured against the property for which loan is granted to the employees. Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recover ability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensure that the amounts are within the defined limits.

There are no impairment provisions as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial asset as at the reporting dates to be of good credit quality.

C) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, revenue generated from operations, Long term loan from EIB, Interest free subordinate debt, share capital and grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by monitoring cash and cash equivalents, Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists of mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues, retention and deposits arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include EIB loan, Interest free subordinate debt, retention & deposits and liabilities for Employee benefit.



15 Segment Reporting (Ind AS 108)

The company's principle business is running & maintenance of Metro Rail Facility in Lucknow.

The Company operates within India and does not have operations in economic environments with different risks and returns. Hence, it is considered operating in single geographical segment.

Information about major customers

No single customer contributed 10% or more to the company's revenue for both years ended on 31-03-2018 and year ended on 31-03-2017.

16. ADDITIONAL INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III OF COMPANIES ACT, 2013:

(₹ in Lakhs)

S.No.	Parti	culars	2017-18	2016-17
1	Valu	e of imports calculated on CIF Basis		
	a.	Raw Materials	Nil	Nil
	b.	Stores and Spares	Nil	Nil
	c.	Capital Goods	27100.00	Nil
2	Expe	nditure in Foreign Currency on		
	a.	Professional & Consultancy Fees	3468.00	1535.00
	b.	Tours and Travels	15.00	32.00
	c.	Contracts	22190.00	16618.00
3	Earni	ing in Foreign Exchange	Nil	Nil
4	Valu	e of Components, Spare parts and store consumed		
	a.	Imported	Nil	Nil
	b.	Indigenous	Nil	Nil

17. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever necessary, to make them comparable to the current year's presentation.

As per our report of even date annexed

For D.S. Shukla & Co.

Chartered Accountants

FRN - 000773C

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Kumar Keshav)

Managing Director DIN: 02908695

Sd/-(Ajaj k

(Ajai Kant Rastogi) Director Finance DIN: 07228424

Sd/-

(Pushpa Bellani)
Company Secretary

Place: New Delhi Date: 23.07.2018



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Lucknow Metro Rail Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit or loss (financial performance including other comprehensive income), cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.



Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31st March, 2018, and its profit/loss (financial performance including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

- 1) Note No.1 to the Ind AS financial statement, regarding non execution of tittle deed of Land in favor of the company.
- 2) Note No. 14 and 29-B, Para No.17 to the Ind AS financial statement, regarding recognition of Interest free subordinate Government loan at historical value presented as financial liability has not been measured in accordance with Ind AS 109 Financial Instruments, due to uncertainty in period of repayment of the subordinate debt.
- 3) Note No. 29-BPara No.7.4, to the Ind AS financial statement, European Investment Bank (EIB) loan outstanding `98100 lakhs & interest accrued of `259 lakhs, Government of India arranged Pass Through Assistance (PTA) of these loan disbursements for execution of the metro rail project in Lucknow (U.P). Exchange rate fluctuations gain/loss has not been provided in the Ind AS financial statements as required by Ind AS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of Gol.

Other Matters

The comparative financial information of the Company for the year ended 31st March 2017 and the transition date opening balance sheet as at 1st April 2016 included in these Ind AS financial statements, are based on the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 audited by the predecessor auditor whose report for the year ended 31st March 2017 and 31st March 2016 dated 22/05/2017.and 26/09/2016, respectively expressed an unmodified opinion on those financial statements, as adjusted for the differences in the accounting principles adopted by the Company on transition to the Ind AS, which have been audited by us.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- 2. As required by section 143(5) of the Act, we give in "Annexure B" a statement based on the directions issued and matters specified by the Comptroller and Auditor General of India.
- 3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books



- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account
- d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act
- e) Since, the company is a Government Company, section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding obtaining written representations from the directors of the Company, is not applicable to the company in terms of notification no. GSR-463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.
- 4. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
- 5. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements which would impact its financial position in its Notes No. 30 (1) to Ind AS Financial Statement.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses, if any.
 - iii. There is no amount which is, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For D. S. Shukla & Co. Chartered Accountants (FRN No.: 000773C)

Sd/-

Shreeharsh Shukla

Partner

Membership number: 408990

Place: New Delhi Date: 23/07/2018



Annexure A to the Independent Auditors' Report

(Referredtoinparagraph1under'ReportonOtherLegalandRegulatoryRequirements'in the Independents Auditor's Report of even date)

- i. In respect of the Company's fixed assets:
 - a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - b. The Company has a program of verification to cover all the items of fixed assets in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, fixed assets were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were notice don such verification.
 - c. As per the information and explanation given to us, title deeds of immovable properties are held in the name of the Company except for the cases as disclosed in Note No. 1 to the Ind AS Financial Statement.
- ii. The Company is engaged in the business of Metro Rail Infrastructure and Maintenance and does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under Clause3 (ii) of the Order is not applicable to the Company.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
- iv. According to the information and explanations given to us, the company has not given loan or made Investment or given guarantee and security for the persons specified under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013, and hence not commented upon.
- v. The Company has not accepted deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March31,2018 and therefore, the provisions of the clause3 (v) of the Order are not applicable to the Company.
- vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of Cost Records under section 148(1) of the Act for any of the services rendered by the company hence not commented upon.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
 - a. The Company has generally been regular in depositing un disputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.
 - b. There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues in arrears as at March31,2018 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - c. According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.



- viii. According to the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution and government during the year.
- ix. As per explanation provided to us, the company raised monies by way of further offer of shares to the existing shareholders or term Loans and the amount were used for the purpose for which they were raised.
- x. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- xi. As per notification no. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Company.
- xii. The Company is not a nidhi company and hence, reporting under Clause3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
- xiv. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly paid convertible debentures and hence, reporting under Clause3 (xiv) of the Order is not applicable to the Company.
- xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section192 of the Companies Act,2013 are not applicable to the Company.
- xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For **D. S. Shukla & Co.** Chartered Accountants (FRN No.: 000773C)

Sd/-

Shreeharsh Shukla

Partner

Membership number: 408990

Place: New Delhi Date: 23/07/2018



Annexure - B to the Independent Auditor's Report

[Referred to in paragraph 2, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

According to the information and explanations given to us we report as under:

1. Whether the Company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land which title/ lease deeds are not available?

As informed and explanation provided to us during the course of our audit the title deeds of immovable properties are held in name of the company except for freehold land admeasuring to 19,830 Square meters, further the information is disclosed in Note No. 1 to the Ind AS Financial Statement.

2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loans/interest etc., if yes the reasons there for and the amount involved?

We generally observed no cases of waiver/ write off of debts/loans/interest, etc. during the year under audit.

3. Whether proper record is maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant (s) from the Government or other authorities?

As confirmed to us no inventory is lying with the third party further the company has received land from PAC and Sampoornand Karagar Prachikshan Sanathan at below market value which has been fair valued and Government Grant recognized of ₹19035 Lakhs no other asset is received as gift/grant from the Government or other authorities during the year.

4. Whether the system in vogue for identification of project to be taken up under Public Partnership is in line with the guidelines/ policies of the Government? Comment on deviation if any?

As per information and explanation provided to us, during the year under audit, the company has selected HDFC Bank as Merchant Acquirer Bank for Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC), Fare Collection system, agreement for six years and provision of Allied Banking Applications under PPP model, no deviation in compliances of Government guidelines/policies was reported.

5. Whether system for monitoring the execution of works vis-a- vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books.

The system for monitoring the execution of works vis-a-visthe milestones stipulated in the agreement is appropriate. The Technical Executives of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC) along with



General Consultants(GC) engaged by LMRC examines the claims and works in accordance with the milestones stipulated in the agreement and continuously monitor it. Any revenues/losses from contracts, etc. have been properly recorded in the books.

6. Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ State agencies were properly accounted for /utilized? List the cases of deviations.

Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been properly accounted for/utilized.

- 7. Whether the bank guarantees have been revalidated in time?

 Bank guarantees have been validated in time.
- 8. Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits, bank accounts and cash obtained.

The company has received balance confirmations for its banks balances and term deposit which are reconciled with books of accounts for any difference, further non confirmation of most of the balances of trade payable and the consequent effect on the book balances and the actual balance over the profitability/loss to the company is subject to reconciliation if any, the company has no trade receivables for which confirmation need be obtained.

For **D. S. Shukla & Co.** Chartered Accountants (FRN No.: 000773C)

> Sd/-**Shreeharsh Shukla**

Place : New Delhi

Date : 23/07/2018

Partner

Membership number : 408990



Annexure - C to the Independent Auditor's Report

[Referred to in paragraph 4, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Lucknow Metro Rail Corporation Limited ('the Company') as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:



- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of the Management and directors of the Company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **D. S. Shukla & Co.** Chartered Accountants (FRN No. 000773C)

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No. - 408990

Place: New Delhi Date: 23.07.2018



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2018

(₹ in Lakhs)

	PARTICULARS	Note	As at	As at	As at
		No.	March 31, 2018	March 31, 2017	April 1, 2016
ASSI	ETS				
Non	-current assets				
(a)	Property, Plant and Equipment	1	2,02,612.25	9,682.51	6,448.66
(b)	Capital work-in-progress	2	2,07,386.48	1,84,972.46	65,540.29
(c)	Intangible assets	3	3,569.89	3,723.09	3,768.85
(d)	Intangible Assets Under Development	4	565.45	293.82	-
(e)	Financial Assets				
	(i) Loans		-	-	-
	(ii) Others	5	185.97	156.31	2.68
(f)	Other non-current Assets	6	-	3,591.92	-
Curr	ent Assets				
(a)	Inventories	7	8.23	-	-
(b)	Financial Assets				
	(i) Cash & Cash Equivalents	8	1,19,127.86	1,00,718.45	36,303.65
	(ii) Others	9	464.41	230.18	176.51
(c)	Current Tax Assets	10	2.72	-	-
(d)	Other Current Assets	11	21,296.52	37,941.94	25,605.71
	Total Assets		5,55,219.78	3,41,310.68	1,37,846.35
EQU	ITY AND LIABILITIES				
Equi	ty				
(a)	Equity Share Capital	12	1,58,165.00	94,265.00	38,005.00
(b)	Other Equity	13	91,464.17	84,750.87	72,554.54
Liabi	lities				
Non	-current liabilities				
(a)	Financial Liabilities				
	(i) Borrowings	14	2,75,405.00	1,46,432.00	21,332.00
	(ii) Other Financial Liabilities	15	541.48	293.88	79.16
(b)	Other non Current Liabilities			-	
(c)	Provisions	16	623.62	1 17.97	12.53
Defe	rred Tax Liabilities	17	-	355.33	1 16.10
Curr	ent liabilities				
(a)	Financial Liabilities				
	(i) Trade payables	18	18,768.13	6,658.02	4,471.99
	(ii) Other Financial Liabilities	19	6,959.34	3,044.43	6 40.68
(b)	Other current liabilities	20	1,950.94	1,034.24	6 16.62
(c)	Provisions	21	1,342.10	4,358.94	17.73
	Total Equity and Liabilities		5,55,219.78	3,41,310.68	1,37,846.35

Significant Accounting Policies and Notes to Financial

Statements

Audit Report of even date attached

For: D. S. Shukla & Co. Chartered Accountants FRN - 000773C

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

Place: New Delhi Date: 23.07.2018 29 & 30

For and on behalf of the Board

Sd/-(Kumar Keshav) Managing Director DIN: 02908695

Sd/-

(Pushpa Bellani) Company Secretary Sd/-

(Ajai Kant Rastogi) Director Finance DIN: 07228424



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

(₹ in Lakhs)

	1		
PARTICULARS	Note	For the Year	For the Year
	No.	Ending 31.03.2018	Ending 31.03.2017
Income			
(i) Revenue from Operations	22	555.40	0.43
(ii) Other Incomes	23	6,931.95	1,850.22
Total Income		7,487.35	1,850.65
Expenses			
(i) Operating Expenses	24	1,616.72	62.73
(ii) Employees' Benefit Expenses	25	2,778.27	1,802.21
(iii) Finance Cost	26	82.64	1.00
(iv) Depreciation & Amortization Expenses	27	4,430.84	303.48
(v) Other Expenses	28	1,255.95	1,290.10
Total expenses		10,164.42	3,459.52
Profit / (Loss) Before Tax		(2,677.07)	(1,608.87)
Exceptional Items		(2,0771077	(1,000,07)
Profit Before Tax		(2,677.07)	(1,608.87)
Tax Expenses		(2,077.07)	(1,000.07)
Current Tax			
Deferred Tax	17	355.33	(239.22)
Profit/ (Loss) for the year		(2,321.74)	(1,848.09)
Profit/(loss) from discontinued operations			
Tax expense of discontinued operations			
Profit from discontinued operations after tax		-	-
I Profit for the year		(2,321.74)	(1,848.09)
Other Comprehensive Income			
(i) Item that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurements of the defined benefit plans		(216.54)	(49.36)
(ii) Item that will be reclassified to profit or loss		<u> </u>	
Other Comprehensive Income/ (Loss) for the years		(216.54)	(49.36)
T. C.		(2.520.20)	(4.007.45)
Total Comprehensive Income for the period Earnings per equity share:		(2,538.28)	(1,897.45)
(1) Basic (Rs.)		(2.54)	(2.55)
Earnings per equity share:		(2.34)	(2.33)
(2) Diluted (Rs.)		(1.60)	(2.20)
		(1.00)	(2.20)
Significant Accounting Policies & Notes to Financial Statement	s 29 & 30		

Audit Report of even date attached

For D. S. Shukla & Co.

Chartered Accountants

FRN - 000773C

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

Place: New Delhi Date: 23.07.2018 For and on behalf of the Board

Sd/-

(Kumar Keshav) Managing Director

DIN: 02908695

Sd/-

(**Pushpa Bellani**) Company Secretary Sd/-

(Ajai Kant Rastogi)
Director Finance

DIN: 07228424



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

			(₹ in Lakhs)
P.	ARTICULARS	As on 31st March, 2018	As on 31st March, 2017
Α.	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Net Profit/Loss after Tax	(2,538.28)	(1,897.45)
	Adjustment for:- Depreciation	4.420.95	303.48
	Deferred Tax Liability/ (Asset)	4,430.85 (355.33)	239.22
	Grant Allocated from LDA	(418.37)	(8.81)
	Interest Received From FDRs	(6,449.83)	(1,777.47)
	Prior Period Non Cash Income	-	-
	Gain on Disposal of Mobile Handsets	(0.01)	(0.11)
	Interest & Finance Charges	82.65	1.00
	Deffered Government Grant	(4,436.88)	(4,463.12)
	Income Tax Refund	8.85	27.12
	Fair Value Adjustment	(3.47)	-
	SOCIE	(163.86)	(48.48)
	Operating Profit before Working Capital Changes	(9,843.68)	(7,624.62)
	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	20,237.35	(15,928.16)
	(Increase)/Decrease in Current Tax Assets	(2.72)	-
	(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(263.90)	(207.30)
	(Increase)/Decrease in Inventories	(8.23)	-
	Increase/(Decrease) in Provisions	(2,511.18)	4,446.65
	Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	9 16.68	417.63
	Increase/(Decrease) in Trade Payables	12,110.11	2,186.04
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	4,162.51	2,618.47
	Net Cash flow from operating activities	24,796.94	(14,091.29)
В.	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Mobile Handsets Disposed	0.77	0.95
	Fixed Assets Purchased	(1,97,207.32)	(3,390.97)
	Intangible Assets	(0.82)	(100.72)
	Capital Work in Progress	(22,414.02)	(1,19,432.17)
	Intangible Assets under Development	(271.63)	(293.82)
	Net Cash Flow from Investing Activities	(2,19,893.02)	(1,23,216.73)
C.	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
<u> </u>	Share Capital and share Application Money	59,127.00	63,900.00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Grants Received during the year	19,034.84	10,946.35
	Loans raised during the year	1,28,973.00	1,25,100.00
	Loans repaid during the year	-	-
	Interest & Finance Charges	(82.65)	(1.00)
	Interest Received From FDRs	6,449.83	1,777.47
	Fair Value Adjustment	3 .47	
	Net Cash Flow from Financing Activities	2,13,505.49	2,01,722.82



D. Net Changes in cash and Cash equivalents (A + B + C)	18,409.42	64,414.81
E. Cash and Cash Equivalents (Op. Balance)	1,00,718.46	36,303.65
F. Cash and Cash Equivalents (Cl. Balance)	1,19,127.88	1,00,718.46
EXPLANATORY NOTES TO CASH FLOW STATEMENT		
(a) Cash and Cash Equivalents include:		
(i) Cash on hand and balances with bank	15,090.83	62,421.29
(ii) Short Term Investments	1,04,037.05	38,297.17
	1,19,127.88	1,00,718.46

For: D. S. Shukla & Co. Chartered Accountants Membership No: 408990

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

Place: New Delhi Date: 23.07.2018 For and on behalf of the Board

Sd/-(Kumar Keshav) Managing Director

DIN: 02908695

Sd/-

(Pushpa Bellani) Company Secretary Sd/-(**Aja**i

(Ajai Kant Rastogi) Director Finance DIN: 07228424



(₹ in Lakhs)

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

		ت	Gross Block			Depreciation	lion		Net Block	
Particulars	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2018	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustment during the year	For the year	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Computer & Accessories	324.01	23.93	2.34	345.60	106.14	1.89	100.21	204.46	141.13	217.86
Equipment & Machinery	651.76	453.42	1	1,105.18	16.31	1	60.53	76.84	1,028.34	635.45
Mobile Sets	21.14	6.55	0.59	27.10	8.25	0.27	7.51	15.49	11.61	12.88
Furniture	385.50	116.58	1	502.08	37.23	1	41.31	78.54	423.53	348.26
Office Building	66.44	1	1	66.44	3.65	1	1 .05	4.70	61.74	62.79
Vehicle	36.96	1	1	36.96	9.43	1	4.39	13.82	23.14	27.52
Office Equipment	186.81	19.25	1	206.06	68.50	1	3 8.08	106.58	99.49	118.31
Land Free Hold	7,877.74	1,406.09	1	9,283.83	1	1	ı	1	9,283.83	7,877.74
Land Freehold (Barter)	ı	19,445.51	1	19,445.51	1	1	ı	ı	19,445.51	1
Land (Grant from Goup)	0.00002	1	1	0.00002	1	1	1	1	0.00002	0.00002
Lease Hold Land (90 years)	381.69	1	1	381.69	1	1	1	1	381.69	381.69
AFC System	ı	2,966.93	1	2,966.93	ı	1	163.50	163.50	2,803.43	1
Air Conditioning System	'	343.16	1	343.16	ı	1	7 .49	7.49	335.67	1
(Ducted)										
Depot Building	1	17,731.11	1	17,731.11	1	1	302.51	302.51	17,428.60	1
DG Set	!	94.28	1	94.28	ı	1	1.96	1.96	92.33	1
Electrical Installation and	'	112.07	1	112.07	1	1	4.03	4.03	108.04	ı
Equipment		7 1 1 7		7 7 1 1			1	1	11	
Elevators	1	7/:017/1	'	7/:617/1	1		96.77	96.77	1,18/./6	•
E & M Work	'	1,537.66	1	1,537.66	1	1	42.39	42.39	1,495.27	ı
Escalators	1	1,848.12	1	1,848.12	1	1	61.40	61.40	1,786.72	1
Fire Fighting Work	1	254.92	1	254.92	ı	1	9.16	9.16	245.76	1
Rolling Stock	1	26,770.64	1	26,770.64	ı	•	542.07	542.07	26,228.57	1
Security Equipments	1	211.65	1	211.65	ı	1	2.60	7.60	204.05	1
Signages	1	736.18	1	736.18	ı	1	198.32	198.32	537.87	1
Signalling Equipments	1	12,670.97	1	12,670.97	ı	1	404.40	404.40	12,266.57	1
Station Buildings	1	36,172.14	1	36,172.14	1	1	737.31	737.31	35,434.83	1
Telecom Equipments	ı	4,822.97	1	4,822.97	1	1	178.77	178.77	4,644.20	1
Track Work	1	11,578.54	1	11,578.54	1	1	207.94	207.94	11,370.60	1
Traction Equipments	1	16,508.32	1	16,508.32	1	1	294.05	294.05	16,214.27	1
Tubewells	'	39.60	1	39.60	1	1	1.42	1.42	38.17	ı
UPS System	1	122.04	1	122.04	1	1	5.39	5.39	116.65	1
Viaduct	1	39,998.97	ı	39,998.97	ı	1	826.09	826.09	39,172.88	1
Total - Current Year	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	249.51	2.16	4,276.84	4,524.19	2,02,612.25	9,682.51
- Previous Year	6,542.29	3,390.97	1.23	9,932.03	93.63	(0.47)	156.35	249.52	9,682.51	6,448.66



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

(₹ in Lakhs)

		Ō	Gross Block			Depreciation	ion		Net Block	
Particulars	As at 1.04.2016	As at Additions/ Sale/ Adjustments Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2017	As at 1.04.2016	Additions/ Adjustment during the year	For the year	Upto 31.03.2017	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016
Computer & Accessories	182.69	141.32	1	324.01	32.28	1	73.86	106.14	217.86	150.41
Equipment & Machinery	78.74	573.02	1	651.76	2.72	1	13.59	16.31	635.45	76.02
Mobile Sets	99.6	12.71	1.23	21.14	2.71	(0.39)	5.94	8.25	12.88	6.95
Furniture	139.88	245.62	'	385.50	14.44	1	22.80	37.23	348.26	125.44
Office Building	66.44	1	1	66.44	2.60	1	1.05	3.65	62.79	63.84
Vehicle	36.96	1	1	36.96	5.14	(0.09)	4.39	9.43	27.52	31.82
Office Equipment	170.58	16.22	'	186.81	33.74	0.02	34.74	68.50	118.31	136.84
Land Free Hold	5,476.25	2,401.49	1	7,877.74	1	1	1	1	7,877.74	5,476.25
Land (Grant from Goup)	0.00002	1	1	0.00002	'	1	1	1	0.00002	0.00002
Lease Hold Land (90 years)	381.08	09.0	1	381.69	1	1	1	ı	381.69	381.08
	1	1	1	i	1	1	-	1	1	İ
Total - Current Year	6,542.29	3,390.97	1.23	9,932.03	93.63	(0.47)	156.35	249.52	9,682.51	6,448.66
- Previous Year	183.60	6,383.90	25.20	6,542.29	14.07	6.13	76.30	93.63	6,448.66	169.53

Land Freehold (Barter) - Land has been received against construction of 41 Flats for Sampooranand Jail, Hockey Ground and Residential & Non - Residential Buildings of PAC Campus against which construction cost of INR 174.00 Cr.

The land has been fair valued at the market price on the date of acquisition.

[#] During the FY 2017-18, the Land has been obtained from Ministry of Defence for which the right to use the Land have been given on permanent basis. The Land, hence, has, been capitalized on the basis of payment discharged to the Defence Department.

[#] During the FY 2017-18 Priority Corridor of North-South Corridor comprising of 8.50 Kms. was opened for public for which assets costing INR 1757.00 Cr. (approx.) were capitalized from Capital Work in Progress

[#] During the FY 2017-18 Borrowing Costamounting to INR 92.13 Lakhs capitalised in PPE.

[#] The total cost of freehold land of INR 9283.83 Lakhs acquired and required execution of title, ad-measuring to 43,957.68 Square Meters, through different Private Parties for Lucknow Metro Rail Project up to 31st March 2018. The land admeasuring 19830.00 Square meter are under process of title execution.

[#] The land acquired on leasehold basis is registered leasehold land admeasuring to 84229.64 Square meters.

(₹ in Lakhs)

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress#

Closing Balance 25.59 41.97 219.21 1,36,924.02 1,574.32 8,562.55 1,167.53 22,756.18 1,153.08 10,108.38 11,633.19 1,94,166.02 1,81,181.51 2,07,386.48 86.23 2,837.14 97,138.52 310.60 36,457.04 211.65 728.23 10,910.15 15,673.60 1,72,012.47 2,903.21 4,644.03 Capitalised during the year 111.82 112.07 253.62 3,056.35 4,477.53 8,562.55 1,478.13 728.23 **Total** 2,34,062.54 59,213.22 5,797.11 21,018.53 27,306.79 3,66,178.49 3,88,567.99 2,03,595.53 25.59 1,14,160.36 2,388.87 208.15 161.55 4,304.46 1,88,868.75 Additions/Adjustment during the year 7,870.07 43,094.94 2,182.32 12,612.51 As at 01-04-2017 2,088.66 1,19,902.18 86.23 692.48 253.62 566.68 1,84,972.46 16,118.28 14,694.28 1,77,309.74 1,254.65 1,269.98 3,614.79 16,714.07 Buildings & Viaduct, Brid Tunnels, Culverts Bunders Add: Expenses During Construction Electric Installation & Equipment Automatic Fare Collection Rolling Stock & Signalling Escalators & Elevators Telecom Equipments LMRC Staff Quarters Plant and Machinery Security Equipments **Traction Equipments** Frack Work (P-Way) Furniture & Fixtures **Grand Total Particulars** Signages Total

[#] Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor comprising of 14.278 Kms. Capital Work in Progress includes INR 119.00 Lakhs (PY. 33.50 Lakhs) on account of Interest on EIB Loan.



NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress

Note 2 - Capital work - in - Progress					(₹ in Lakhs)
Particulars	As at 01-04-2017	Additions/Adjustment during the year	Total	Capitalised during the year	Closing Balance
Automatic Fare Collection		1,254.65	1,254.65	-	1,254.65
Buildings & Viaduct, Brid Tunnels, Culverts Bunders	53,464.75	66,437.43	1,19,902.18	-	1,19,902.18
Electric Installation & Equipment	-	53.84	53.84	_	53.84
Escalators & Elevators	-	99'88'6'	2,088.66	ı	2,088.66
Furniture & Fixtures	15.44	62'02	86.23	ı	86.23
LMRC Staff Quarters	-	692.48	692.48	ı	692.48
Plant and Machinery	-	1,269.98	1,269.98	ı	1,269.98
Rolling Stock & Signalling	2,381.41	13,736.87	16,118.28	1	16,118.28
Security Equipments	-	253.62	253.62	-	253.62
Signages	-	29999	266.68	-	566.68
Telecom Equipments	-	3,614.79	3,614.79	_	3,614.79
Track Work (P-Way)	5,406.88	11,307.19	16,714.07	-	16,714.07
Traction Equipments	715.15	13,979.13	14,694.28	-	14,694.28
Total	61,983.63	1,15,326.11	1,77,309.74	_	1,77,309.74
Add: Expenses During Construction	3,556.66	4,106.06	7,662.72	_	7,662.72
Grand Total	65,540.29	1,19,432.17	1,84,972.46	-	1,84,972.46



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 3 - Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

		i5	Gross Block			Amortization	tion		Net	Net Block
Particulars	As at 1.04.2017	As at Additions/ 2017 Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2018	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustment	For the year	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Software & Licenses	173.71	0.82	1	174.54	50.65	I	47.23	88'26	76.65	123.06
Rights for using Land	3,737.89	'	1	3,737.89	137.85	ı	106.80	244.65	3,493.24	3,600.03
	-	ı		-	1	-	-	-	1	ı
Total - Current Year	3,911.60	0.82	•	3,912.43	188.51	ı	154.02	342.53	3,569.89	3,723.09
- Previous Year	3,810.88	100.72	•	3,911.60	42.03	0.65	1 47.13	188.51	3,723.09	27.33

Note 3 - Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

		Gross Block					Amortization		Net Block	ock
Particulars	As at 1.04.2016	As at Additions/ Deduction/ 1.04.2016 Adjustments Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2017	As at 1.04.2016	Additions/ Adjustment	For the year	Upto 31.03.2017	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016
Software & Licenses	72.99	100.72	-	173.71	10.97	0.65	40.34	50.65	123.06	62.02
Rights for using Land	3,737.89	1	1	3,737.89	31.06	1	106.80	137.85	3,600.03	3,706.83
	1	1		1	1	1	ı	1	ı	ı
Total - Current Year	3,810.88	100.72		3,911.60	42.03	0.65	147.13	188.51	3,723.09	3,768.85
- Previous Year	•	3,780.61		3,810.88	2.94	•	39.09	42.03	3,768.85	27.33

Note 4- Intangible Assets Under Development

Particulars	As on 1st April 2017 during the year	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized	Capitalized As on 31st March 2018
ERP Software	293.82	260.49	554.31	ı	554.31
Website -		11.14	11.14	ı	11.14
Total - Current Year	293.82	271.63	271.63 565.45	1	565.45
- Previous Year	•	293.82	293.82	1	293.82



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 5 - Other Financial Assets

Total

(₹ in Lakhs) 2.68 2.68 As at April 1, 2016 152.88 As at March 31, 2017 156.31 177.80 As at March 31, 2018 Electricity Security Deposit Security to DFO Long Term **Particulars**

Note 6 - Other Non Current Assets

As at April 1, 2016 2,975.28 As at March 31, 2017 3,591.92 As at March 31, 2018 - Plant and Machinery Advance Advances to Contractors - Mobilisation Advances Non-Current **Particulars** Total

(₹ in Lakhs)

Note 7 - Inventories

(₹ in Lakhs) As at April 1, 2016 As at March 31, 2017 As at March 31, 2018 8.23 8.23 Loose Tools, Spares and Stationery **Particulars** Total



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

NOTE NO. 8 - Cash & Cash Equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2018	arch 2018	As on 31st March 2017	arch 2017	As on 1st	As on 1st April 2016
i) Balances with Banks in Current Accounts						
a) HDFC A/c No.50100101197587	14,945.68		70,082.99		554.76	
b) HDFC A/c No.50200009236810	13.78		(478.41)		1,530.28	
c) SBI Account No. 36257192704	8.76		0.01		1	
d) HDFC A/c No.50200026910055	52.47	15,020.69		69,604.59	1	2,085.04
ii) Balances with Banks in other Accounts						
a) Flexi Deposits With SBI	3,968.31		3,232.55		27,608.34	
SBI-33509093494	4.54		(7,179.72)		3,545.76	
SBI-35778181248	1.29	3,974.14	(3.59)	(3,950.76)	1	24,062.58
b) Term Deposits			ı			
i) HDFC Bank	1,00,068.74		35,064.61		153.18	
ii) State Bank of India		1,00,068.74	ı	35,064.61	10,002.85	10,156.03
iii) Cheques/ Drafts on Hand	64.29	64.29		0.01		•
Grand Total		1,19,127.86		1,00,718.45		36,303.65

Note 9 - Other Financial Assets

Particulars	As on 31st March 2018	As on 31st March 2017	As on 31st March 2016
Short Term			
Interest accrued	448.76	203.55	160.41
Security Deposit with DMRC		8.31	•
Lease Rent Security	15.65	18.32	16.10
Total	464.41	230.18	176.51



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 10 - Current tax Assets

Tax Deducted at Source

Total

Particulars

(₹ in Lakhs) As at April 1, 2016 As at March 31, 2017 2.72 As at March 31, 2018

Note 11 - Other Current Assets

Particulars	As at March 31, 2018	As at March 31, 2017	As at April 1, 2016
Current			
Advances to Contractors			
- Mobilisation Advances	14,841.40	29,179.28	24,659.35
- Material Advance	2,094.79	1,786.63	693.97
- Plant and Machinery Advance	2,152.55	6,690.22	202.36
- Other Advances*	821.86	262.66	29.20
- Input GST	27.62	•	1
- Other Current Assets **	204.33	23.15	20.83
- Receivable from State Govt. for State Taxes	1,153.97	1	,
Total	21,296.52	37,941.94	25,605.71

^{*} Other Advances includes INR 820.10 Lakhs (PY 2016-17 INR 242.56 Lakhs) amount incurred for Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Kanpur Metro, Meerut Metro,

Varanasi Metro which will be recovered from them on their incorporation
**Other Current Assets includes Prepaid Expenses, Staff Temporary Advances, Station Imprest, Cheques with ADM (LA) LKO for Land Acquisition etc.

% Holding

No Of Shares (in Lakh)

% Holding

% Holding No Of Shares (in Lakh)

No Of Shares (in Lakh)

holding more than 5% shares:

Name Of Shareholder
Governor of Uttar Pradesh

President of India

77.44%

22.55%

212.60

41.20%

651.60

58.80%

%66.66

380.00



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 12 - Share Capital

(₹ in Lakhs) 38,005.00 2,00,000.00 2,00,000.00 38,005.00 7,005.00 31,000.00 38,005.00 Amount Amount As on 1st April 2016 380.05 380.05 380.05 2,000.00 No. of Shares (in Lakh) No. of Shares (in Lakh) Amount Amount 2,00,000.00 2,00,000.00 94,265.00 94,265.00 38,005.00 56,260.00 94,265.00 As on 31st March 2017 2,000.00 942.65 562.60 942.65 2,000.00 942.65 No. of Shares (in Lakh) No. of Shares (in Lakh) 380.05 Amount Amount 2,000.00 2,00,000.00 1,581.65 1,58,165.00 2,00,000.00 1,58,165.00 94,265.00 63,900.00 1,58,165.00 As on 31st March 2018 1,581.65 639.00 2,000.00 942.65 1,581.65 No. of Shares (in Lakh) No. of Shares (in Lakh) amount outstanding at the beginning and at the (A) Reconciliation of the number of shares and Shares outstanding at the beginning of the year (B) Details of shares held by each shareholder Equity Shares of Rs 100 each fully paid up Shares Issued during the year- Fresh Issue Shares outstanding at the end of the year Issued, Subscribed and Paid-up Equity Shares of Rs 100 each end of the reporting period: **Authorized Capital Particulars Particulars** Total



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW **LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED**

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018 **NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

Note 13 - Other Equity

(₹ in Lakhs)

Non Monetary Grants Deferre (4,431.99) - 52, (163.86) (163.86) - 19,034.84 (2,321.74) (216.54) 8.85 (00) (7,125.28) (7,125.28) (7,125.28)	Particulars	Share application money	Reserve and Surplus	Capital	Monetary Grant	Total
ginning of the reporting period- 31/03/2017 36,400.00 (4,431.99) - 55,231.04 thing policy prior period errors (163.86) 19,034.84 - 19,034.84 tent - Non Monetary Grant (2,321.74) (2,321.74) 19,034.84 (2,16.54) sive Income tax refund) 8.85 8.85 8.85 (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63		hending Amount	Retained Earnings	Non Monetary Grants	Deferred Grant	
tring policy prior period errors (163.86) 19,034.84 nent - Non Monetary Grant - 19,034.84 sive Income (2,321.74) 8.85 (Income tax refund) 59,127.00 8.85 Money Received 59,127.00 (63,900.00) al Issued (63,900.00) (63,900.00) ital Work in Progress ome dof the reporting period- 31/03/2018 31,627.00 40 the reporting period- 31/03/2018 19,034.84 40 47,125.28)	Balance at the beginning of the reporting period- 31/03/2017		(4,431.99)	٠	52,782.86	84,750.87
ital Work in Progress io fithe reporting period- 31/03/2018 io fithe reporting period- 31/03/2	Changes in accounting policy prior period errors		(163.86)			(163.86)
sive Income (2,321,74) (2,321,74) (Income tax refund) 8.85 Money Received 59,127.00 al Issued (63,900.00) ital Work in Progress (63,900.00) ome (7,125.28) 4 of the reporting period- 31/03/2018 31,627.00	Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant		1	19,034.84		19,034.84
63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00)	Profit for the year		(2,321.74)			(2,321.74)
63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (63,900.00) (7,125.28) (7,125.28) (9,034.84 43)	Other Comprehensive Income		(216.54)			(216.54)
59,127.00 (63,900.00) (od-31/03/2018 31,627.00 (7,125.28) 19,034.84 4:	Any other change (Income tax refund)		8.85			8.85
(63,900.00) iod-31/03/2018 31,627.00 (7,125.28) 19,034.84 4:	Share Application Money Received	59,127.00				59,127.00
iod- 31/03/2018 31,627.00 (7,125.28) 19,034.84 43	Equity Share Capital Issued	(63,900.00)				(63,900.00)
31,627.00 (7,125.28) 19,034.84 4:	Transferred to Capital Work in Progress				(4,436.88)	(4,436.88)
31,627.00 (7,125.28) 19,034.84	Transferred to Income				(418.37)	(418.37)
	Balance at the end of the reporting period- 31/03/2018	31,627.00	(7,125.28)	19,034.84	47,927.61	91,464.17

Explanatory Notes in respect of Share Application Money Pending Allotment

- 1. No. of Shares to be issued is 316.27.00 Lakhs Shares (31.03.2017: 364.00 Lakhs shares, 01-04-2016: 287.60 Lakhs shares) of INR 100 Each
- The Share application money pending allotment above includes INR 3500 Lakhs received from UPSIDC in FY 2014-15 and FY 2015-16 out of which INR 1000 Lakhs is alloted in the name of Governor of UP and Balance INR 2500 Lakhs is still pending for allotment since as per DPR funding pattern shares cant be alloted to UPSIDC.



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 13 - Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money	Reserve and Surplus	Capital	Monetary Grant	Total
	Delianing Amount	Retained Earnings	Non Monetary Grants	Deferred Grant	
Balance at the beginning of the reporting period- 31/03/2016	28,760.00	(2,513.90)		46,308.44	72,554.54
Changes in accounting policy prior period errors		(47.76)			(47.76)
Grant Received during the Year				10,946.35	10,946.35
Profit for the year		(1,848.09)			(1,848.09)
Other Comprehensive Income		(49.36)			(49.36)
Any other change (Income tax refund)		27.12			27.12
Share Application Money Received	63,900.00				63,900.00
Equity Share Capital Issued	(56,260.00)				(56,260.00)
Transferred to Capital Work in Progress				(4,463.12)	(4,463.12)
Transferred to Income				(8.81)	(8.81)
Balance at the end of the reporting period- 31/03/2017	36,400.00	(4,431.99)	•	52,782.86	84,750.87

Explanatory Notes in respect of Share Application Money Pending Allotment

- No. of Shares to be issued is 364.00 Lakhs Shares (01-04-2016: 287.60 Lakhs shares) of INR 100 Each
- The Share application money pending allotment above includes INR 3500.00 Lakhs received from UPSIDC in FY 2014-15 and FY 2015-16 out of which INR 1000.00 Lakhs is alloted in the name of Governor of UP and Balance INR 2500.00 Lakhs is still pending for allotment since as per DPR funding pattern shares cant be alloted to UPSIDC.



REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 14 - Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2018	arch 2018	As on 31st March 2017	arch 2017	As on 31st	As on 31st March 2016
Subordinate Debts From Government of UP (GoUP) (Interest Free & Unsecured)						
For Central Taxes	39,505.00		26,000.00		6,000.00	
For Land	29,000.00	68,505.00	27,500.00	53,500.00	12,500.00	18,500.00
Subordinate Debts From Government of India (Gol) (Interest Free and Unsecured)						
For Central Taxes	24,700.00	24,700.00		8,832.00		2,832.00
Interest Bearing Loans From Government of India against European Investment Bank						
,	1,82,200.00	1,82,200.00		84,100.00		1
Total		2,75,405.00		1,46,432.00		21,332.00

Explanatory Notes

- 1. Loan/ Subordinate Debt provided by Gol/ GoUP are at the same terms and conditions at which such loans is provided to other metro project and are therefore considered to be at fair
- 2. Interest bearing loan from EIB through GoI is repayable in 16 Years (Half Yearly Equal Installments) after the expiry of moratorium period of 4 Years.
- 3. Interest Free Subordinate Debts from Gol, GoUP are repayable in 10 equal installments after the repayment of Interest Bearing Loan from EIB through EIB.
- Euros at Interest Rate of 0.287 % EURIBOR for 100 Million Euros and 0.161 % EURIBOR for 100 Million Euros with a repayment period of 20 Years (including a Grace Period of 4 Years) as per Finance Agreement dated 30-03-2016. However Gol has released INR 182200.00 Lakhs up to 31-03-2018 to the company out of EIB Loan as Pass Through Assistance. EIB Loans are Sovereign Loans and therefore Gol is arranging Pass Through Assitance for execution of the works. The said PTA of INR 182200.00 Lakhs received upto March 31st 2018, has been shown 4. European Investment Bank has sanctioned 450.00 Million Euros, on reimbursement basis for the Lucknow Metro Rail Project, Two tranches of Loan has been received of 200.00 Million under Long Term Borrowings as Unsecured Loans.



Note - 15 Other Financial Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2018	As at March 31, 2017	As at April 1, 2016
Long Term Performance Cuarantee Received	541.48	293.88	7 9.16
Total	541.48	293.88	79.16

Note 16 - Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2018	As at March 31, 2017	As at April 1, 2016
Long Term FOR EMPLOYEE BENEFITS			
Leave Encashment	623.62	117.97	12.53
Total	623.62	117.97	12.53

Note 17 - Deferred Tax Liabilities/Assets

(₹ in Lakhs)

Par	ticulars	As on 31st March 2018	As on 31st March 2017	As on 1st April 2016
i)	Deferred Tax Assets	-	-	-
a)	Unabsorbed Depriciation as per Income Tax		93.78	37.11
b)	Provision for employee benefit schemes & others		62.32	-
	Sub Total (i)		156.10	116.10
ii)	Deferred Tax Liabilities			
a)	Depriciation/Amortisation		355.67	215.67
b)	Preliminary Expenses W/ Off	-	39.66	39.66
	Sub Total (ii)			
	Add/ Less: Opening Balance	355.33	116.10	(102.12)
Def	ferred Tax Liability / (Asset) (Net)	(355.33)	355.33	116.10

Deferred Tax asset has not been recognised as there is no virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

Note 18 - Trade Payables

Particulars	As at March 31, 2018	As at March 31, 2017	As at April 1, 2016
Total outstanding dues of micro and small scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ₹ Nil/-)	-	-	-
Total outstanding dues of Medium scale Industrial	-	-	-
Undertaking(s). (Due over 30 days ₹ Nil/-)			
TA Payable	0.58	0.79	-
Sundry Creditors for CWIP and Capital Goods	18,318.96	6,500.57	3,678.15
Professional & Other services Payable	20.33	73.21	715.14
Advances from Customers	87.60	-	-
Others	340.66	83.45	78.70
Total	18,768.13	6,658.02	4,471.99



Note 19 - Other Financial Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2018	As at March 31,2017	As at April 1,2016
Short term			
Deposit/Retention Money From Contractors & Others	6,959.34	3,044.43	640.68
Total	6,959.34	3,044.43	640.68

Note 20 - Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2018	As at March 31,2017	As at April 1,2016
Current			
Duties & Taxes Payable	1,020.93	928.29	557.31
Payable for employees	146.04	105.95	59.31
Advance for Recruitment	541.34	-	-
Interest on EIB Loan	224.04	-	-
Security Deposits from Customers	18.59	-	-
Total	1,950.94	1,034.24	616.62

Note 21 - Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2018	As at March 31,2017	As at April 1,2016
Short Term			
FOR EMPLOYEE BENEFITS			
Leave Encashment	0.64	63.74	17.73
Others*	1,341.46	4,295.20	-
Total	1,342.10	4,358.94	17.73

^{*}Others include CWIP Expenses Payable, Employee Reimbursement Expenses Payable, Equipment Hiring & Maintenance Exp Payable, Interest Accrued But Not Due (EIB Loan), Provision for Custom Duty Reimbursement, Provision for Gratuity Contribution, Provision for Pension Contribution etc.

Note 22 - Revenue from Operations

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Fare Box Revenue	435.45	-
Non Fare Box Revenue	119.95	0.43
Total	555.40	0.43



Note 23 - Other Incomes

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Other Income:-		
Miscellaneous Income	34.98	63.95
Interest Income:-		
Term Deposits/FDR	5,765.80	1,169.21
Flexi Deposits	396.03	556.94
Interest on E Net A/c	288.00	51.31
Deferred Revenue Grant	418.37	8.81
Fair Value Adjustment	28.77	-
Total	6,931.95	1,850.22

Note 24 - Operating Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Security Expenses	666.13	8.39
Electricity Expenses	660.82	47.27
Equipment Running & Maintenance Expenses	15.13	7.07
Housekeeping Expenses	164.05	-
Depot Running & Maintenance Expenses	21.30	-
Station Running & Maintenance Expenses	70.62	-
Stores and Consumables	5.18	-
Insurance expenses	13.49	-
Total	1,616.72	62.73

Note 25 - Employees' Benefit Expenses

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Salaries allowances & other benefits	1,510.77	999.57
Contribution to Provident Fund & Pension Scheme	287.38	250.32
Lease Rent for Staff Accomodation	206.87	184.86
Medical Expenses	22.71	26.57
Vehicle Hire Charges	276.12	123.59
Staff Uniform Expenses	25.90	55.54
Leave Encashment Expenses	314.96	109.76
Contribution Towards Gratuity	133.56	52.00
Total	2,778.27	1,802.21



Note 26 - Finance Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Bank Charges	1.25	1.00
Interest on EIB Loan	81.39	-
Total	82.64	1.00

Note 27 - Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Depreciation / Amortization for the year		
a) Tangible Assets	4,276.82	156.35
b) Intangible Assets	154.02	147.13
Total	4,430.84	303.48

Note 28 - Other Expenses

Particulars	For the year ending 31.03.2018	For the year ending 31.03.2017
Printing & Stationery Expenses	115.98	63.70
Telephone , Internet & Communication Expenses	88.36	55.75
Books,Periodicals,Newspapers & Magazines Expenses	0.71	2.02
Auditors Remuneration	3.79	2.07
Advertisement & Publicity Expenses	123.18	114.04
Office Running & Maintenance Expenses	95.08	56.52
Postage & Courier Expenses	0.81	1.86
Miscellaneous Expenses	50.93	2.73
Travelling & Conveyance Expenses	130.36	139.37
Training & Recruitment Expenses	11.16	186.47
Hospitality & Refreshment Expenses	74.10	88.52
Outsourcing & Job Work Expenses	142.52	103.81
Statutory Expenses	0.05	0.88
Seminar, Ceremony, Conference Expenses	233.55	146.39
Commission & Brokerage	0.14	1.59
Licence, Legal & Other Expenses	9.11	6.20
Professional & other services	107.19	278.77
Rent, Rates & Taxes	43.63	39.41
Fair Value Adjustments	25.29	-
Effect of Forex Fluctuations	0.01	-
Total	1,255.95	1,290.10

ANNUAL REPORT 2017-18



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उ.प्र. "आडिट भवन" टीसी—35-V-I, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010



Indian Audit & Accounts Department Office of the Accountant General (Economic & Revenue Sector Audit), U.P., "Audit Bhawan" TC-35-V-1,Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010

संख्या : ई.एस-1/कम्पनी लेखा/LMRC/2017-18/1062 दिनांकः 27 सितम्बर, 2018

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ — 226 010

महोदय,

एतत्सह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका—टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका—टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The Office of the Accountant General (Economic and Revenue Sector Audit), Uttar Pradesh, disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

सहपत्र– यथोपरि।

(राज कुमार) प्रधान निदेशक

भवदीय



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2018.

The preparation of financial statements of Lucknow Metro Rail Corporation Limited. Lucknow for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) or 139(7) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 July 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit of financial statements of Lucknow Metro Rail Corporation Limited, Lucknow for the year ended 31 March 2018 under Section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and, which in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Financial Position:

Balance Sheet

Liabilities

1. Other Current Liabilities: ₹19.51 crore (Note-20)

Northern Railway (NR) vide its letter dated 28 February 2018 demanded crossing charges of ₹ 34.30 crore from the Company for permission to cross Railway land at four locations. Out of that, the Company had deposited ₹ 33.06 crore to NR during 2015-16. The remaining pending balance of ₹ 1.24 crore has been shown as Contingent Liability. Since, the Company is bound to pay this amount to NR and the same has also been acknowledged by the Management in its records, showing the same as contingent liability in books of accounts is not appropriate. This



has resulted in understatement of current liability as well as Capital Work in Progress (CWIP) by ₹ 1.24 crore each.

2. Provisions: ₹ 13.42 crore (Note-21)

As per Ins AS 37 (para 10), "a provision is a liability of uncertain timing or amount" whereas "a contingent liability is (a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or (b) a present obligation that arises from past events but is not recognised because: (i) it is not probable that an outflow or resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient realibility".

The Company is carrying out the construction activities on the railway land between Daliganj-Baadshahnagar Railway stations in Lucknow. The company has to pay charges for permission to cross railway land along with temporary use of railway lands for nine months in view of Railway Board's Policy in this regard. The Company has made an estimate of ₹ 8.95 crore towards the same and forwarded (November 2017) it to the concerned Railway Authorities. The Company has shown this amount as Contingent liability in its books of accounts.

Since, the Company is bound to pay these charges to Railway in view of Railway Board's policy and given the fact that the Company has paid these charges in another case of crossing railway lands during 2015-16, in terms of above provisions of Ind AS 37, a provision for the same is required to be made in the books of accounts instead of treating the same as Contingent Liability. Non-provision of the same has resulted in understatement of Short term provisions as well as Capital Work in Progress (CWIP) by ₹8.95 crore each.

3. the above includes ₹ 1.09 crores withheld as retention money from contractors (M/s Aquafrisch SL ₹ 18.06 lakh. M/s Autolift Gmbh ₹ 60.04 lakh, M/s Lukas Hydraulic Gmbh ₹ 13.53 lakh. M/s Windhoff ₹ 17.82 lakh). Since, this is in nature of amount retained (in the form of security etc.) from the bills of the contractors while making payments, hence the same should have been shown under the head 'Other Financial liabilities (Note-19)' instead of under 'Provision'.

This has resulted in overstatement of Provisions and understatement of other financial liabilities (Note-19) by ₹ 1.09 crore each.

4. Other Current Assets: ₹212.97 crore

The above includes (a) ₹ 8.20 crore incurred by the Company on behalf of Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Kanpur Metro, Meerut Metro and Varanasi Metro which would be



recovered by LMRC from these entities on their incorporation; and (b) ₹ 11.54 crore receivable from the State Government on account of State Taxes.

Since, both of these amounts are recoverable in cash or in form of another financial asset from another entity, hence, the same should have been shown under Other Financial Assets (Note-9) instead of Other Current Assets (Note-11) as required under Ind AS-32.

This has resulted in overstatement of Other Current Assets and understatement of Other Financial Assets by ₹ 19.74 crore (₹ 8.20 crore + ₹ 11.54 crore) each.

(B) Comments on Cash Flow Statement

5. In the Cash Flow Statement, the Company has shown ₹ 64.50 crore as interest received from FDRs under the head 'Cash flow from Financing Activities' which should have been instead shown under the head]Cash flow from Investing Activities' as required under Ins AS-7. This has resulted in overstatement of Cash flow from Financing Activities and understatement of Cash flow from Investing Activities to that extent.

(C) Comments on Cash Flow Statement

6. Earnings per equity share: (1) Basic - (2.54), (2) Diluted - (1.60)

The Basic and Diluted earnings per equity share have been mentioned as ₹ (2.54) and ₹ (1.60) per equity share on the face of Statement of Profit and Loss and in Note-30 'Notes to Financial Statements read with Sl. No. 10 'Disclosure in respect of Ind AS 33 Earnings Per Share". The Company has calculated the same incorrectly. The correct Basic and Diluted earnings per equity share are ₹ (1.70) and ₹ (1.59) respectively.

Thus the Basic and Diluted earnings per equity share are wrongly mentioned in the Financial Statements.

For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Place: Lucknow

Date: 27 September 2018

(Raj Kumar) Principal Director



Management Replies in reference to CAG report under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 vide letter no.

E S-1/Company Accounts/LMRC/2017-18/1062 dated 27-9-2018

Sr. No.	CAG Comments	LMRC Replies/Compliances		
1.	(A) Comments on Financial Position: Balance Sheet	Contingent Liabilities as mentioned in Ind. AS 37.		
	Balance Sheet Liabilities Other Current Liabilities: INR 19.51Cr. (Note-20) Northern Railway (NR) vide its letter dated 28 February 2018 demanded crossing charges of INR 34.30 Cr. from the Company for permission to cross Railway land at 04 locations. Out of that, the Company had deposited INR 33.06 Cr. to NR during 2015-16. The remaining pending balance INR 1.24 Cr. Since, the Company is bound to pay this amount to NR and the same has also been accorded by Management in records, showing it contingent liability in books of accounts is not appropriate. This has resulted in understatement of current liability as well as Capital Work in Progress (CWIP) by INR 1.24 Cr. each.	 A contingent liability is: (a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or (b) a present obligation that arises from past events but is not recognized because: (i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. LMRC is of the view that these obligations are more covered under the definition of the contingent liabilities as the substance reflects Contingent nature, the facts are not sure at this stage. The same are reflected as well. Northern Railway after considering the LMRC's request to charge LMRC for permission to cross Railway Land at different locations, for the land to be utilised by LMRC for operational purposes (not for Commercial use) at the rates as published in the D. M's list of land rates, reduced the charges for crossing Railway Land to INR 34.30 Cr. including GST charges. LMRC had paid INR 33.06 Cr. to NR for permission to cross Railway land during 2015-16 when service tax @ 15% was applicable. In the Meantime, GST came into force w.e.f. 01-07-2017 so the difference of amount of INR 1.24 Cr. pertains to GST which as per LMRC was not payable to railways since payment was made in 2015-16 itself. Management in LMRC is of the view that the matter be reviewed. The matter is still under consideration. The charges demanded by NR have so 		



far not been accepted by LMRC. Hence, the amount of INR 1.24 Cr. demanded by Northern Railway, was shown as contingent liability and not as current liability as on 31.03.2018 pending final decision. As and when the issue is finalized the same shall be taken to confirmed liability.

2. | Provisions: ₹ 13.42 crore (Note-21)

As per Ind AS 37 (Para 10). "a provision is a liability of uncertain timing or amount"

Whereas " a contingent liability is (a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly with the control of the entity: or (b) a present obligation that arises from the past events but is not recognized because: (i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation: or (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.

The Company is carrying out the construction activities on the railway land between Daliganj-Baadshahnagar Railways station in Lucknow. The company has to pay charges for permission to cross railways land long with temporary use of railway lands for nine months in view of Railway Board's Policy in the regard. The Company has made an estimate of INR 8.95 crore towards the same and forwarded (November 2017) it to the concerned Railway Authorities. The Company has shown this

The following issues merit attention with regards to classifying Crossing charges demanded by Northern Railways as contingent liability:

The matter of granting permission by North Eastern Railway to LMRC is under process by them. It is understood that the case has been sent from the office of Divisional Railway Manager, North Eastern Railway, to the office of Principal Chief Engineer, North Eastern Railway, Gorakhpur. But no approval/the advice for making payment to North Eastern Railway has yet been received by LMRC.

The request for granting permission to cross North Eastern Railway Land of area 1128.54 sq. m and the request for granting approval for temporary use of North Eastern Railway Land of area 287.35 sq. m. was submitted by LMRC on 07-11-2017.

Metro Rail Project being a time bound project with objective to provide mass transport facility to the common public, the work at the proposed site has been started in terms of Ministry of Urban Development, Gol, Office Memorandum No. K-14011/50/2014-MRTS-III dated 27th January 2015. Relevant Para 3.1 relating to use of land is reproduced as below:

- "Once a Metro Rail Project has been approved by the Cabinet, all Ministries/Departments may accord operating rights on the relevant land (sought by the Metro Rail Company as per the Detailed Project Report) immediately, even during consultations between the concerned ministries pending the actual transfer of the land, so that work of the project does not suffer and people are not put to inconvenience".

The amount to be paid by LMRC to North Eastern Railway has not yet been advised by North Eastern Railway. The likely charges payable to North Eastern



amount as Contingent liability in its books of accounts.

Since, the Company is bound to pay these charges to Railway in view of Railway Board's Policy and given the fact that the Company has paid these charges in another case of crossing railway lands during 2015-16. In terms of above provisions of Ind AS 37, a provision for the same is required to be made in the books of accounts instead of treating the same as Contingent Liability. Nonprovision of the same has resulted in understatement of short term provision as well as Capital Work in Progress (CWIP) by INR 8.95 crore each.

Railway for the permission to cross North Eastern Railway Land was estimated in LMRC office and amount of INR 8.95 Cr. was shown as contingent liability as on 31.03.2018 in the Books of LMRC.

Under the above mentioned circumstances the issue relating to liability on this account is yet to be confirmed pending final decision. As the demand is not yet confirmed. It does not seem to qualify for provision in Balance Sheet and hence included in Contingent liability.

3. The above includes INR1.09 Cr. withheld as retention money from contractors (M/s Aquafrisch SL INR 18.06 lakh, M/s Autolift GmbhI NR 60.04, M/s Lukas Hydraulic GmbhINR13.53 lakh, M/s Windhoff INR 17.82 lakh). Since, this is a nature of retention deducted from the bills of the contractors while making payment; hence it should have been shown under the head 'Other Financial liabilities (note-19)' instead of showing under 'Provision'.

This has resulted in overstatement of Provisions and understatement of other financial liabilities (note-19) by INR1.09 Cr. each.

Inadvertently the amount has been included in provisions instead of other financial liability however both the heads are part of current liability. It is assured that compliance of the same will be made in the current year.

4. Other Current Assets – INR 212.97 Cr.
The above includes (a) INR 8.20 Cr.
incurred by the Company on behalf
of Agra Metro, Allahabad Metro,
Gorakhpur Metro, Kanpur Metro,
Meerut Metro, Varanasi Metro

The same has been inadvertently included under other current assets however both the heads are part of current assets It is assured that compliance of the same will be made in the current year.



which would be recovered by LMRC from these entities on their incorporation and (b) INR 11.54 Cr. receivable from State Govt. for State Taxes.

Since, both of these amounts are recoverable in cash or another financial asset from another entity, hence, it should have been shown under Other Financial Assets (Note-9) instead of Other Current Assets (Note-11) as required by Ind AS 32.

This has resulted in overstatement of other Current Assets and understatement of Other Financial Assets by INR8.20 Cr. (Other Advances) &INR 1,1.54 Cr. (Receivable from State Govt. for State Taxes) each.

5. Comments on Cash Flow Statement

In the Cash Flow Statement, the Company has shown INR 64.50 Cr. as interest received from FDRs in the head 'Cash flow from Financing Activities' which should have been shown under the head 'Cash flow from Investing Activities.' As required by Ind. AS 7. This has resulted in overstatement of Cash flow from Financing Activities and understatement of Cash flow from Investing Activities to that extent.

The same is noted by the company and it is appreciable that interest on FDR has been suitably disclosed at relevant places of Financial Statement for transparency and to enable the user to draw conclusion over the interest earned by the company from bank deposits, further we assure that suitable classification shall be made in ensuing Financial year.

6. (C) Other Comments

Earning per equity share: (1) Basic-(2.54), (2) Diluted-(1.60)

The Basic and Diluted earnings per equity share have been mention at INR (2.54) and INR (1.60) per equity share on the face of statement of Profit and Loss and in

The same is a typographic error while feeding the formula for weighted Average Number of Share where in 63900000 was typed as 6390000 inadvertently in final copy.

It is assured that compliance of the same will be made in the current year.



Note-30" Note to Financial Statement read with SI. No.10 'Disclosure in respect of Ind AS 33 Earnings per Share". The Company has calculated the same incorrectly. The correct Basic and Diluted earnings per equity share are INR (1.70) and INR (1.59) respectively. Thus the Basic and Diluted earnings per equity share are wrongly mentioned in the Financial Statements.



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.

नोट		







Lucknow Metro Rail Corporation Ltd.

Administrative Building

Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivation Sthal

Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Tel.: 0522- 2304014, 2304015; Fax: 0522-2304012 www.lmrcl.com





वार्षिक विवरण वि.व. 2017-18



अनुक्रमणिका

क्र.स	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	3
2	वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
3	शेयरधारकों को अध्यक्ष महोदय का पत्र	5
4	प्रबंध निदेशक का संदेश	7
5	निदेशकों की रिपोर्ट	9
6	कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	28
7	सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट	35
8	वार्षिक रिटर्न का सारांश	40
9	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	47
10	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	74
11	वर्ष 2017—18 के लिए वित्तीय विवरण	83
12	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	103



पंजीकृत कार्यालयः

प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन-0522- 2304011 ईमेल: cslmrcl@gmail.com, वेबसाइट: www.lmrcl.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जी.एफ.2 एकता अपार्टमेंट, 125, चंद्रलोक, अलीगंज, लखनऊ—226024

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव

पुष्पा बेलानी

हमारे बैंक

भारतीय स्टेट बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल

नाम	पदनाम
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
श्री मनोज कुमार	नामिती निदेशक, भारत सरकार अपर सचिव (डीएंडसी), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
श्रीमती झंजा त्रिपाठी	नामिती निदेशक, भारत सरकार संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एमओएचयूए)
श्री विनय कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
श्री प्रदीप एम. सिकदर	नामिती निदेशक, भारत सरकार ईडी / सिग. (विकास), रेलवे बोर्ड
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त, लखनऊ संभाग, लखनऊ
श्री राजेश कुमार सिंह	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव, अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ
श्री अजय कुमार शुक्ला	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार सचिव, वित्त विभाग
श्री महेन्द्र कुमार	पूर्णकालिक निदेशक निदेशक (रोलिंग स्टॉक और सिस्टम्स), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ
श्री अजय कांत रस्तोगी	पूर्णकालिक निदेशक निदेशक (वित्त), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक निदेशक (वर्क्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन



नोटिस

5वीं वार्षिक आम बैठक लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पांचवीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 29 सितंबर, 2018 को सायं 5:30 बजे बोर्ड कक्ष, भू तल, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर निकट डॉ. अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ—226010 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्यः

- 1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सिहत निदेशकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना. उस पर विचार करना और अंगीकार करना।
 - "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और अंगीकार करने के लिए सहमति दी गई है।"
- 2. वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो, संशोधनों सहित या के बिना, सामान्य संकल्प के तौर पर निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः—
 - "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, जेब खर्च, सांविधिक कर और अन्य सहायक खर्चे निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

नोट्सः

- 1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य से संबंधित विवरण संलग्न है।
- 2. वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और वोट देने का पात्र कोई सदस्य अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है, और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
- 3. प्रॉक्सी नियुक्त करने का फॉर्म, विधिवत भरा हुआ, बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। बैठक के लिए प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(कंपनी सचिव)

स्थानः लखनऊ

दिनांक: 27 / 09 / 2018

पंजीकृत कार्यालयः

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत—226010

शेयरधारकों के प्रति अध्यक्ष महोदय का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक में मुझे आप सबका स्वागत करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं, उन पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आप सबको पहले ही प्रेषित कर दी गई हैं और आपकी अनुमित से, मैं उन्हें पठित मानता हूं।

यह सूचित करते हुए वास्तव में मुझे खुशी होती है कि 5 सितंबर, 2017 को, लखनऊ मेट्रो ने ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक लखनऊ मेट्रो फेज—1 परियोजना के 'प्राथमिकता खंड' पर तीन वर्ष से कम अवधि में वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ करके इतिहास रच दिया है। इसने देश में सबसे तेज मेट्रो रेल



परियोजना होने का गौरव अर्जित किया है। कंपनी के लिए यह गर्व का विषय है। 5 सितंबर, 2017 को, लखनऊ मेट्रो फेज—1 का प्राथमिकता खंड श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री; श्री राम नाइक, महामिहम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश; श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थित में जनता के लिए खोला गया। उद्घाटन समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ भारी संख्या में भाग लिया। पूरा लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपनी मेट्रो का स्वागत करने के लिए उत्सुक था।

परियोजना का पहला खंड सफलतापूर्वक चालू होने के बाद, कंपनी लखनऊ मेट्रो फेज—1ए परियोजना के भूमिगत और एलीवेटेड खंडों सिहत संपूर्ण उत्तर—दक्षिण कोरिडोर को पूरा करने के लिए पूरी लगन से किठन परिश्रम कर रही है। कंपनी ने 28 अप्रैल, 2018 को हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन निर्माण साइट पर 'गोमती' और 'गंगा' नामक टीबीएमों को बाहर निकालकर, परियोजना के पूरे सुरंग निर्माण कार्य को पूरा करते हुए, एक साथ दो सुरंगें बनाने की कामयाबी हासिल की। वायडक्ट और नौ एलीवेटेड स्टेशनों का सिविल निर्माण कार्य भी तेज गित से बढ़ रहा है। बैलास्ट रहित ट्रैक स्थापन, ट्रैक्शन कार्य, वास्तुकलात्मक फिनिशिंग, विद्युत और मैकेनिकल कार्य और अन्य प्रणाली स्थापन कार्य भी 1 अप्रैल, 2019 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के समानांतर में किए जा रहे हैं।

कंपनी ने परियोजना निष्पादन की गति बढ़ाने की प्रक्रियाओं और विधियों में सुधार करने पर हमेशा जोर दिया है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आज की तारीख में परियोजना की भौतिक प्रगति 85% और वित्तीय प्रगति 83% है।

आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या 38/8—7—8—18 मेट्रो/2017 दिनांक 11—1—2018 द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (LMRC) — भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 के संयुक्त स्वामित्व की कंपनी — के उत्तर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक एकल एसपीवी के रूप में पुनर्गठन और परिणामतः इसका नाम लखनऊ मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (LMRC) से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (UPMRC) करने की मंजूरी दे दी है। कानपुर, आगरा और मेरठ मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सरकारों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

लखनऊ मेट्रो परियोजना के निर्माण में कंपनी द्वारा पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं को अतिशय महत्व सचमुच सराहनीय है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगठन की एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 14001: 2015 और OHSAS 18001: 2007 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इंडियन ग्रीन बिलिंडग काउंसिल (IGBC) द्वारा 'प्राथमिकता खंड' के सभी आठ स्टेशनों को 'प्लेटिनम रेटेड' भवन प्रमाणित किया गया है। कंपनी ने विश्व पर्यावरण सप्ताह के दौरान व्यापक पर्यावरणीय अभियान शुरू किया है जिसमें लखनऊ मेट्रो जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजना का कार्यान्वयन करते समय प्रकृति और धरती माता के रक्षण में

लखनक मेटो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सकारात्मक पर्यावरणीय कदम उठाने के लिए पौधारोपण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वार्ता, प्रश्नोत्तरी और नारा लेखन प्रतियोगिता जैसी पर्यावरणीय जागरूकता गतिविधियां शुरू की गई। कंपनी ने कचरा एकत्र और विघटन करके अच्छी गुणवत्ता के कार्बनिक कंपोस्ट तैयार करने के लिए पूर्णतया स्वचालित अपशिष्ट कंपोस्टिंग मशीन भी स्थापित की है जिसका उपयोग मेट्रो वायडक्ट के नीचे, सेंट्रल मीडियन के साथ, मेट्रो स्टेशनों और डिपो में लैंडस्केपिंग कार्यों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यापक वृक्षारोपण और हिरयाली गतिविधियों के लिए किया जाता है। कंपनी परियोजना के बाकी स्टेशनों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रखे हए है।

इन वर्षों के दौरान, कंपनी ने लखनऊ मेट्रो परियोजना के निर्माण में अपने सराहनीय कार्य हेतु कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हाल ही में, लखनऊ मेट्रो ने 13 सितंबर, 2018 को ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में 'इंटरनेशनल 'रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स' (RoSPA) पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल निगम बनकर इतिहास रचा। भारत के किसी अन्य मेट्रो रेल निगम को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है।

पिछले वर्ष, 6 नवंबर, 2017 को हैदराबाद में भारत सरकार द्वारा आयोजित 10वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी और CODATU XVII सम्मेलन के दौरान कंपनी को "सर्वश्रेष्ठ शहरी सामूहिक परिवहन परियोजना" के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 नवंबर, 2017 को कंपनी ने उत्तर—दक्षिण कोरीडोर (फेज 1ए) के 8.5 कि.मी. का ''प्राथमिकता खंड'' तीन वर्ष से कम की रिकॉर्ड अवधि में पूरा और चालू करने के लिए मेट्रो रेल श्रेणी में प्रसिद्ध डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफ्रा पुरस्कार, 2017 प्राप्त किया।

में निदेशक मंडल की ओर से, इस प्रतिष्ठित परियोजना के कार्यान्वयन में कंपनी को प्रदान किए गए सद्भावना और सहयोग के लिए बाह्य वित्तीयन संस्थान यूरोपीय निवेश बैंक (EIB), भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं एलएमआरसी के कर्मचारियों की उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए गहन प्रशंसा करना चाहूंगा जिसके बिना तीन वर्ष से कम समय में प्राथमिकता खंड पर राजस्व संचालन शुरू करने के साथ ही सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए सख्त समय सीमा के भीतर कठोर लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं हुआ होता।

धन्यवाद सहित.

हस्ता. / — (दुर्गा शंकर मिश्रा) अध्यक्ष, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सचिव, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार

प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

5वें वर्ष की वार्षिक आम सभा के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लखनऊ मेट्रो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की परिवहन जरूरतों का दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत करेगा। लखनऊ मेट्रो शहर में उचित और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सदैव प्रधान आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

5 सितंबर, 2017 को, लखनऊ मेट्रो फेज—1ए परियोजना में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक आठ एलीवेटेड मेट्रो स्टेशनों वाले 8.5 कि.मी. के प्राथमिकता खंड को माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री राम नाइक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ,



माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में जनता के लिए खोला गया। तीन साल से भी कम अविध में प्राथमिकता खंड पर राजस्व प्रचालन शुरू करके, लखनऊ मेट्रो ने देश में अब तक सबसे तेज मेट्रो परियोजना होने का गौरव अर्जित किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है और इसने मेट्रो निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

22.878 कि.मी. के उत्तर—दक्षिण कोरीडोर के शेष हिस्सों पर कार्य निर्धारित लक्ष्य 1 अप्रैल, 2019 से पहले पूर्ण किए जाने के लिए तीव्र गित से प्रगति कर रहा है। इसमें से 3.85 किमी भूमिगत खंड जिसमें तीन स्टेशन हुसैनगंज, सचिवालय और हजरतगंज शामिल हैं का सिविल कार्य टनल बोरिंग मशीन के सभी छह ड्राइव के साथ लगभग पूरा हो चुका है। सीसीएस हवाई अड्डे के भूमिगत मेट्रो स्टेशन का कार्य भी तीव्र गित से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही, 9 एलीवेटेड स्टेशनों पर एलीवेटेड खंडों का शेष कार्य भी अच्छी प्रगति पर चल रहा है। अमौसी एलीवेटेड मेट्रो स्टेशन पर आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, विद्युत और यांत्रिक कार्य पूरा हो गया है।

एलएमआरसी ने शेष खंड के लिए अन्य सिस्टम कार्यों के साथ ही ट्रैक, ओवरहेड विद्युतीकरण (OHE) और विद्युत आपूर्ति कार्य भी शुरू कर दिया है। लखनऊ मेट्रो ने सीसीएस हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक पूरे उत्तर—दक्षिण कोरीडोर को 1 अप्रैल, 2019 से पहले चालू करने और अनुमोदित समय सीमा के भीतर लखनऊ मेट्रो फेज—1ए परियोजना पूर्ण करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने के लिए, लखनऊ मेट्रो ने कई पहलें अपनाई हैं जैसे ट्रेनों में रिजनरेटिव ब्रेकिंग जिसके परिणामस्वरूप कर्षण ऊर्जा में 30—35% की बचत होगी, वातानुकूलन प्रणाली में भूमिगत स्टेशनों के लिए 1% मानदंड का उपयोग, सभी लिफ्टों और एस्केलेटर के लिए परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति (VVVF) अभियान, स्टेशनों पर एलईडी रोशनी की व्यवस्था, भूमिगत स्टेशनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ECS) और टनल वेंटिलेशन प्रणाली (TVS) प्रणाली के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग इत्यादि।

वर्तमान में, लखनऊ मेट्रो ने ट्रांसपोर्ट नगर कार रखरखाव डिपो में रेस्को मॉडल के तहत स्टेबलिंग और निरीक्षण शेडों पर रूफ टॉप फोटोवोल्टेक सेलों से 1.5—2 मेगावाट सौर ऊर्जा की योजना बनाई है। इन सभी अभिनव उपायों के फलस्वरूप, सोसाइटी परियोजना पर पूरी निवेश लागत को केवल 5 वर्षों में वसूल करने में सक्षम होगी, परियोजना का आर्थिक दर प्रतिफल (EIRR) 19.4% है।

टिकाऊ वातावरण के निर्माण के लिए एलएमआरसी के मेट्रो स्टेशनों और डिपो को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) के मानकों के अनुसार 'ग्रीन' इमारतों के रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 5 जून, 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए एलएमआरसी को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 14001:2004 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन श्रृंखला (OHSAS) 18001:2007 सर्टिफिकेट्स से सम्मानित किया गया है।

लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ट्रांसपोर्ट नगर कार रखरखाव डिपो में स्थित एलएमआरसी का "उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र" (CoET) भी उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का एक केंद्र है — जो मेट्रो प्रौद्योगिकी पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। एलएमआरसी के नवनियुक्त कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण केंद्र में कठोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की सभी आगामी मेट्रो के साथ ही देश की अन्य मेट्रोज के मेट्रो कर्मचारियों के प्रारंभिक और नवीन प्रशिक्षण के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा।

लखनऊ मेट्रो ने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) लाने की क्रांति की शुरुआत की है। अब यह उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बनने वाली अन्य मेट्रोज के लिए एक आदर्श मॉडल है।

में अपने बाहरी वित्त पोषण संस्थान यूरोपीय निवेश बैंक (EIB), निदेशक मंडल, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के साथ ही सभी हितधारकों को एलएमआरसी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं एलएमआरसी, जनरल कंसल्टेंट्स और संविदा एजेंसियों के हर कर्मचारी को धन्यवाद देता और उनकी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने सरकार और लखनऊ की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक कम समय में इस बेहद सामाजिक हित की परियोजना के पहले चरण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने में अपनी निरंतर कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के माध्यम से इन उपलिक्ष्यों को संभव बनाया है।

अंत में, परियोजना को भरपूर समर्थन देने के लिए मैं लखनऊ के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में उनके निरंतर हार्दिक संरक्षण की अपेक्षा करता हूं।

मैं आप सबको और लखनऊ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एलएमआरसी की एक अति लघुकाय किंतु बेहद परिश्रमी और व्यावसायिक रूप से सक्षम टीम आने वाले कठिन लक्ष्य हासिल करने और शहर को गौरव प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोडेगी।

धन्यवाद सहित.

हस्ता. / – (कुमार केशव) प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की 5वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष होता है।

1. वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति

विवरण	वित्त वर्ष 2017—2018	वित्त वर्ष 2016—2017
कुल आय	7487.35	1850.65
घटाएं: प्रचालन व्यय	5650.94	3155.04
घटाएं: मूल्यहास	4430.84	303.48
घटाएं: वित्तीय व्यय	82.64	1.00
घटाएं: अपवादात्मक मदें	(216.54)	(49.36)
कर पूर्व लाभ (हानि)	(2893.61)	(1658.23)
जोड़ें / (घटाएं): कर व्यय	355.33	(239.22)
कर पश्चात निवल लाभ (हानि)	(2538.28)	(1897.45)
सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
तुलन पत्र में अग्रेनीत किया गया लाभ	-	-

सामान्य आरक्षित में अंतरण

बोर्ड ने सामान्य आरक्षित में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभाश

समीक्षाधीन वर्ष यानी 2017—18 के दौरान कंपनी को नुकसान हुआ है, निदेशक मंडल ने कंपनी के इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

2. लखनऊ मेट्टो रेल परियोजना की स्थिति

कंपनी लखनऊ में एक एकीकृत तीव्र व्यापक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तौर पर लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (GoI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) का एक संयुक्त उद्यम है। यह भारत सरकार (GoI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) के 50:50 के संयुक्त स्वामित्व का विशेष प्रयोजन वाहक (SPV) और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित है।



3. फेज 1ए की परियोजना स्थिति

उत्तर—दक्षिण कोरीडोर (फेज 1ए) का 8.5 कि.मी. का ''प्राथमिकता कोरीडोर'' जन सेवा के लिए पहले ही 5 सितंबर, 2017 से प्रचालन में है। 14.378 कि.मी. के बकाया स्ट्रेच का सिविल कार्य लक्ष्य से काफी पहले पूरा किए जाने के लिए तीव्र गति से चल रहा है।

इसमें से, हुसैनगंज, सचिवालय और हजरतगंज मार्ग सहित 3.67 कि.मी. के भूमिगत खंड का सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया

है। चौ. चरण सिंह एयरपोर्ट भूमिगत मेट्रो स्टेशन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है।

कंपनी ने ट्रैक बिछाने और के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम से मुंशीपुलिया तक संतुलित एलीवेटेड कोरीडोर की मेट्रो ट्रेनों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए ओवरहेड विद्युतीकरण (OHE) का कार्य भी आरंभ कर दिया है। अमौसी मेट्रो स्टेशन का सिविल कार्य भी फिनिशिंग सहित पूरा हो गया है और वर्तमान में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य किए जा रहे हैं।

लखनऊ मेट्रो ने चौ. चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक पूरे उत्तर—दक्षिण कोरीडोर (फेज 1ए) को अप्रैल 2019 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है।



टांसपोर्ट नगर मेटो स्टेशन

4. कंपनी ने रचा इतिहास – राजस्व प्रचालन आरंभ करके तीन वर्ष से कम समय में मेट्रो का उद्घाटन

5 सितंबर, 2017 को लखनऊ मेट्रो ने तीन वर्ष से कम समय में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए मेट्रो का उद्घाटन करके एक इतिहास रचा। इसने देश में सबसे तीव्र मेट्रो रेल परियोजना निष्पादन होने का गौरव हासिल किया है। यह सूचित करना आपके कंपनी के निदेशकों के लिए गौरव की बात है कि 8.5 कि.मी. लंबाई और 8 स्टेशनों वाले ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक फेज 1 के 1ए के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन दिनांक 5 सितंबर, 2017 को माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, महामिहम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री, और अन्य कई गणमान्यों की उपस्थित में किया गया। उद्घाटन समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़े उत्साह और



5 सितंबर, 2017 को ट्रांसपोर्ट नगर और चारबाग (फेज–1ए) के बीच प्राथमिकता कोरीडोर के लिए लखनऊ मेट्रो ट्रेन की वाणिज्यिक सेवाओं का उदघाटन


उत्सुकता से भाग लिया। पूरा लखनऊ शहर अपनी लखनऊ मेट्रो; राज्य की पहली मेट्रो रेल परियोजना का स्वागत करने के लिए उत्साही उमंग में था।

ट्रांसपोर्ट नगर और चारबाग के बीच उत्तर—दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर (फेज 1ए) के 8.5 किमी के "प्राथमिकता कोरीडोर" में आठ एलीवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। यह देश में मेट्रो रेल परियोजना निष्पादन के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है जिसने भारत में मेट्रो निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

लखनऊ मेट्रो देश की ऐसी पहली मेट्रो है जिसने रेडियो सिटी 91.1 एफएम के साथ अनुबंध करके अपना एफएम रेडियो आरंभ

किया है। अब यह लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर खास सामग्री, सार्वजनिक सूचनाएं, जिंगल्स और मधुर संगीत उपलब्ध करा रहा है। सरकार के ''डिजिटल इंडिया'' अभियान को बढ़ावा देने और मेट्रो यात्रियों को विस्तारित लाभ देने के लिए, लखनऊ मेट्रो ने अपने सभी प्रचालनरत मेट्रो स्टेशनों पर अपने 'गो स्मार्ट' कार्डधारकों को फ्री वाई—फाई सुविधा की शुरूआत की। आपकी कंपनी ने अपनी स्टेशन सुविधाएं अन्यथा सक्षम लोगों के अनुकूल बनाने के लिए भी अनेक पहलें की हैं।

प्राथमिकता खंड—1ए खंड आम जनता के लिए 6 सितंबर, 2017 को खोला गया। प्रचालन के पहले दिन से ही सार्वजनिक पूछताछ और फीडबैक प्राप्त करने की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की गई। यात्री हेल्पलाइन भी आरंभ की गई और स्टेशनों पर लिखित फीडबैक रिकॉर्ड करने की प्रणाली भी चालू की गई है। जनता ने प्रणाली के बारे में अपने फीडबैक साझा करने में उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है। लोक शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र भी तैयार किया गया है। हेल्पलाइन लखनऊ के लोगों और लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक—प्वाइंट संपर्क बनता जा रहा है। आपकी कंपनी सामाजिक और आर्थिक समावेशन में भी विश्वास करती है और संलग्न रहती है।



श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार, 5 सितंबर, 2018 को मेट्रो दिवस समारोह दौरान भाषण देते हुए

भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के कार्य की स्थिति

1 अगस्त, 2016 से सचिवालय मेट्रो स्टेशन साइट से भूमिगत सिविल कार्य की शुरूआत करते हुए, एलएमआरसी ने हुसैनगंज, सचिवालय और हजरतगंज मेट्रो स्टेशनों सिहत 3.67 कि.मी. भूमिगत मेट्रो स्ट्रेच का सिविल कार्य दो साल से कम समय में पूरा किया यद्यपि इसमें विभिन्न मेट्रो लाइनों और स्टेशनों के लिए विभिन्न प्रकार का निर्माण कार्य अपेक्षित था। सचिवालय भूमिगत मेट्रो स्टेशन से हजरतगंज भूमिगत मेट्रो स्टेशन तक 5.8 मी. व्यास की सुरंग की लंबाई 811 मीटर है।



सचिवालय और हजरतगंज के बीच मेट्रो टनल के अंदर रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम (ROCS) का कार्य।



कंपनी ने 7 और 8 मई, 2018 को — एक के बाद एक — दो सुरंग उपलिख्यियां हासिल कीं जब 'गोमती' और 'गंगा' नामक दो टनल बोरिंग मशीनें काम पूरा करने के बाद हजरतगंज मेट्रो निर्माण स्थल से बाहर निकलीं। इस अभियान के पूरा होने के साथ, लखनऊ मेट्रो ने हजरतगंज के बीच टनलिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिसमें चारबाग से हजरतगंज के बीच किए जाने वाले कुल टनलिंग कार्य का लगभग 75% भाग निहित है।

6. सचल स्टॉक

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की 20 ट्रेनों के लिए 80 कोचों और लखनऊ मेट्रो फेज 1ए के लिए ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग प्रणाली की आपूर्ति एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि. और एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट एस.ए. फ्रांस के कंसोर्टियम द्वारा की गई है। ट्रेनों की आपूर्ति ऑर्डर दिए जाने के बाद ट्रेन आपूर्ति के लिए 64 सप्ताह की व्यस्तम सबसे कम अवधि में की गई। निर्माण के तीन साल के अंदर मेट्रो परियोजना को तेजी से चालू करना सुनिश्चित करने के लिए भारत में सबसे कम ज्ञात अवधि के भीतर सिग्नलिंग परीक्षण और आरडीएसओं संचालित आस्किलन परीक्षण पूरे करने का गौरव कंपनी को प्राप्त है।



20वीं रोलिंग स्टॉक (मेट्रो ट्रेन) को उतारने के दौरान कुमार केशव, प्रबंध निदेशक के साथ एलएमआरसी टीम

फ्रांस में डिजाइन की गई ये आधुनिकतम ट्रेनें भारत में एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि. द्वारा चेन्नई के नजदीक अपने प्लांट में निर्मित की जाती हैं जबकि ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग प्रणाली की आपूर्ति एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट एसए, फ्रांस द्वारा की जाएगी।

स्टेशनों के बीच लगभग एक कि.मी. की अंतर—स्टेशन दूरी, प्रति स्टेशन 30 सेकेंड के ठहराव समय और 100 सेकेंड के डिजाइन हैडवे सिहत 90 कि.मी.प्र.घं. की डिजाइन गति और 32 से 35 कि.मी.प्र.घं. की निर्धारित गति लखनऊ में प्रस्तावित एमआरटीएस की खासियत है।

एलएमआरसी की ट्रेनें यात्री गुणवत्ता, कम शोर स्तर और पर्यावरण अनुकूलता के संबंध में ऊर्जा सक्षम, विश्वसनीय और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाजनक हैं। कोचों की बॉडी स्टेनलेस स्टील की और हल्के वजन की है। अधिक ऊर्जा सक्षम ट्रेनों की पुनरुत्पादन ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के दौरान ओवरहेड विद्युत ऊर्जा प्रणाली को ऊर्जा वापस करती है। ट्रेन की सभी प्रणालियों की निगरानी और चुनिदा तौर पर नियंत्रण एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली (TCMS) द्वारा किया जाता है।

7. लखनऊ मेट्रो द्वारा महिला पॉलीटेकनिक, मुंशीपुलिया में रिसीविंग सबस्टेशन (RSS) का निर्माण कार्य आरंभ

लखनऊ मेट्रो ने 8 दिसंबर, 2017 को महिला पॉलीटेकनिक, मुंशीपुलिया स्थित आधुनिकतम 220केवी / 33केवी / 25केवी रिसीविंग सबस्टेशन (RSS) सह ऑक्जिलरी मेन सबस्टेशन सह ट्रैक्शन सबस्टेशन का निर्माण शुरू किया। यह सब—स्टेशन चौ. चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक पूरे 22.878 कि.मी. लंबे उत्तर—दक्षिण कोरीडोर (फेज 1ए) को विद्युत की आपूर्ति करेगा। यह आरएसएस लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस 1ए के पूरे मेट्रो कोरीडोर को 25केवी ट्रैक्शन पावर और 33केवी ऑक्जिलरी पावर की आपूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है।

8. सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण, लिफ्टें और एस्केलेटर्स

निरंतर स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (CATS) सहित "संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण" (CBTC) पर आधारित आधुनिकतम सिग्नलिंग प्रणाली की आपूर्ति की गई है। लखनऊ एमआरटीएस की ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग प्रणाली की मुख्य खासियत हैं कोडेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रेक सर्किट, स्वचालित ट्रेन प्रचालन प्रणाली (ATO), स्वचालित रूट सेटिंग और स्वचालित ट्रेन रेगुलेशन सिहत स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली (ATS) के माध्यम से ट्रेक से ट्रेन संचार सिहत कैब सिग्नलिंग के साथ स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP),

ट्रेनें स्टेशनों के बीच स्वचालित ट्रेन प्रचालन के प्रावधान के साथ ट्रेन चालक के न्यूनतम दखल के बिना स्वचालित रूप से चलती हैं जो यह भी सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें समयबद्ध, सही और आसान तरीके से स्टेशन पर रुकें या प्रतिबंधित बिंदु से आगे रुकें। स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली निरंतर रूप से ट्रेन संचालन का पर्यवेक्षण करते हुए स्वचालित रूट सेटिंग और स्वचालित ट्रेन नियमन और असामान्य स्थितियों में ट्रेन संचालन को इष्टतम बनाते हुए ट्रेन संचालन का स्वचालित प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

दूरसंचार प्रणाली का कार्य मैसर्स एलएंडटी को सौंपा गया है। पूरे कॉरीडोर के लिए डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्राथमिकता खंड पर सभी प्रमुख सामग्रियां और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार उपकरण स्थापित किए गए हैं।

फेज 1ए यानी उत्तर—दक्षिण कॉरीडोर के एस्केलेटर्स का कार्य शेनयांग युआंडा इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लि., चीन और स्टोन इंडिया लिमिटेड, भारत के कंसोर्टियम को दिया गया है। फेस 1ए या उत्तर दिक्षण कोरीडोर के लिए लिफ्टों का कार्य मैसर्स जॉन्सन लिफ्ट्स प्रा. लि. को दिया गया है। प्राथमिकता खंड के सभी एस्केलेटर्स और लिफ्टों खंड के आरओडी से पहले ही चालू कर दी गई थी और वर्तमान में सार्वजिनक उपयोग में हैं। बाकी खंड के लिए एस्केलेटर्स और लिफ्टों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है।

9. स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली

प्रणाली (AFC) एक अभिनव कार्यान्वयन मॉडल के अधीन। इस बिजनेस मॉडल में, एचडीएफसी बैंक के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम 12 वर्षों के लिए एएफसी प्रणाली के कार्यान्वयन की पूंजी और रखरखाव लागत का वहन करता है। एचडीएफसी बैंक ईवीएम मानकों के को—ब्रांडेड स्मार्ट कार्ड भी जारी करेगा, जिन्हें लखनऊ मेट्रो के टिकटों और अन्य बिक्री पाइंटों (PoS) पर मिश्रित वैल्यू कार्ड्स के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड को लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले 8 स्टेशनों के लिए साइट और क्लाउड दोनों पर ही एएफसी उपकरण स्थापित और चालू किए गए हैं।



मेट्रो स्टेशन पर स्वचालित किराया संग्रह (AFC) प्रणाली

खंड को राजस्व प्रचालन के लिए खोलने के समय से ही एएफसी प्रणाली संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है। एएफसी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यात्रा के लिए क्यूआर कोडेड टिकटों का प्रयोग
- यात्रा प्रचालन के लिए ईवीएम मानक संपर्करहित स्मार्ट कार्ड

आपकी कंपनी टिकटिंग समाधान के लिए एक ओपन—लूप मोबिलिटी कार्ड को लागू करने की प्रक्रिया में है, जो शहरी सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न माध्यमों में मान्य होगा और ग्राहकों को यात्रा के लिए टिकट खरीदने के साथ ही अन्य गैर—यात्रा भुगतान करने में भी सक्षम बनाएगा।

आपकी कंपनी ने लखनऊ मेट्रो के लिए एक ऐप विकसित किया है। यह परिवहन प्रणाली द्वारा चालित एक डिजिटल माहौल उपलब्ध कराएगा जिसमें यात्रियों को विशिष्ट मूल्य वर्धित सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।



10. वैकल्पिक राजस्व पहल

अपने आधार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी वैकल्पिक आय के लिए अप्रत्यक्ष लाभार्थियों और अन्य स्रोतों का संतुलन बनाने के तरीके खोज रही है। गैर–िकराया बॉक्स राजस्व के आयामों की पहचान और तलाश की गई है जिनमें निम्निलिखत को शामिल किया गया है:

- विज्ञापन
- वाणिज्यिक विकास कार्य और किराया
- संपत्ति का विकास
- ऑप्टिक फाइबर केबल्स की लीजिंग
- टावर स्पेस लीज पर देना
- पार्किंग

कंपनी विज्ञापन, वाणिज्यिक विकास और किराए पर पार्किंग और टावर स्पेस की लीजिंग से राजस्व अर्जित कर रही है।

11 सयोजकता पहल

शहर में परिवहन ढांचा में अधिक सुधार करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना स्वीकृति शर्तों के संबंध में, आपकी कंपनी को लखनऊ शहर के लिए परिवहन के विभिन्न माध्यमों के एकीकरण और सहयोग को आगे बढ़ाने का अधिदेश भी दिया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए, आपकी कंपनी ने मेट्रो रेल के निर्माण के परे अनेक कदम उठाए हैं और परियोजनाएं तैयार की हैं। इसके लिए कंपनी ने मेट्रो स्टेशनों से और तक पहले और अंतिम मील संपर्क के वरीय साझेदार / प्रचालक के तौर पर ई रिक्शा की सेवाएं ली हैं, इसके लिए कंपनी ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों से बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन्स लिमिटेड को अनुबंध प्रदान किया है।



12. उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का निष्पादन

उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र सं. 38/8-7-8-18 मेट्रो/2017 दिनांक 11-1-2018 द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा 50:50 संयुक्त स्वामित्व की कंपनी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LMRC) के एकल एसपीवी के तौर पर पुनर्गठन का अनुमोदन कर दिया है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कंपनी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) रखने की सिफारिश की है।



लखनऊ मेट्रो डिपो के भ्रमण के दौरान भारतीय राजदूतों / उच्चायुक्तों का शिष्टमंडल

कानपुर, आगरा और मेरठ शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भारत सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

13. कार्यशाला-रखरखाव डिपो

उत्तर—दक्षिण मेट्रो कॉरीडोर (फेज 1ए) का कंपनी का कार्यशाला—रखरखाव डिपो 32वीं बटालियन, पी.ए.सी. कैम्पस, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में लगभग 52 एकड़ भूमि में निर्मित किया गया है। डिपो में कार्यशाला सह निरीक्षण बे लाइनों, स्टेबलिंग यार्डों, स्वचालित ट्रेन धुलाई संयंत्र, डिपो नियंत्रण केन्द्र, रिसीविंग सब स्टेशन (RSS), प्रशिक्षण केन्द्र (उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र) तथा अन्य सुविधाओं में विश्वस्तरीय आधुनिकतम सुविधाएं हैं। यह डिपो एलएमआरसी का प्रमुख डिपो और उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला डिपो बनने जा रहा है।



5 सितंबर, 2018 को 'मेट्रो दिवस' के दौरान कार्यशाला सह रखरखाव डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर में एलएमआरसी की फोटो प्रदर्शनी

14. द्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो पर उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र (COET)

एलएमआरसी के उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र (COET) ने 29 मार्च 2017 से एक नए विशिष्ट भवन से कार्य करना शुरू कर दिया है। यह भवन ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो के परिसर के अंदर निर्मित और एलएमआरसी के नए रिक्रूटों को प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिकतम मेट्रो प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त है। इस केंद्र में उत्तर प्रदेश में आगामी सभी मेट्रो की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करने की क्षमता है। मुख्य सुविधाओं में सीबीटी क्लासरूम, डेस्कटॉप सिम्युलेटर्स, मोशन सिम्युलेटर्स और आधुनिकतम लाइब्रेरी शामिल हैं। सीओईटी में 300 से अधिक



श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र (CoET), ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में प्रेरक भाषण करते हुए



प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम सात आधुनिकतम कक्ष हैं।

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए व्यवहार कुशलता में सुधार करने के लिए सीओईटी संवाद और व्यवहार कुशलता पर एमिटी बिजनेस स्कूल, लखनऊ; रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस यूएस एम्बेसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित फ्रीलांस प्रशिक्षकों से नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

यह राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद और गोरखपुर में सभी मेट्रो के लिए एक रोल मॉडल होगा।

15. एलएमआरसी द्वारा डिपो में स्वचालित अपशिष्ट कंपोस्टिंग मशीन स्थापित; उत्तर प्रदेश को अधिक स्वच्छ और हरित बनाए रखने की ओर बढते कदम

यह एलएमआरसी द्वारा उत्तर प्रदेश को अधिक स्वच्छ और हरित बनाए रखने की ओर उठाया गया एक और कदम है। यह मशीन अपशिष्ट को कम्पोस्ट करेगी और अच्छी क्वालिटी की जैविक कम्पोस्ट तैयार करेगी जिसे डिपो में वनस्पति, पौधों और हरियाली को इष्टतम बढ़त देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

इस पूर्णतया स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन में डिपो कैंटीन किचन अपशिष्ट, डिपो के बगीचों का अपशिष्ट और मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों द्वारा फेंके गए तंबाकू उत्पाद प्रयोग किए जायेंगे। इसके बदले में, मशीन आठ दिन के डिकंपोजिशन चक्र के बाद अच्छी क्वालिटी का जैविक कंपोस्ट उत्पादित करेगी।



डिपो में स्वचालित अपशिष्ट कंपोस्टिंग मशीन

16. ट्रांसपोर्ट नगर और चौ. चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्ट्रेच के बीच ओएचई मास्ट इरेक्शन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने ट्रांसपोर्ट नगर और चौ. चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन स्ट्रेच के बीच 25केवी ओवरहेड ट्रैक्शन स्थापित करने के लिए 5 अगस्त, 2017 को कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए, इन स्ट्रेचों के बीच एलीवेटेड वायडक्ट पर बारी—बारी से ओवर हेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट लगाए जा रहे हैं।

ओएचई मास्ट इरेक्शन खं डमें यू—गर्डरों की स्थापना के साथ ही किया जा रहा है। यह प्रक्रिया को तेज करने और इसे जल्दी पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

साथ ही भूमिगत सुरंगों में भी रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (ROCS) के कंटेनर रेल की स्थापना शुरू कर दी गई है।

17. सुरक्षा

एलएमआरसी अधिकतम सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों के साथ पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों, यात्रियों, आम जनता और हमारे साथ कार्यरत ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विभिन्न सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। परियोजना सुरक्षा प्रशिक्षण सभी ठेकेदारों के श्रमिकों और साइट कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रमुख ट्रेडों जैसे लिफ्टिंग इंजीनियरों, मचान वालों, ड्राइवरों और ऑपरेटरों, पिक एंड कैरी क्रेन ऑपरेटरों इत्यादि के लिए सक्षमता निर्धारण आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

मेट्रो स्टेशनों की 24 घंटे निगरानी के लिए प्राथिमकता खंड के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी, डिटेक्टर्स, स्कैनर्स, मैटल डिटेक्टर्स इत्यादि स्थापित किए गए हैं। प्राथिमकता खंड के सभी मेट्रो स्टेशन भूकम्प रोधी हैं और भूकम्पीय बल को झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

प्राथमिकता खंड के 8 स्टेशन और ट्रेन डिपो आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 के अनुसार प्रमाणित किए गए हैं, लखनऊ मेट्रो फेज 1ए के बकाया खंड के लिए प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। कंपनी प्रचालनों के लिए आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 के लिए प्रमाणित होने की भी प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह (4 मार्च, 2018):

कंपनी प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को पूरे लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन करती है और कर्मचारियों, इंजीनियरों और एजेंसी कर्मचारियों और श्रमिकों में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे सप्ताह भर एलएमआरसी इंजीनियरों और एजेंसी कर्मचारियों के लिए भारी वजन उठाने और सामग्री की संभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, क्विज और नारा प्रतियोगिता, व्यवहार आधारित सुरक्षा कार्यक्रम और सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार पुरस्कार, हाउसकीपिंग पुरस्कार, सुरक्षित इरेक्शन पुरस्कार आदि प्रदान किए गए।



राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान शपथ समारोह

▶े विश्व पर्यावरण दिवस समारोह (5 जून, 2018):

विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है और प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हरेक के लिए है, ट्रांसपोर्ट नगर डिपो, एलएमआरसी में पौधरोपण सहित पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम निदेशक द्वारा एलएमआरसी कर्मचारियों के बीच क्विज प्रतियोगिता सहित पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया, पर्यावरण के संरक्षण में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नारा और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए।

सोलर पहल की उपलब्धियां:

एलएमआरसी ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में अपनी कार्यशाला सह निरीक्षण बे और स्टेबलिंग लाइन शेड की छत पर 1 मेगावाटपी क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए हैं जो 14 मार्च 2018 से डिपो, मेट्रो स्टेशनों और अन्य मेट्रो सुविधाओं में प्रयोग के लिए विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यह सोलर परियोजना एलएमआरसी द्वारा सार्वजनिक धन के निवेश के बिना रेस्को मॉडल के अंतर्गत चालू की गई है।

ट्रांसपोर्ट नगर डिपो में आरएसएस की प्रचालनात्मक विद्युत जरूरतें पूरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर रिसीविंग सब स्टेशन (RSS) की छत पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल भी स्थापित किए गए हैं।

विपिन खंड, गोमती नगर में लखनऊ मेट्रो के प्रशासनिक भवन की छत पर 12 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल भी स्थापित किए गए हैं। ये भी प्रचालन में हैं और इसकी वजह से कार्यालय को पहले ही विद्युत बिलों पर पर्याप्त बचत हो रही है।





मेट्रो के पंजीकृत कार्यालय की छत पर सौर पैनल

इन सोलर पहलों के अलावा, लखनऊ मेट्रो ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए हैं जैसे ट्रेनों में पुनरुत्पादक ब्रेकिंग के प्रयोग के परिणामस्वरूप ट्रैक्शन ऊर्जा में 30 से 35 प्रतिशत की बचत होने से ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन में कमी, स्टेशनों की वातानुकूलन प्रणाली में भूमिगत स्टेशनों के लिए 1 प्रतिशत के मानदंड का उपयोग, सभी लिफ्टों और एस्केलेटर्स के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (VVVF) झाइव का प्रयोग, स्टेशनों पर एलईडी लाइटों का प्रयोग, भूमिगत खंड के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ECS) और टनल वेंटिलेशन प्रणाली (TVS) के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग इत्यादि।



मेट्रो स्टेशन का बाहरी दृश्य

18 लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पुरस्कार और सम्मान

 5 जून, 2017 को लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संगठन की एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की मान्यता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 14001: 2004 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्धारण श्रृंखला

(OHSAS) 18001:2007 प्रदान किया गया।

- 2 नवंबर, 2017 को, कंपनी ने तीन वर्ष से भी कम रिकॉर्ड समय में उत्तर—दक्षिण कोरीडोर (फेज 1ए) परियोजना के 8.5 कि.मी. के "प्राथमिकता खंड" को पूरा और चालू करने के लिए मेट्रो श्रेणी में प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फ्रा पुरस्कार प्राप्त किया।
- 6 नवंबर, 2017 को, कंपनी को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC), हैदराबाद (तेलंगाना) में 10वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्जीबिशन और कोटाडू XVII कॉन्फ्रेंस में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज 1ए (उत्तर—दक्षिण कोरीडोर) के लिए "सर्वश्रेष्ठ शहरी जन परिवहन" श्रेणी में अपनी उल्लेखनीय पहल के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 1 फरवरी, 2018 को लखनऊ मेट्रो को उत्तर प्रदेश की राजधानी में शहरी परिवहन के एक हरित माध्यम के कार्यान्वयन के लिए गुरुग्राम (हरियाणा) में 'स्मार्ट सिटी समिट' में 'हरित पहलें' अपनाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 18 फरवरी, 2018 को लखनऊ मेट्रो को सरकार की सबसे स्मार्ट परिवहन पहल—लखनऊ मेट्रो की शुरूआत और कार्यान्वयन करने के लिए "स्मार्ट परिवहन पहल" के अंतर्गत प्रतिष्ठित ईटी नाउ सीएसआर लीडरशिप पुरस्कार, 2018 भी प्रदान किया।
- 23 फरवरी, 2018 को कंपनी ने इंदौर, मध्य प्रदेश में इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा 23वें प्रौद्योगिकी पुरस्कार के दौरान अपने गोस्मार्ट कार्ड से वाइ—फाइ सेवाओं को संबद्ध करने के लिए वायरलेस श्रेणी में 'टेक्नोलॉजी सभा पुरस्कार, 2018' प्राप्त किया। मैसर्स टाटा—गुलेरमार्क जेवी द्वारा निष्पादित लखनऊ मेट्रो की भूमिगत परियोजना को 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन के लिए रॉयल सोसाइटी फॉर दि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स (RoSPA) द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित ''आरओएसपीए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है।



सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार



19. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा एलएमआरसी के हरित मेट्रो रेल प्रणाली को प्रमाणन; इसके सभी आठ स्टेशनों को प्लेटिनम प्रमाणन

किसी प्रणाली को 'हरित' प्रणाली के रूप में रेटिंग और प्रमाणन देने वाले भारत के शीर्ष निकाय—इंडियन ग्रीन बिलिंडग काउंसिल (IGBC) ने एलएमआरसी को "हरित मेट्रो रेल प्रणाली" प्रमाणित करते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक 'प्राथमिकता कोरीडोर' पर इसके सभी आठ मेट्रो स्टेशनों को 31 अगस्त, 2017 को प्लैटिनम प्रमाण—पत्र प्रदान किया है।

प्राथमिकता कोरीडोर के 8 स्टेशनों के लिए प्लैटिनम





प्रमाण-पत्र और प्लेक। यह किसी भी सिविल संरचना या भवन के लिए सर्वोच्च हरित रेटिंग है जो एलएमआरसी को दी गई है। यह एक और बड़ी उपलब्धि है जिसे एलएमआरसी ने हासिल किया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि लखनऊ मेट्रो को अपनी वाणिज्यिक सेवाएं शुरु करने से पहले 'हरित मेट्रो रेल' प्रमाणित किया गया है।

इसके साथ ही एलएमआरसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्लेटिनम प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली लखनऊ क्षेत्र में पहली सरकारी इकाई और उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में पहले स्थान पर है।

20. शेयर पूजी

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के तौर पर 639.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए। 31 मार्च 2018 को कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 1581.65 करोड़ रुपये है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार, 3502 करोड़ रुपये विदेशी वित्तपोषण एजेंसी के माध्यम से जुटाए जाने हैं। ईआईबी (यूरोपीय निवेश बैंक) ने 450 मिलियन यूरो का वित्तपोषण करने की सहमति दी है। 200 मिलियन यूरो के ट्रेंच ए के लिए वित्तीय अनुबंध पर 30.03.2016 और 250 मिलियन यूरो के ट्रेंच बी के लिए वित्तीय अनुबंध पर 31 मार्च 2017 को हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017—2018 में एलएमआरसी को 981 करोड़ रुपये का संवितरण किया।

21 मानव संसाधन

एलएमआरसी का प्रबंधन हमेशा यह महसूस करता है कि प्रेरित, तृप्त और संतुष्ट कार्यबल संगठनात्मक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति की कुंजी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमताओं की प्राप्ति को अत्यधिक महत्व देती है। वर्ष के दौरान नियोक्ता—कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और एलएमआरसीएल लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रहा। कंपनी की रोजगार पद्धतियां प्रतिभा को आकर्षित और कायम रखने के अनुकूल हैं।

31 मार्च 2018 को, कंपनी की कर्मचारी संख्या 454 (परियोजना में 321 और प्रचालन एवं रखरखाव में 133) थी। उत्तर दक्षिण कॉरीडोर की निर्माण गतिविधियों को पूरा करने



कर्मचारियों के लिए योगा ट्रेनिंग

और बाद के राजस्व प्रचालनों की अंतिम तिथि निकट आने के मद्देनजर, जनशक्ति की भर्ती और उनका क्षमता निर्माण प्रगति पर है। एलएमआरसी अपने कर्मचारियों के नियमित विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है और विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करता रहा है।

भर्ती में अ.जा. / अ.ज.जा. / शा.वि. / अ.पि.व. / विकलांगों / महिलाओं / पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

22. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एलएमआरसी सीएसआर नीति का लक्ष्य जैव विविधता, ऊर्जा और जल संरक्षण सहित शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर अपने फोकस के माध्यम से समुदाय की देखभाल करना है। इस उद्देश्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के अवसर प्रदान करते हुए समाज के वंचित वर्ग को सहयोग करना भी निहित है। शुरू की गई परियोजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के व्यापक ढांचे के भीतर होंगी।

निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति में श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग; श्री अजय कांत रस्तोगी, निदेशक (वित्त), श्री महेंद्र कुमार (निदेशक, आरएस एंड एस) शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटे के कारण कंपनी पर कोई सीएसआर देयता नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने चालू वर्ष में कोई सीएसआर गतिविधियां नहीं की हैं।

23. कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की रोकथाम

लखनऊ मेट्रो अपनी महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, नई भर्तियों के मध्य उचित व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समावेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण पर एक व्याख्यान शामिल किया गया है।

कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की देखरेख करने और यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति की संरचनाः

• सुश्री पुष्पा बेलानी – पीठासीन अधिकारी

• सुश्री दीप्ति अग्रवाल – बाहरी सदस्य

(कार्यरत कम्पनी सचिव)

• श्री एस.ए. राजा – सदस्य

• सुश्री मंजु लता – सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न का एक मामला सूचित किया गया और मामले का निराकरण कर दिया गया है।

24. प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ओएंडएम कर्मचारियों को उनके पद, समूह और विभाग के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम और सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, किराया संग्रहण प्रणाली और ओएंडएम स्टाफ के लिए बैलास्ट रहित ट्रैक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है। प्रशिक्षण संस्थान निर्माण, प्रचालन, रखरखाव और ग्राहक सेवा के क्षेत्र में अपने तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता रहता है।





अमिती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को ट्रेनिंग

25. सूचना का अधिकार

कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया है। वर्ष के दौरान कुल 91 आरटीआई आवेदनों और अपीलों को प्रोसेस किया गया।



26. सतर्कता

कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, जो लखनऊ मेट्रो के प्रबंध निदेशक के प्रति उत्तरदायी होता है। सतर्कता इकाई कंपनी के कारोबार और कार्यव्यवहार के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों, विद्यमान आंतिरक दिशानिर्देशों का पालन करती है। रोकथाम संबंधी जांचों का मुख्य उद्देश्य है कि दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है। जांचों के परिणाम को खामियों को दूर करने के लिए प्रणाली सुधार परिपत्रों में शामिल किया जाता है।

27. मियादी जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत न ही जनता से कोई जमाएं आमंत्रित की हैं और न ही जनता से कोई जमाएं स्वीकार या प्राप्त की हैं।

28. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के अंतर्गत यथा अपेक्षित पारिश्रमिक और अन्य विवरण से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

29 निदेशक मडल

इस रिपोर्ट की तारीख को, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामिती हैं, 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं जबिक प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत नोट 'निगमित अभिशासन रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत दिया गया है।

30 बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठकें 4 बार, 22 मई, 2017, 1 सितंबर, 2017, 6 जनवरी, 2018 और 9 फरवरी, 2018 को आयोजित की गई।

31 बोर्ड की समितिया

बोर्ड ने आपकी कंपनी के प्रचालनों के आकार और प्रकृति के अनुसार विभिन्न समितियां गठित की हैं। ये हैं लेखापरीक्षा समिति और निवेश समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति, यौन उत्पीड़न समिति। इनमें से प्रत्येक उप—समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन उप—समितियों की बैठकें आपकी कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय—समय पर की जाती हैं। बोर्ड की उप—समितियों का विवरण 'निगमित अभिशासन रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत दिया गया है।

32. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशक कथन करते हैं किः

- वार्षिक लेखे तैयार करने में, सामग्री निकासियों के लिए उचित स्पष्टीकरणों सहित लागू भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें सत्त रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान किए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अविध के लिए कंपनी के लाभ और हानि की एक सत्य और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- निदेशकों ने कंपनी की पिरसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखेबाजी और अन्य अनियमित्ताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख की;

- निदेशकों ने वार्षिक लेखे चलायमान प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए हैं:
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का प्रयोग किया और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त हैं और प्रभावी तौर पर काम कर रही हैं।

33 स्वतंत्र निदेशको द्वारा घोषणा

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

34 वार्षिक रिटर्न का साराश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप—धारा (3) के प्रावधान के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सारांश कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्न प्रकार है: http://lmrcl.com/resource/downloads/

35. ऋणों, गारंटियों और निवेशों का विवरण

रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- क. किसी व्यक्ति या किसी अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- ख. किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है; और
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत यथा निर्धारित, किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों का सिक्किष्शन, खरीद के माध्यम से या अन्यथा अधिग्रहण नहीं किया है।

36. संबंधित पक्ष लेनदेन

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप—धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों से कोई अनुबंध या प्रबंधन नहीं किया है।

37. तथ्यगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसे कोई तथ्यगत परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों।

क) अपशिष्ट प्रबंधनः

एलएमआरसी आज के अपशिष्ट को कल का कच्चा माल समझती है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना और उसका पुनःचक्रण करना है। अपशिष्ट की पहचान और उसके पुनःचक्रण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

- क. साइटों पर अपशिष्ट का 100ः पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है।
- ख. अपशिष्ट कागज का एक बहिस्रोत एजेंसी के माध्यम से उपयोगी कार्यालय स्टेशनरी के रूप में पुनःचक्रण किया जाता है।
- ग. स्रोत पर ही अपशिष्ट उत्पादन को कम करने पर प्रशिक्षण और जागरूकता।

ख) जल प्रबंधनः

लखनऊ मेट्रो निर्माण और प्रचालन एवं रखरखाव गतिविधियों में जल संरक्षण के बारे में बहुत अधिक सजग है। जल की खपत कम करने के लिए धुलाई की बजाय पोछा लगाने को प्रोत्साहनए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- क. स्टेशनों, डिपो, आवासीय कॉलोनियों, वायडक्टों इत्यादि पर वर्षा जल संचयन ढांचे स्थापित किए गए हैं।
- ख. अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित जल का पुनः प्रयोग
- ग. सीवेज वाटर और रिवर्स ऑस्मोसिस रिजेक्ट पाइप को पुनः बिछाना और निम्न प्रवाह प्लिम्बंग का प्रयोग



- घ. सक्षम दोहरे फ्लश शौचालयों का प्रयोग और शौचालय हेतु न्यूनतर क्षमता फ्लिशिंग टैंक का प्रयोग, जलरिहत मूत्रालयों को प्रोत्साहन
- छ. स्टेशन सफाई के लिए धुलाई की बजाय पोछा लगाने को प्रोत्साहन

ग) ऊर्जा का संरक्षणः

लखनऊ मेट्रो ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए हैं जैसे ट्रेनों में पुनरुत्पादक ब्रेकिंग के प्रयोग के परिणामस्वरूप ट्रैक्शन ऊर्जा में 30 से 35 प्रतिशत की बचत होने से ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन में कमी, स्टेशनों की वातानुकूलन प्रणाली में भूमिगत स्टेशनों के लिए 1 प्रतिशत के मानदंड का उपयोग, सभी लिफ्टों और एस्केलेटर्स के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (VVVF) ड्राइव का प्रयोग, स्टेशनों पर एलईडी लाइटों का प्रयोग, भूमिगत खंड के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ECS) और टनल वेंटिलेशन प्रणाली (TVS) के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग इत्यादि।

वर्तमान में, लखनऊ मेट्रो द्वारा रेस्को मॉडल के अंतर्गत ट्रेन स्टेबलिंग शेड और निरीक्षण लाइन शेडों में स्थापित 1 मेगावाट क्षमता के रूफ माउंटेड फोटोवोल्टेक सेलों को चालू किया गया है। इन सभी अभिनव उपायों के चलते, परियोजना की 19.46: की आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (EIÙK) सहित, संस्था 5 वर्षों में परियोजना की पूरी निवेश लागत वसूल करने में सक्षम होगी।

घ) विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्वाह

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं हुई। विदेशी बहिर्वाह का विवरण निम्न प्रकार है:

राशि रुपये में

क्र स	विवरण	2017—18 (लाख में)	2016—17 (लाख में)
1	अनुबंध भुगतान	22190	16618
2	व्यावसायिक और परामर्शदाता शुल्क	3468	1535
3	टूर, ट्रेवल्स और अन्य	15	32
4	पूंजीगत वस्तुएं	27100	शून्य



निशातगंज के पास रेलवे परिचालन ट्रैक मुख्य लाइन पर 60 मीटर के विशेष इस्पात स्पैन का निर्माण

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वर्ष के दौरान नवनियुक्ति और पदत्याग / सेवानिवृत्ति वाले निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है:

	वर्ष के	दौरान नव	ावनियुक्ति			वर्ष के दौरान कार्यकाल समाप्ति / सेवानिवृत्ति			
	क्र.सं.	नियुक्त निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	क्र.स.	पदत्याग करने वाले निदेशक	पदनाम	पदत्याग की तारीख	
	1.	डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय	अपर मुख्य सचिव, 2 अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	7.03.2018	1. 3	ग्री रामा रमण प्रग्	रुख सचिव, 12 औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	.04.2017	
आ	2. युक्त, ल		अपर सचिव, डीएंडसी, 12.04.2017 आवास एवं शहरी कार्य मत्रालय	24.0	8.2017	2	8	गे भुवनेश कुमार	
	3.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	27.03.2018	3.		।पर मुख्य सचिव, १। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	5.03.2018	
	4.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	27.03.2018	4.	श्री आलोक सिन्हा उ	 पर मुख्य सचिव, 10 अवसंरचना और औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश	5.03.2018	
						0 \ \	सरकार		
					5.	श्री के.के. सबरवाल	निदेशक (वित्त), डीएमआरसी	16.03.2018	
					6.	श्री के.के. अग्रवाल	कार्यकारी निदेशक (योजना),	30.01.2018	
					7.	श्री दलजीत सिंह	(डब्ल्यू एंडआई),	31.10.2017	
					8.	श्री मुकेश मित्तल	उत्तर प्रदेश	28.02.2018	
					9.	श्री राजीव गाबा	सरकार सचिव, आवास एवं शहरी कार्य	21.06.2017	



मंत्रालय, भारत सरकार

38. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्न प्रकार हैं:

- 1. श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
- 2. श्री महेन्द्र कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (सचल स्टॉक एवं प्रणाली)
- 3. श्री अजय कांत रस्तोगी, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
- 4. श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
- 5. श्रीमती पुष्पा बेलानी, कम्पनी सचिव
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण वार्षिक रिटर्न के सारांश में वर्णित किया गया है।

प्रशंसा के शब्द

निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यकाल समाप्त होने वाले निदेशकों श्री राजीव गाबा, श्री मुकुल सिंघल, श्री आलोक सिन्हा, श्री के के सब्बरवाल, श्री के के अग्रवाल, श्री रामा रमण, श्री भुवनेश कुमार, श्री मुकेश मित्तल द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं और विशेषज्ञ सलाह के लिए अपना आभार व्यक्त करता है।

39. महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश

ऐसे कोई महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश विनियामकों या किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नही किए गए जिससे कंपनी की चलायमान प्रतिष्ठान स्थिति और इसके प्रचालन प्रभावित होते हों।

40 जोखिम प्रबंधन नीतिः

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के घटित होने से पहले पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और परियोजना के दौरान आवश्यक होने पर और बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति करने में प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सके।

इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को चिन्हित किया है:

- 1. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी मौजूदा और भविष्य के भौतिक जोखिमों को चिन्हित, निर्धारित, मात्राबद्ध, उचित रूप से कम, समय पर कम और प्रबंधन किया गया है
- 2. यह सुनिश्चित करना कि उच्च प्राथमिकता जोखिम आक्रामक रूप से प्रबंधित और समाप्त किए जाते हैं;
- 3. यह सुनिश्चित करना कि सभी जोखिमों का लागत प्रभावी रूप से पूरे परियोजना में प्रबंधन किया जाता है;
- 4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देना:
- 5. जहां भी लागू हों, उचित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- 6. आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति और उनमें सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:
 - स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनके अवलोकनों की समीक्षा और जहां भी उचित पाया जाए सुधारात्मक कार्रवाई।
 - आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित टीम द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

41 आतरिक वित्तीय नियत्रण

बोर्ड ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करके और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार और उन्हें प्रस्तुत करके कम्पनी के कारोबार का व्यवस्थित और सक्षम व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

42. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपने सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही अपनाती है। 'कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

43. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में मैसर्स डी एस शुक्ला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था जो अगली वार्षिक आम बैठक के संपन्न होने तक कार्यरत रहेंगे। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग रूप में उपयुक्त तौर पर संलग्न की गई है।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैसर्स दिलीप दीक्षित एंड कं., कार्यरत कंपनी सचिव, को वर्ष 2017—18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रश्नों पर कंपनी सचिव द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर उनकी रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

घ) अन्य प्रकटन

44. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल इस परियोजना के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपीय निवेश बैंक को हार्दिक धन्यवाद देता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षकों, वैधानिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और आपूर्तिकर्ताओं का उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए किठन परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए आभार प्रकट करना चाहता है जिसके कारण परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और ट्रेन प्रचालन आरंभ होने को हैं। निदेशक मंडल आने वाले वर्षों में भी कंपनी को और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए उनसे उत्साह और समर्पण पूर्ण सेवाओं की अपेक्षा करता है।

स्थानः नई दिल्ली दिनाकः 23/07/2018 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेस्डिं (निमिटेड
कुमार केशव अजय कान्त रस्तोगी
प्रबन्ध निदेशक वित्त निदेशक
डीआईएन-02908695 डीआईएन-07228424



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (LMRCL) की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, लखनऊ शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य एवं ग्राहक—हितैशी मेट्रो प्रणाली उपलब्ध कराने के अपने कॉर्पोरेट उद्देश्य को हासिल करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सही प्रथाओं एवं नीतिगत मानकों को सुनिश्चित करते हुए त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के अनुपालन की धारणा से विकसित की गई है। एलएमआरसीएल नैतिकता के उच्च मानकों का अनुकरण करता है और अपने पूरे परिचालन क्षेत्र में सामंजस्य एवं विश्वास के मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है।

अपने कामकाज के निष्पादन में, एलएमआरसीएल का मार्गदर्शन सीवीसी दिशानिर्देशों, कंपनी की अंतर्नियमावली (AoA), कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, लागू लेखाकरण मानकों, प्राधिकरणों जैसे सीएंडएजी द्वारा निर्धारित विनियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, संगठन के कामकाज में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों के कल्याण तथा ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास का प्रावधान और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों आदि के पुनर्वास आदि के संबंध में लागू सभी सांविधिक नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

1 निदेशक मंडल

1 निदेशक मडल की सरचना

इस रिपोर्ट की तिथि को लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में 13 निदेशक शामिल हैं जिसमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामिती, 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामिती और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष हैं जबिक प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के एक नामिती हैं। 31.03.2018 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम पदनाम श्री दुर्गा शंकर मिश्रा अध्यक्ष, सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन श्री कुमार केशव श्री मनोज कुमार नामिती निदेशक, भारत सरकार अपर सचिव (डीएंडसी), एमओएचयूए श्रीमती झांझा त्रिपाठी नामिती निदेशक, भारत सरकार संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए श्री विनय कुमार सिंह नामिती निदेशक, भारत सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड डॉ. अनुप चन्द्र पाण्डेय नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार अपर मुख्य सचिव, बुनियादी ढ़ाचा और औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार श्री नितिन रमेश गोकर्ण नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार श्री अनिल गर्ग नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त, लखनऊ

श्री महेन्द्र कुमार	पूर्णकालिक निदेशक निदेशक (आरएसएंडएस), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरशन
श्री अजय कांत रस्तोगी	पूर्णकालिक निदेशक निदेशक (वित्त), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है:

- 1. श्री मनोज कुमार
- 2. डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय
- 3. श्री नितिन रमेश गोकर्ण
- 4. श्री विनय कुमार सिंह

2 प्रशसा के शब्द

बोर्ड निम्नलिखित निदेशकों जिनका कार्यकाल रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समाप्त हो गया, द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाएं और विशेषज्ञ सलाह के लिए उनकी सराहना करता है:

पदत्याग करने वाले निदेशक का नाम	पदनाम	पदत्याग की तारीख
श्री रमा रमण	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	12/04/2017
श्री भुवनेश कुमार	आयुक्त लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार	12/04/2017
श्री मुकुल सिंघल	अपर मुख्य सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	16/03/2018
श्री आलोक सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, अवसंरचना और औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	16/03/2018
श्री के के सब्बरवाल	निदेशक (वित्त), डीएमआरसी	16/03/2018
श्री के के अग्रवाल	कार्यकारी निदेशक (योजना), रेलवे	30 / 01 / 2018
श्री दलजीत सिंह	निदेशक (डब्ल्यूएंडआई), एलएमआरसी	31/10/2017
श्री मुकेश मित्तल	वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	28 / 02 / 2018
श्री राजीव गाबा	सचिव, एमओएचयूए, भारत सरकार	21/06/2017

कंपनी के निदेशक मंडल में प्रामाणिक प्रशासनिक एवं निष्पादन दक्षता वाले कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, जो और कंपनी के मामलों को प्रत्यक्षतः निर्देशित करते हैं।

3. बोर्ड प्रक्रिया

बोर्ड बैठकें कंपनी के समीक्षात्मक मूल्यांकन और कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करने और प्रबंधन के निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर संचालित की जाती हैं। कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड उप—समिति की बैठकों के आयोजन के लिए, नीचे दिए अनुसार एक प्रक्रिया बनाई है:

बोर्ड / समिति बैठकों के लिए अनुसूची और कार्यसूची मदों का चयन

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित सूचना देकर बैठकों का संयोजन किया जाता है। विशिष्ट तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बैठकें संक्षिप्त अविध में भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड प्रसार के द्वारा, केवल ऐसे मामलों जो बेहद जरूरी होते और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य हैं, के लिए प्रस्ताव भी पारित करता है।



कार्यसूची से संबंधित कागजात संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी सहित अन्य व्याख्यात्मक विवरण पहले ही बैठकों में सदस्यों द्वारा सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए बांटे जाते हैं।

विशेष एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मद(दें), जो कार्यसूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमित से चर्चा के लिए रखी जाती हैं। अनुमोदन की प्रमुख घटनाओं / मदों के बारे में भी बोर्ड को भी जहां आवश्यक हो सूचित किया जाता है। बोर्ड की बैठकों में प्रबंध निदेशक कंपनी के समग्र कार्यप्रदर्शन की जानकारी देते हैं। पिछली बैठकों में बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की बोर्ड समीक्षा भी कार्यसूची का एक भाग होता है।

बोर्ड के सदस्यों का कंपनी की सभी सूचनाओं पर पूर्ण अभिगम होता है। साथ ही, बोर्ड की बैठकें सचिवीय मानक—1 के अनुसार संचालित की जाती हैं।

प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त जानकारी देना

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरूआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति सहित किए गए प्रमुख कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों / प्रगतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

बोर्ड बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को रिकार्ड किया और कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड बैठकों की कार्यवाही उस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड की उपसमिति की बैठक की कार्यवाही बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है।

अनुपालन:

विभागों के प्रमुख, कार्यसूची नोट्स तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, संस्था के अंतर्नियमों और सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी उनको सौपे गए कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। वे कॉर्पोरेट कामकाज में योगदान देने में हमेशा उच्च मनोबल और मूल्य कायम रखते हैं तथा प्रबंधन से उपयुक्त और समयबद्ध मार्गदर्शन उनके दायित्वों के प्रभावी तरीके से निर्वहन में उन्हें सहायता प्रदान करता है।

4 शेयरधारकों की बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक आम बैठक 1 सितंबर, 2017 को कंपनी के लखनऊ स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई।

5 बोर्ड बैठकें

वित्त वर्ष 2017—2018 के दौरान, बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी के प्रत्येक पूर्व निदेशकों और वर्तमान निदेशकों की उनके सेवाकाल के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	नाम	2017—18 में उनके निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की सं.
1	श्री दुर्गाशंकर मिश्रा	4	4
2	श्री मनोज कुमार	3	2
3	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	4	3
4	श्री के के अग्रवाल	3	2
5	श्री के के सबरवाल	4	4

6	श्री मुकुल सिंघल	3	3
7	श्री आलोक सिन्हा	3	1
8	श्री मुकेश मित्तल	4	2
9	श्री अनिल गर्ग	4	1
10	श्री कुमार केशव	4	4
11	श्री महेंद्र कुमार	4	4
12	श्री अजय कांत रस्तोगी	4	4
13	श्री दलजीत सिंह	2	2
14	श्री रामा रमन	0	0
15	श्री भुवनेश कुमार	0	0

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने कंपनी के प्रचालनों के आकार एवं प्रकार को ध्यान में रखते हुए पांच उप समितियां गठित की हैं। ये हैं लेखापरीक्षा समिति और निवेश समिति, यौन उत्पीड़न समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन समितियों की बैठकें कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय—समय पर की जाती हैं।

क. लेखापरीक्षा समितिः

इस तिथि तक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार 2 प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	7.03.2018
2	श्री अजय कुमार शुक्ला	सदस्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	2.5.2018
3	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	सदस्य, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 2 एमओएचयूए	4.8.2017
4	श्री महेंद्र कुमार	सदस्य, निदेशक (आरएसएंडएस), एलएमआरसी	24.8.2017



24.8.2017 को निदेशक मंडल ने श्री सदा कांत के स्थान पर श्री मुकुल सिंघल की नियुक्ति करते हुए लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। 27.3.2018 को श्री मुकुल सिंघल के स्थान पर श्री नितिन रमेश गोकर्ण की नियुक्ति किए जाने से, उन्हें लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अजय कांत रस्तोगी, डी(एफ) को श्री महेंद्र कुमार, निदेशक (आरएसएंडएस), एलएमआरसी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। 28.2.2018 को श्री मुकेश मित्तल की अधिवर्षिता के कारण श्री अजय कुमार शुक्ला को 23.5.2018 को कंपनी का नामिती निदेशक नियुक्त किया गया है, तदनुसार उन्हें भी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई:

बैठक सं.	बैठक की तिथि
10वीं	20.04.2017
11वीं	18.05.2017
12वीं	28.08.2017
13वीं	06.02.2018

कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	2017—18 में उनके सदस्य कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सदा कांत	2	2
2	श्री मुकेश मित्तल	4	3
3	श्री अजय कांत रस्तोगी	2	2
4	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	2	0
5	श्री महेंद्र कुमार	2	2
6	श्री मुकुल सिंघल	2	2

ख. निवेश समितिः

इस तिथि को कंपनी की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.स.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री महेंद्र कुमार, निदेशक (आरएसएंडएस)	सदस्य
3	श्री अजय कांत रस्तोगी निदेशक (वित्त)	सदस्य

वर्ष के दौरान निवेश समिति की बैठकें तीन बार आयोजित की गई।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	2017—18 में उनके सदस्य कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री कुमार केशव	7	7
2.	श्री महेन्द्र कुमार	7	7
3.	श्री अजय कांत रस्तोगी	7	7

ग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 9.2.2018 को गठित की गई और आज की तारीख को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.स.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग और नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
2	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक (रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स), एलएमआरसी
3	श्री अजय कांत रस्तोगी	निदेशक (वित्त), एलएमआरसी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

घ) नामांकन और पारिश्रमिक समितिः

आज की तारीख को कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.स.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री मुकुल सिंघल	अपर मुख्य सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
2	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	पमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग और नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
3	श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, एलएमआरसी
4	श्री अजय कांत रस्तोगी	निदेशक (वित्त), एलएमआरसी

^{*27.3.2018} को श्री मुकुल सिंघल के स्थान पर श्री नितिन रमेश गोकर्ण की नियुक्ति किए जाने से, 06.06.2018 को उन्हें एनआरसी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनआरसी समिति की 06.02.2018 को केवल एक बार बैठक आयोजित की गई और समिति के सभी सदस्य इसमें उपस्थित हुए।

2. प्रकटन

क) कोई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन अर्थात् अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधियों आदि के साथ कंपनी का कोई भौतिक लेनदेन नहीं हैं जो व्यापक तौर पर कंपनी के हित से कंपनी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ख) कंपनी द्वारा किसी सांविधिक नियम के गैर—अनुपालन जैसे कोई मामले या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड या जुर्माने की कोई घटना नहीं हुई।
- ग) कंपनी के बही खातों में खर्च नामे डाली ऐसी कोई मद नहीं थी जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन से जुड़ी न हो।

3. कम्पनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.lmrcl.com है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी प्रापण के बारे में समयबद्ध जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना, अनुबंध, जॉब भर्ती प्रक्रिया सिंहत कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट में सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, कार्यकलापों और मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाती है।

पत्राचार का पता:

पंजीकृत कार्यालयः

प्रशासनिक भवन विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ—226010 फोनः 0522-2304011

ई—मेलः cslmrcl@gmail.com वेबसाइट : www.lmrcl.com

> लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23.07.2018

ह0/-**कुमार केशव** प्रबन्ध निदेशक डीआईएन-02908695 ह0/-अजय कान्त रस्तोगी वित्त निदेशक डीआईएन-07228424

दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी कम्पनी सचिव

ई—मेल : cs.dilipdixit@gmail.com संपर्क नं. : +91 8354980010

फॉर्म सं. एमआर—3 सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्यगण,

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएनः यू60300यूपी2013एसजीसी060836 पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन विपिन खंड, गोमती नगर, निकट डॉ. अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ—226010 उत्तर प्रदेश ईमेल आईडी: cslmrcl@gmail.com

हमने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के तौर पर संदर्भित) द्वारा स्वीकार्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई जिसने हमें निगमित संचालनों / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय प्रकट करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिहयों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं, फॉर्मों, जमा की गई रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा सिचवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अविध के दौरान नीचे सूचीबद्ध किए गए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में इस सीमा तक, इस प्रकार से और इसके बाद किए गए निम्न सूचनों के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं।

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं, फॉर्मों और जमा की गई रिटर्नों तथा रिकॉर्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों; (लेखापरीक्षा अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (iii) डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम; **(लेखापरीक्षा अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**



- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के अंतर्गत निर्दिष्ट नियम और विनियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
 - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखापरीक्षा अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतःक्षिप्त व्यापार का निषेध) विनियम, 1992; (लेखापरीक्षा अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009; (लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों की कोई सार्वजनिक पेशकश नहीं कीं);
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (28 अक्टूबर 2014 से प्रभावी) (लागू नहीं क्यों कि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी विकल्प नहीं दिया है);
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008 (लागू नहीं क्यों कि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अविध के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी);
 - (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रिजस्ट्रार) विनियम, 1993 (लागू नहीं क्यों कि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम और शेयर अंतरण के रिजस्ट्रार के रूप में पंजीकृत नहीं है);
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; **(लागू नहीं क्योंकि कंपनी एक** सूचीबद्ध इकाई नहीं है); और
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 (लागू नहीं क्यों कि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापस खरीद नहीं की / वापस खरीदने का प्रस्ताव नहीं किया है);
- (vi) अन्य विविध और सामान्य कानून जो कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू होने की सीमा तक।

में पुनः सूचित करता हूं कि निम्नलिखित अन्य कानून कंपनी पर विशेष रूप से लागू होते हैं:

- 1. मेट्रो रेलवे (कार्य का निर्माण) अधिनियम 1978;
- 2. मेट्रो (प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम 2002
- 3. मेट्रो रेलवे संशोधन अधिनियम, 2009

हम पुनः सूचित करते हैं कि लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की मेरी लेखापरीक्षा के अंतर्गत पूर्णतया समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षा और अन्य नामित प्रोफेशनल्स के दायरे में आती है। हमने निम्नलिखि

हमने निम्नलिखित की स्वीकार्य धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन अनुपालन किया है:

स्वीकार्य कानूनों के संबंध में विशिष्ट अवलोकनों / लेखापरीक्षा अर्हता, पूर्वधारण या प्रतिकूल टिप्पणियों पर पैरा वार रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ''अनुलग्नक क'' (रिपोर्ट के भाग) में प्रदान की गई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन सहित विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अविध के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और इस संबंध में संबंधित विनियामक निकाय और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, अधिकांश बैठकों की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए, और बैठक से पूर्व और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत रिकॉर्ड और हस्ताक्षर की गई बैठक की कार्यवाही के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और विचार में कोई मतभेद दर्ज नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते मै. दिलीप दीक्षित एड कम्पनी

हस्ता. / — दिलीप कुमार दीक्षित एफसीएस नं. 6244 सीपी नं 6770

स्थानः लखनऊ दिनांकः 20.07.2018

नोटः इस रिपोर्ट को सचिवीय लेखापरीक्षक के समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए।

अनुलग्नक क

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा अविध के दौरान आयोजित बोर्ड की खास तौर पर 29वीं और 30वीं बैठक के बीच लगातार दो बोर्ड मीटिंगों के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अंतराल का निरीक्षण।
- 2. कंपनी द्वारा कंपनी हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति मंजूर नहीं किए जाने से न तो अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति का प्रकटन किया है और न ही इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला है।

कृते मै दिलीप दीक्षित एड कम्पनी

हस्ता./— दिलीप कुमार दीक्षित एफसीएस नं. 6244 सीपी नं. 6770

स्थानः लखनऊ दिनाकः 20.07.2018



दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी

ई—मेल : cs.dilipdixit@gmail.com संपर्क नं. : +91 8354980010

सेवा में

सदस्यगण

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएनः यू60300यूपी2013एसजीसी060836 पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन विपिन खंड, गोमती नगर, निकट डॉ. अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ—226010 उत्तर प्रदेश

ईमेल आईडीः cslmrcl@gmail.com

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है।

- सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अपनी राय प्रदान करना है।
- 2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जो सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। परीक्षण आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- 3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता, हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित नहीं होने पर, का सत्यापन नहीं किया है।
- 4. जहां भी अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रम इत्यादि के बारे में प्रबंधन का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।
- 5. कॉर्पोरेट और अन्य स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की जीवनक्षमता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावीपन का आश्वासन है जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य सचालन किया है।

कृते मै. दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी

हस्ता. /— दिलीप कुमार दीक्षित एफसीएस नं. 6244 सीपी नं. 6770

स्थानः लखनऊ दिनाकः 20.07.2018

वित्त वर्ष 2017—18 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक की प्रारूप सचिवीय लेखापरीक्षा पर टिप्पणी

अनुलग्नक	टिप्पणी	उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की खास तौर पर 29वीं और 30वीं बैठक के बीच लगातार दो बोर्ड मीटिंगों के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अंतराल का निरीक्षण।	29वीं बोर्ड बैठक 01.09.2017 को और 30वीं बोर्ड बैठक 06.01.2018 को आयोजित की गई थी। कैलेंडर वर्ष का अंत होने से 6 दिनों का विलंब हुआ, और पूर्व निर्धारित और अपरिहार्य कारणों से, सदस्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं थे और इसलिए बैठक निर्दिष्ट दिनों में आयोजित नहीं की जा सकी।
2.	कंपनी द्वारा कंपनी हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति मंजूर नहीं किए जाने से न तो अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति का प्रकटन किया है और न ही इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला है।	बोर्ड ने 09.02.2018 को आयोजित 31वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति ने 13.07.2018 को आयोजित बैठक में कंपनी की सीएसआर नीति का अनुमोदन किया और बोर्ड से अनुमोदन की सिफारिश की। बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(कंपनी सचिव)



निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक—1 फार्म नं. एमजीटी 9 वार्षिक रिटर्न का सारांश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U60300UP2013SGC60836
2.	पंजीकरण तिथि	25 नवम्बर, 2013
3.	कम्पनी का नाम	लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	कम्पनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, परिवर्तन स्थल, लखनऊ—226010 फोनः 0522 2304010 फैक्सः ई—मेलः cslmrcl@gmail.com वेबसाइटः www.lmrcl.com
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध नहीं है
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

2. कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलाप का विवरण

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यवसाय कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत	
1.	मास रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज	99642108	100%	

3. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	·	लागू धारा
1.			लागू नहीं	

4. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणी—वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी			न में धारित की सं. 2017 को)		वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. वर्ष के दैं (31 मार्च, 2018 को)			रान प्रतिशत बदलाव	
	डिमै ट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल शे	कुल यरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	21260000	21260000	22.55%	-	65160000	65160000	41.20%	
(ग) राज्य सरकार(रें)	-	73005000	73005000	77.45%	-	93005000	93005000	58.80%	
(घ) निकाय कार्पी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड.) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयरधारिता		94265000	94265000	100%		158165000	158165000	100%	-
ख.सार्वजनिक शेयरधारित									
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-		-
ड.) उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई		-	-	-	-	-	-	-	
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-



झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप—योग (ख) (1):									
2. गैर—संस्थानिक		-	-	-	1	-	-	-	
क) निकाय / निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	1	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक मामूली शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ii) रु. 1 लाख से मामूली शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	1	1	-	-	1	-	-	-	-
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर—निवासी भारतीय									
विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट		-	-	-	ı	-	-	-	
विदेशी निकाय—डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप—योग (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	94265000	94265000	100%		158165000	158165000	100%	

ख) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता						के दौरान शेयर धारित में प्रतिशत बदलाव
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक / मारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं. १	कम्पनी के कुल ग्रेयर काभा प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक / ग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1.	केन्द्र सरकार	21260000	22.55%	-	65160000	41.20%	-	18.65% वृद्धि
2.	उ.प्र. सरकार	73005000	77.45%	-	93005000	58.80%	-	18.65% कमी
	कुल	94265000	100%	-	158165000	100%	-	-

ग) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में बदलाव (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नही है)

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	(1.04.2017) प्रारंभ में शेय		दिनांक	शेयरहोल बढ़ा / घ		वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के १ कुल शेयरों का प्रतिशत	संख्या	रुंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	उ.प्र. सरकार	73005000	77.45%	22.05.201 <i>7</i> राइट इश्यू	20000000	18.65% वृद्धि	93005000	58.80%
2.	भारत सरकार	21260000	22.55 %	22.05.2017 राइट इश्यू	43900000	18.65% कमी	65160000	41.20%
	कुल	94265000	100%		63900000			

घ) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्नः

(निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वृद्धि / कमी के कारण (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि): दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी		लागू नहीं		
	वर्ष के अंत में				



ङ) निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिताः

क्र.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय व कार्मिक की शेयरधारिता	र्ष के प्रारंभ	में शेयरधारिता व	र्ष के दौरान समेकित शेयरधारिता		
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	
	वर्ष के प्रारंभ में		-	-	_	
	वृद्धि / कमी के कारण (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि): दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रर्वतक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी	-	-	-	-	
	वर्ष के अंत में		-	-	_	

5. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	14,64,32,00,000	-	14,64,32,00,000
ii) ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं	-		-	
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	-	33,49,148	-	33,49,148
कुल (i+ii+iii)	-	14,64,65,49,148	-	14,64,65,49,148
वित्त वर्ष के दौरान ऋणगस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
* संयोजन	-	2,60,78,77,03,619	-	2,60,78,77,03,619
* कटौती	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	2,75,40,50,00,000	-	2,75,40,50,00,000
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	-	2,24,03,688	-	2,24,03,688
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	-	68,49,079	-	68,49,079
कुल (i+ii+iii)	-	2,75,43,42,52,767	-	2,75,43,42,52,767

6.

निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	7	एमडी / डब्ल्यूटीड	डी / प्रबंधक का न	गम (राशि रु. में)	कुल राशि
		प्रबंध निदेशक	डब्ल्यूडी (एफ)	डब्ल्यूडी (डब्ल्यूएडआई)	डब्ल्यूडी (आरएडएस)	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	26,46,933.00	27,50,492.00	26,39,787.00 2	24,83,005.00 1	,05,20,217.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	4,21,792.00	9,23,443.00	4,96,424.00	3,81,312.00	22,22,971.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	
3.	स्वैट इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन -लाभ का प्रतिशत, अन्य विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
	कुल (क) रु. अधिनियम के अनुसार सीमा	30,68,725.00	36,73,935.00	31,36,211.00	28,64,317.00	,27,43,188.00

अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक ख.

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण		निदेशक का नाम					

1.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-			
	बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-			
	कमीशन	-	-	-	-	-		
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-			
	कुल (1)	-	-	-	-			
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक							
	बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क	-	-	-	-			
	कमीशन	-	-	-	-			
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें–रिटेनरशिप	-	-	-	-			
	कुल (2)	-	-	-	-			
	कुल (ख) = (1 + 2)	-	-	-	-			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा							





ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीएस			कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	9,34,875.00	1	-	9,34,875.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	1,72,661.00	1	-	1,72,661.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	स्वैट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ का प्रतिशत	-	-	-	-
	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	11,07,536.00	-	-	11,07,536.00

7. जुर्माना / दण्ड / अपराधों का प्रशमनः

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड / जुर्माने / प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)	
क. कम्पनी						
जुर्माना	-	1	1	-	-	
दण्ड	-	-	-	-	-	
प्रशमन	-	1	1	-	-	
ख. निदेशक						
जुर्माना	-	-	-	-	-	
दण्ड	-	-	-	-	-	
प्रशमन	-	-	-	-	-	
ग. अन्य चूककर्ता	ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-	
दण्ड	-	-	-	-	-	
अभियोग	-	-	-	-	-	

नोट सं. 29

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ वित्तीय वर्ष 2017–18

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां

(क) सामान्य सूचना

1 रिपोर्टिंग संस्था

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी" के तौर पर संदर्भित) भारत में अधिवासी और भारत सरकार (GOI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) की 50:50% इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित (CIN: U60300UP2013SGC060836) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ शहर में मेट्रो रेल द्वारा व्यापक तीव्र परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के निष्पादन हेतु 25 नवंबर, 2013 को विशेष उद्देष्य वाहन (एसपीवी) के तौर पर इसका गठन किया गया था। भारत सरकार—शहरी विकास मंत्रालय ने पत्र सं. के—14011/27/2013—एमआरटीएस—IV दिनांक 25 जनवरी, 2016 के माध्यम से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज—1ए के कार्यान्वयन को अपना अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना में 692800 लाख रुपये की समापन लागत (मई, 2013 के मूल्य स्तर पर आधारित 7.5% प्रति वर्ष की लागत वृद्धि और 48 करोड़ रुपए की आईडीसी सहित) पर 21 स्टेशनों सहित 22878 कि.मी. की कुल लंबाई शामिल है। फेज 1ए — ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग (8.5 कि.मी.) के प्राथमिकता खंड का वाणिज्यिक प्रचालन 5 सितंबर, 2017 से आरंभ हो गया है। बाकी लगभग 14.378 कि.मी. पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2017—18 के दौरान, अन्य प्रचालनों में प्राथमिकता खंड कोरीडोर के साथ संपत्ति और स्थान से कुछ किराए की आय शामिल है।

2. तैयार करने का आधार – अनुपालन का कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित, भारतीय लेखांकन मानकों (Ind. AS) और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणियों / घोषणाओं पर भी, जहां लागू हों, विचार किया जाता है, इन्हें कंपनी द्वारा लगातार अपनाया जाता है। कंपनी ने प्रस्तुति की अवधियों के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है। ये कंपनी के पहले इंडियन एएस वित्तीय विवरण हैं और इंड एएस 101% भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण लागू किया गया है।

31 मार्च, 2017 तक और सिंहत की सभी अविधयों के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपीपी), जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 (सामूहिक तौर पर 'पूर्व जीएपीपी' के तौर पर विचारित) के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, के अनुसार तैयार किए थे। कंपनी ने संक्रमण की तारीख यानी 1 अप्रैल, 2016 को अपना आरंभिक इंड एएस तुलनपत्र तैयार करने में इंड एएस के प्रावधानों का पालन किया है। आरंभिक तुलनपत्र में प्रयुक्त कंपनी की कुछ इंड एएस लेखांकन नीतियां 31 मार्च 2016 को लागू की गई इसकी भारतीय जीएपीपी लेखांकन नीतियों से भिन्न थी और तदनुसार इंड एएस के अनुसार आरंभिक शेषों के पुनःकथन के लिए इंड एएस 101 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन किए गए। इंड एएस में संक्रमण की तारीख से पूर्व की घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न, परिणामी समायोजनों को, 1 अप्रैल 2016 को इंड एएस 101 द्वारा अपेक्षित प्रतिधारित आय के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर मान्य किया गया। ये परिवर्तन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में तैयार किए गए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में दर्शाए गए हैं।



मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर, निम्न को छोड़कर, तैयार किए गए हैं:

- कुछ वित्तीय पिरसंपत्तियां और देनदािरयां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय लिखतों से संबंधित लेखांकन नीति देखें)
- ii. परिभाषित लाभ योजनाएं और योजना परिसंपत्तियां। उचित मूल्यों के मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों पर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में चर्चा की गई है।

4. चलायमान प्रतिष्ठान अनुमान

वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं क्योंकि बोर्ड का यह विचार है कि कंपनी का प्रचालन अस्तित्व निकट भविष्य में जारी रहेगा और भुगतान हेतु देय होने पर देयताओं की पूर्ति की जायेंगी।

5. अनुमानों का प्रयोग और प्रबंधन का निर्णय

वित्तीय विवरण इंड. एएस के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और धारणाएं भी अपेक्षित होती हैं जो सूचित अविध के दौरान राजस्व और व्यय की सूचित राशियों तथा वित्तीय विवरणों की तारीख को पिरसंपित्तयों, देयताओं की सूचित राशियों और आकिस्मक देयताओं / पिरसंपित्तयों के प्रकटन को प्रभावित करती हैं। वास्तविक पिरणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों की समय—समय पर समीक्षा की जाती है और लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अविध में मान्य किए जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अविध प्रभावित होती है। वास्तविक पिरणामों और अनुमानों के बीच अंतरों को उस अविध में मान्य किया जाता है जिसमें पिरणाम दृष्टिगोचर होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्य की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिष्चितता और निर्णायक निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है:

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण अनुपात दर्शाते हैं। आवधिक मूल्यहास के संबंध में प्रभार किसी परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन, उसके जीवन के अंत में प्रत्याशित अविशष्ट मूल्य के अनुमान और मूल्यहास की विधि का निर्धारण करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन और अविशष्ट मूल्य प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय निर्धारित किए जाते हैं और मूल्यहास विधि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय—समय पर समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवन समान अनुभवों के साथ ही भविष्य की घटनाओं के अनुमान के साथ ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन।
- प्रावधानः प्रावधान तब मान्य किए जाते हैं जब कंपनी पर पिछली घटनाओं परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा और राशि का अनुमान लगाया जा सके। भविष्य के प्रचालन नुकसानों के लिए प्रावधान मान्य नहीं किए जाते। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।
- आकिस्मिक देयताएं / पिरसंपित्तयां: आकिस्मिक देयताओं का प्रकटन पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या जहां किसी मौजूदा दायित्व का मापन संसाधनों के भविष्य के बिहर्वाह के संदर्भ में नहीं किया जा सके या जहां दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सके। आकिस्मिक देयताओं / पिरसंपित्तयों का प्रकटन, जहां भी आवश्यक हो, प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधन अनुमान दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

- रोज़गार पश्चात योजनाः कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्यु दर और आहरण दर के साथ ही छूट दरों में भविष्य की प्रगतियों से संबंधित धारणा, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी के अनुसार इसके दायित्वों के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनुमान उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन अनुमानों में किसी परिवर्तन से गणनाओं पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- पीपीई का हानि परीक्षणः पीपीई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञों के अनुमानों के निर्णय, जहां भी अपेक्षित हो, किया जाता है। इन अनुमानों में किसी परिवर्तन से वसूली योग्य राशि के मापन पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है और परिणामतः हानि हो सकती है। चूंकि कंपनी ने 05/09/2017 को प्राथमिकता क्षेत्र कोरीडोर का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया और फेज 1ए का कार्य प्रगति पर है, अतः प्रबंधन का मानना है कि वित्त वर्ष 2017—18 के दौरान पीपीई में कोई हानि नहीं हुई है।
- आस्थिगित कर पिरसंपित्तयों की मान्यताः आस्थिगित कर पिरसंपित्तयों को मान्य किए जाने की सीमा कंपनी की भिवष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित होती है जिसके लिए आस्थिगित कर पिरसंपित्त का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, किसी विधिक या आर्थिक सीमा के प्रभाव के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित होता है। उपरोक्त के संबंध में सूचन अविध के अंत में वहन राशि संबंधित नोटों में संदर्भित की जाती है।

चूंकि उक्त किराए के लिए सर्किल रेट का निर्णय होना बाकी है, व्यय का लेखांकन इसका अंतिम निर्णय आने पर ही किया जाएगा।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये — आईएनआर (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन तिथियों पर आईएनआर (₹) में मौजूदा विनिमय दर पर मान्य किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के समाधान पर प्राप्त लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण या प्रगतिशील कार्यपूंजी, जिससे भी वह संबंधित हो में मान्य किया जाता है।

2. सपत्ति, संयत्र और उपकरण और अमूर्त परिसपत्तियां

- 2.1 अमूर्त परिसंपत्तियों सिहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उनकी अधिग्रहण लागत / ऐतिहासिक लागत पर दर्शाएं जाते हैं। स्थिर परिसंपत्तियां संचित मूल्यहास और हानि, यिद कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की आरोप्य लागत शामिल है। नियत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधारी लागतों और अन्य प्रत्यक्षतः आरोप्य लागतों जो उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं को भी उस अविध की सीमा तक शामिल किया जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां उपयोग करने के लिए तैयार रहती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों से, या तो निपटान पर या सक्रिय उपयोग से निवृत्त होने पर हटा दिया जाता है।
- 2.2 परियोजना के एक से अधिक खंडों के लिए सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को तकनीकी अनुमानों / आकलनों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।
- 2.3 परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग में लाने के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य सभी लागतें इंड. एएस 16 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों की लागत में शामिल की गई हैं।
- 2.4 अनुबंधों को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण और इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण होने पर पूंजीकृत किया जाता है।



- 2.5 यात्रियों के सार्वजनिक वहन हेतु खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण कंपनी में परिभाषित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार सभी प्रकार से इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और ऐसे खंड को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनिवार्य निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के बाद किया जाता है।
- 2.6 प्रयोग में लाई जाने वाली परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के बिलों का अंतिम समाधान अभी प्रभावी होना है, अंतिम समाधान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अस्थायी आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।
- 2.7 स्टेशन प्रवेश और निकास के निर्माण की अनुमितयों के लिए विभिन्न भूस्वामी एजेंसियों को किए गए भुगतान को अमूर्त पिरसंपित के रूप में पूंजीकृत और पिरसंपित के उपयोगी जीवन पर ऋणशोधित किया गया है।
- 2.8 प्रमुख निरीक्षण, मरम्मत और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने पर व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा, यदि यह संभव हो कि इसमें सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत का विश्वसनीय तौर पर मापन किया जा सके।
- 2.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण मद की वहन राशि के निपटान से प्राप्त आय से तुलना करके किया जाता है, और लाभ और हानि के विवरण में विविध / अन्य आय और हानि के भीतर निवल में मान्य किया जाता है।

3 भूमि

- 3.1 कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु में कंपनी हेतु स्वीकृत भूमि के लिए ब्याज—मुक्त अधीनस्थ ऋण के भाग रूप में प्राप्त राशि भूमि के लिए ब्याज—मुक्त अधीनस्थ ऋण मानी जाती है।
- 3.2 कब्जे में लीज होल्ड भूमि सिहत भूमि की लागत या मुआवजे के तौर पर अस्थायी तौर पर भुगतानों / व्यवस्थित देयता को, भूमि या लीज होल्ड भूमि की लागत माना जाता है। अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए किए गए अस्थायी भुगतानों / व्यवस्थित देयता को भूमि की कब्जा अविध के लिए ऋणशोधित किया गया है।
- 3.3 एलएमआरसी द्वारा खरीदी गई भूमि के टुकड़ों जिनके कब्जे का लंबित पंजीकरण प्राप्त किया गया है, का उनके लिए किए गए भुगतान के आधार पर लेखांकन किया गया है।
- 3.4 एलएमआरसी को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ भूखंड मुफ्त प्राप्त हुए हैं। इन भूखंडों को प्रति भूखंड 1/ रुपये की सांकेतिक राशि पर फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि ये भूखंड इंड. एएस लागू होने से पूर्व प्राप्त किए गए थे, अतः इन्हें इंड एएस 101 में अनुमत छूट के अनुसार 1/ रुपये के मामूली मूल्य पर जारी रखा गया है।
- 3.5 परिसंपत्ति के आदान—प्रदान में प्राप्त भूमि को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया गया है। प्राप्त भूमि के उचित मूल्य और परिसंपत्ति की दी गई लागत के बीच अंतर स्वीकार्य सरकारी अनुदान के रूप में मान्य किया गया है। इन अनुदानों का लेखांकन स्थगित आय शीर्ष के तहत किया जाता है और इसे इंड़ एएस 20 के प्रावधानों के अनुसार ऋणशोधित किया जाता है।
- 3.6 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के पुनर्वास की लागत से संबंधित प्रतिपूर्ति, प्रतिस्थापन इत्यादि को कार्यशील पूंजी में दर्ज किया और पूरा होने पर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।
- 3.7 सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि जिसका स्वामित्व एलएमआरसी के पास निहित है को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया गया है जिसकी गणना ऐसी भूमि की प्राप्ति की तारीख को प्रभावी उस क्षेत्र की सर्कल दरों के आधार पर की जाती है।

4. कार्यशील पूजीः

- 4.1 पूंजीगत परिसंपत्तियों जो निर्माणाधीन हैं और इच्छित उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं, की लागत में परियोजना / परिसंपत्ति के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
- 4.2 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य प्रशासनिक, अप्रत्यक्ष और सामान्य ऊपरी खर्चों (निवल आय) को पूंजीकृत परिसंपत्तियों के अनुपात में आवंटित किया जाता है।
- 4.3 निर्माण अविध से संबंधित राशियों जैसे मूल्य भिन्नता, अंतिम जुर्माने (इक्विटी, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण और अनुदान द्वारा प्राप्त धन की अस्थायी नियोजन से प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त) इत्यादि को निर्माण के दौरान व्यय से समायोजित किया गया है।
- 4.4 मूल्य भिन्नता सहित दावों का लेखांकन अनुमोदन और स्वीकृति पर किया जाता है। तरल क्षति का लेखांकन अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है।

निर्माण के दौरान ब्याज आवटन

वर्ष के दौरान शुरू की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज (IDC), का आवंटन चालू किए जाने वाले महीने के अंत में अर्हक सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में चालू की गई परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात में किया जाता है। अन्य मामलों में, आईडीसी का आवंटन अंतिम खंड के पूंजीकरण की तारीख के आधार पर किया जाता है।

मूल्यहास / ऋणशोधन

6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्वास का प्रावधान किया जाता है, सिवाय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित परिसंपत्तियों / घटकों के संबंध में, जहां उपयोगी जीवन कंपनी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

क्र.सं.	परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्ष)
ए	रोलिंग स्टॉक	30
ए 1	रोलिंग स्टॉक के घटक— विद्युत आपूर्ति, सहायक उपकरण, ब्रेक, वातानुकूलन प्रणाली, इंटीरियर्स, बोर्ड नियंत्रण, उद्घोषणा और सीसीटीवी सिस्टम	18
बी	एस्केलेटर	30
बी 1	एस्केलेटर के घटक – हैंड रेल	7
बी 2	एस्केलेटर के घटक—चरण और चेन रोलर, रिले, टाइमर और नियंत्रण गियर	8
बी 3	एस्केलेटर के घटक— शेष घटक	15
सी	एलीवेटर	30
सी 1	एलीवेटर के घटक — ट्रैक्शन मशीन / मोटर, गवर्नर, एंटी	20
	क्रीप उपकरण	



सी 2	एलीवेटर के घटक — सुरक्षा गियर रस्सी, होइस्टिंग चेन / रस्सी	8
सी 3	एलीवेटर के घटक – कांटैक्टर्स, रिलेज	10
सी 4	एलीवेटर के घटक — शेष घटक	30
डी	एएफसी के घटक	
डी 1	सीएससी (संपर्करहित स्मार्ट कार्ड)	7
डी 2	सीएसटी (संपर्करहित स्मार्ट टोकन)	5
डी 3	पुनर्मूल्यांकन घटक	10
দ্যি	मोबाइल हैंडसेट	3

परिसंपत्तियों के घटकों की पहचान के लिए विचारित मापदंडः

- i. मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में 10 लाख रुपये या अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों और मुख्य परिसंपत्ति के 10% से अधिक मूल्य के घटकों का पर ही घटकीकरण का विचार किया गया है।
- ii. घटक का अधिकतम जीवन मूल परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित किया गया है।
- iii. परिसंपत्तियों के समान उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों को प्रमुख संपत्ति से संबंधित प्रतिशत का विचार न करते हुए, एक साथ जोड़ा गया है। शेष घटकों या नगण्य मदों को मूल परिसंपत्ति से मिलाकर जोड़ा गया है।
- iv. भूमि, ट्रैक कार्य (स्थायी मार्ग) और अमूर्त परिसंपत्तियों का घटकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि अलग–अलग घटकों की पहचान संभव नहीं है।
- v. वाहनों, अस्थायी संरचनाओं, सर्वेक्षण / सुरक्षा उपकरणों, आईटी प्रणाली, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नारों और संबंधित संपत्तियों को घटक नहीं बनाया गया है क्योंकि कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के संबंध में उनके मूल्य काफी नगण्य हैं।
- 6.2 5000 / रुपये या कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए खरीद के वर्ष में पूरी तरह से ऋणशोधन कर दिया गया है।
- 6.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को मूल्यहास माना जाता है और कटौती की जाती है।
- 6.4 मूल्यह्रास उस दिन से आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस दिन पिरसंपित्तयां उपयोग के लिए तैयार थी। मौजूदा पिरसंपित्तयों, जो मुख्य पिरसंपित्तयों का अभिन्न अंग हैं में संवर्धन / कटौती पर मूल्यह्रास उन पिरसंपित्तयों के शेष उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है।
- 6.5 पूंजीकृत की गई प्रमुख मरम्मत और निरीक्षण लागतों पर अगली अनुसूचित कटौती या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण / मरम्मत, जो भी पहले हो तक मूल्यहास किया जाता है।
- 6.6 सॉफ़्टवेयर से भविष्य के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और सरल रेखा पद्धति पर 5 वर्षों की अवधि में ऋणशोधित किया गया है।
- 6.7 उन मदों, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, पर व्यय ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

7 विदेशी मुद्रा

- 7.1 विदेशी मुद्राओं में अंकित लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।
- 7.2 विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को सूचन तिथि के रूप में बंद विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।
- 7.3 मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इसके उत्पन्न होने के वर्ष में लाभ या हानि / सीडब्ल्युआईपी, जैसी भी स्थिति हो, में मान्य किए जाते हैं।
- 7.4 यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से ऋण को भारत सरकार ;ळवप्द्ध से निकासी सहायता (PTA) के रूप में प्राप्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा निकासी सहायता (PTA) ईआईबी और उधारकर्ता के तौर पर भारत सरकार के बीच 450 मिलियन यूरो (350200 लाख रुपये के समतुल्य) के हस्ताक्षरित वित्त अनुबंध पर आधारित है। ऋण भारत सरकार की संप्रभु गारंटी से प्रतिभूत है। ऋण का संवितरण भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार अंशों के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) के योजना बजट से रुपये में ऋण दिया। ऋणवापसी पर कोई विदेशी मुद्रा उतार—चढ़ाव को भारत सरकार की सलाह पर लेनदेन आधार पर मान्य किया जाएगा। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निकासी सहायता के तौर पर भारत सरकार से 98100 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 259 लाख रुपये के ब्याज का प्रावधान किया है।

8 परिसपत्तियों की हानि

कोई परिसंपत्ति तब क्षतिग्रस्त मानी जाती है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षतिग्रस्त हानि को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त चिन्हित की जाती है। पिछली लेखांकन अविधयों में मान्य की गई क्षतिग्रस्त हानि को वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर उलट दिया जाता है।

9 राजस्व मान्यता (इंड एएस 18)

- 9.1 टिकट / टोकन से राजस्व को उसकी खरीद की तारीख और स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मूल्य के आधार पर मान्य किया जाता है।
- 9.2 स्क्रैप की बिक्री से आय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।
- 9.3 फ्लेक्सी जमा और टीडीआर / एफडीआर पर ब्याज आय को, निवेशित गई राशि, लागू दरों और बैंकों द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज को लेखा में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मान्य किया गया है। एफडीआर पर अर्जित ब्याज लाभ और हानि विवरण में मान्य किया गया है।
- 9.4 संपत्ति और किराए पर दिए गए स्थान के मामले में किराए पर आय लाइसेंसधारक / पट्टेदार / रियायतधारी इत्यादि के साथ अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर मान्य किया गया है।
- 9.5 उपयोग किए गए स्थान में विज्ञापन से प्रोद्भूत राजस्व को अनुबंध शर्तों पर आधारित प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10 मालसूची

फुटकर औजारों और स्पेयर्स सहित मालसूची का मूल्यांकन लागत के निम्नतम या निवल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है।



11 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकद समतुल्यों में बैंक और उपलब्ध नकदी शामिल है। कंपनी एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता किंतु अल्प सूचना पर नकदीकरण योग्य, वाले सभी अत्यधिक तरल निवेश को नकदी समतुल्य मानती है।

12 सेवानिवृत्ति लाभ

- 12.1 उक्त अवधि के लिए भविष्यनिधि और पेंशन योजना में अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया और लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के प्रति कंपनी दायित्वों का बीमांकित तौर पर निर्धारण और प्रावधान किया जाता है।
- 12.2 कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड स्थापित किया है और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 12.3 बीमांकित लाभों और हानियों, परिसंपत्ति सीमाओं के प्रभाव सिहत पुनःमापनों को, निवल परिभाषित लाभ देयता और योजना परिसंपित्तयों पर प्रतिफल पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) को तत्काल उस अविध में अन्य व्यापक आय ;ब्ब्द्ध में मान्य किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापनों को बाद की अविधयों में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।

13 बीमा दावे

बीमा दावों का दावों की स्वीकृति पर आधार पर लेखांकन किया जाता है।

14 पूर्व अवधि के व्यय और आय

पूर्व अवधि से संबंधित आय / व्यय, जो 100,000 रुपये से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय / व्यय माना जाता है।

15 अनुदान सहायता

- 15.1 परिसंपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी / गैर—सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान को आरंभ में 'आस्थिगित राजस्व' के तौर पर दर्शाया जाता है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन में इन्हें प्रति वर्ष आय के रूप में मान्य किया जाता है।
- 15.2 सरकारी / गैर—सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से राजस्व के प्रति अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य आय' शीर्ष के तहत मान्य किया जाता है।
- 15.3 कंपनी द्वारा गैर—मौद्रिक अनुदान प्राप्त किए जाने पर, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित सकल मात्रा में दर्ज किया जाता और अंतर्निहित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन और लाभ की खपत के आधार पर आय विवरण में निर्मुक्त किया जाता है।
- 15.4 राज्य करों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी (CWIP) से समायोजित / कटौती की गई है।

16 उधारी लागत

परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई और इस प्रकार चिन्हित निधियों पर व्यय की गई उधारी लागत को परियोजना या उसके भाग को चालू करते समय पूंजीकृत किया जाता है और इसके बाद परिसंपत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के तहत रहने की सीमा तक राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17 अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण सभी गैर—सरकारी ऋण (यानी प्रमुख ऋणों) की चुकौती के बाद चुकौती योग्य हैं। इन ऋणों को दीर्घकालिक उधारियों के तौर पर मान्य किया गया है। अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, कंपनी को परियोजना के लिए प्राप्त किए गए पूरे प्रमुख सावधि ऋण की चुकौती के बाद ही अधीनस्थ ऋण की चुकौती करनी अपेक्षित है। चुकौती की अविध की अनिश्चितता के मद्देनजर, कंपनी ने सरकारी अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं समझा है।

18 कराधान

- 18.1 आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- 18.2 आस्थिगित कर की गणना तुलनपत्र विधि का उपयोग करके की जाती है। आस्थिगित कर देयताएं सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्य की जाती हैं। आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि संभवतः अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट (एमएटी क्रेडिट हकदारी) या कटौती योग्य अस्थायी अंतर भविष्य में कर योग्य आय के सापेक्ष उपयोग किया जाएगा। अमान्य आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक सूचन तारीख पर पुनःमूल्यांकन और इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि संभवतः भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थिगित कर परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति हो सकेगी।
- 18.3 चालू कर और आस्थिगित कर सिहत आय कर व्यय को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, अन्य व्यापक आय (OCI) या इक्विटी में प्रत्यक्षतः मान्य मदों से संबंधित को छोड़कर, जिन मामलों में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी की पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व (कानूनी या सृजनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व के समाधान के लिए प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती। आकिस्मक देयताओं का प्रकटन प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है। आकिस्मक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता किंत् वितीय विवरण में प्रकटन किया जाता है।

20 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)—7 में 'नकदी प्रवाह का विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

21 वित्तीय उपकरण

मान्यता, प्रारंभिक मापन और अमान्य करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को, कंपनी के उपकरण के संविदात्मक प्रावधान का पक्ष बनने पर मान्य किया जाता है और आरंभिक तौर पर लेनदेन लागत द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर, आरंभ में लाभ और हानि के माध्यम के उचित मूल्य (FVTPL) पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर, मापन किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य की जाती हैं जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह का अनुबंध अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। किसी वित्तीय देयता के मंद, मुक्त होने, रदद किए जाने या समाप्त हो जाने पर उसे अमान्य किया जाता है।



वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और पश्चातवर्ती मापन

पश्चातवर्ती माप के प्रयोजन से, प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

- प्रभावी ब्याज विधि (EIR) का उपयोग करके अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय (FVOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल के अलावा सभी वित्तीय संपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कम से कम हानि की समीक्षा के अधीन हैं। कोई वित्तीय संपत्ति नहीं है, जिसे कंपनी में एफवीटीपीएल में नामित किया गया है।

वर्गीकरण और वित्तीय देयताओं का पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन पश्चातवर्ती तौर पर प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ऋणशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एफवीटीपीएल में व्यापार या नामित वित्तीय देयताओं के, जो लाभ या हानि में मान्य लाभ या हानि सहित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का लेखांकन एफवीटीपीएल में किया जाता है। ऐसी कोई वित्तीय देयताएं नहीं हैं, जिन्हें कंपनी में एफवीटीपीएल में नामित किया गया हो।

प्रभावी ब्याज दर ;म्प्त्द्ध की गणना निम्नानुसार की जाती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं, जिन पर बाजार दर पर ब्याज लगता है: इन मामलों में ईआईआर लिखतों की ब्याज दर के बराबर है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के लिए: उच्चतम उपलब्ध अविध के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एसबीआई—एमसीएलआर / आधार दर।

30 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएँ (लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	01.04.16 के अनुसार
1	उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए क्रॉसिंग प्रभार	124	5122	5122
2	बीएसएनएल द्वारा दावा किया गया दंड	21	21	21
3	उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए यातायात अवरोध प्रभार	शून्य	109	0.00
4	अनिल कुमार गुप्ता के अदालती मामले से संबंधित भूमि अधिग्रहण	शून्य	463	463
5	अर्जुन कुमार गुप्ता के अदालती मामले से संबंधित भूमि अधिग्रहण	शून्य	338	338
6	पवन कुमार चावला के अदालती मामले से संबंधित भूमि अधिग्रहण	शून्य	1065	1065
7	दिनेश कुमार पाठक के अदालती मामले से संबंधित भूमि अधिग्रहण	4	4	4
8	मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि के लिए उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मांगा जा रहा 100: सर्कल दर पर भूमि का अतिरिक्त मुआवजा और 30 वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क	2554	2554	शून्य

9	मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि के लिए उ.प्र. कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा मांगा जा रहा 100: सर्कल दर पर भूमि का अतिरिक्त मुआवजा	108	108	शून्य
10	लखनऊ हवाई अड्डे के कास्टिंग यार्ड की भूमि के किराए के संबंध में (पत्र सं. 6050—52 दिनांक 22.05.2017, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)	2440	2440	शून्य
11	अमेरिकी डॉलर में ऋण पत्र	2960	22	शून्य
12	यूरो में ऋण पत्र	2231	57	शून्य
13	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व—पश्चिम कोरीडोर की डीपीआर के पुनरीक्षण के लिए मैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	9	शून्य	शून्य
14	निर्माण अवधि के दौरान रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए उत्तर रेलवे द्वारा दावा किए गए प्रभार	14	शून्य	शून्य
15	निर्माण अवधि के दौरान रेलवे भूमि पर पारगमन की अनुमति और रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा दावा किए गए प्रभार	895	शून्य	शून्य
16	हजरतगंज रैम्प के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि के लिए उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा मांगा जा रहा 100% सर्कल दर पर भूमि का अतिरिक्त मुआवजा	285	शून्य	शून्य
17	उपभोक्ता फोरम में अदालती मामला	5	शून्य	शून्य

व्याख्यात्मक टिप्पणीः ठेकेदारों / वेंडरों द्वारा जीएसटी के लिए अतिरिक्त अंतर देयता का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रबंधन द्वारा दावे की आगे की जांच और सत्यापन किए जाने की सिफारिश की गई है जो बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और दावे के अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित होने पर ही आवश्यक समायोजन किए जायेंगे।

आकिस्मक परिसंपत्तियाः आज की तारीख को कंपनी के पास कोई आकिस्मक परिसंपत्तियां नहीं हैं।

2. प्रतिबद्धताएं: 31 मार्च, 2018 के अनुसार पूंजीगत लेखा में निष्पादित करने हेतु शेष और प्रावधान न किए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित अनुबंधों की अनुमानित राशि 169725 लाख रुपये है।

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतानः

(लाख रुपये)

विवरण	2017—18	2016—17
लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	1.80
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.80	लागू नहीं
प्रतिपूर्तिः		
माल एवं सेवा कर / सेवा कर	0.504	0.27
कुल	3.304	2.07



- 4. कंपनी ने राज्य प्रतिपूर्ति करों का लेखांकन किया है जिसे ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के आधार पर 11053 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी सहित पीपीई की वहन राशि में समायोजित किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने 31.03.2018 तक उत्तर प्रदेश सरकार से 9900 लाख रुपये की राशि का प्रतिपूर्ति कर प्राप्त किया है।
- 5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में 31 मार्च 2018 के अनुसार सूचना

(लाख रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2017—18	2016—17
1	किसी आपूर्तिकर्ता की भुगतान बकाया राशि		
	क) मूलधन	शून्य	शून्य
	ख) उस पर ब्याज	शून्य	शून्य
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि	शून	यशून्य
3	भुगतान करने में देरी (वर्ष के दौरान किंतु नियत दिन से परे किए गए भुगतान) की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना ब्याज की राशि	शून्र	श्रिन्य
4	प्रोद्भूत और भुगतान न किए गए बकाया ब्याज की राशि शृ	न्य इ	ाून्य
5	अगले वर्ष में भी उस तारीख, जब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास शून्य अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त के अनुसार छोटे उद्यमों को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता, तक ब्याज की देय और भुगतान योग्य बकाया राशि	ा शू <u>न</u>	य

भारतीय लेखा मानकों की प्रकटन अपेक्षाएं

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)—1 के संबंध में प्रकटनः वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरणः पूंजी प्रबंधन।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋणःइक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो मालिक की कुल पूंजी द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण है। ऋण इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
(क) कुल ऋण	2,75,405.00	1,46,432.00	21,332.00
(ख) कुल पूंजी	1,89,792.00	1,30,665.00	66,765.00
ऋणः इक्विटी अनुपात (क / ख)	1.451	1.12	0.3195

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और आवंटन लंबित शेयर आवंदन राशि शामिल है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उधारियां शामिल हैं।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –17 "लीजों" के संबंध में प्रकटन

क. कंपनी ने कर्मचारियों के लिए लीज / किराए पर परिसर लिए हैं। ये लीज व्यवस्था आम तौर पर परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकृत होती है, वर्ष के दौरान कंपनी ने 206.87 लाख रुपये (पि.व. 184.23 लाख रुपये) के लीज किराए का भूगतान किया है और व्यय को कर्मचारी आवास के लिए लीज किराए के शीर्ष के तहत शामिल किया है।

(लाख रुपये)

प्रचालन लीज	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक
चालू वर्ष (2017—18)	शून्य	227.28	84.34
पिछले वर्ष (2016—17)	शून्य	260.21	87.33

ख. कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियां पार्टियों को प्रचालन लीज आधार पर लीज पर दी हैं। गैर–निरस्तीकरणीय प्रचालन लीज के तहत प्राप्तियोग्य आगामी न्यूनतम लीज किराया नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

प्रचालन लीज	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष स अधिक
चालू वर्ष (2017—18)	0.09	259.31	2605.93
पिछले वर्ष (2016—17)	शून्य	शून्य	18.76

- ग. कंपनी का परियोजना कार्यालय पहली मंजिल, जनपथ बाजार, हजरतगंज, लखनऊ में स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के परिसर में स्थित है। उपरोक्त परिसर के किराए से संबंधित मुद्दा अभी एलडीए द्वारा विचाराधीन है। इन परिस्थितियों में, कोई किराया प्रभारित नहीं किया गया है और उनके द्वारा इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने पर इसे लेखांकित किया जाएगा।
- घ. कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अस्थायी पट्टे/किराए पर भूमि ली है और इस लेखांकन अवधि के दौरान, लीज/किराए पर 113.92 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

7 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) —19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटन

7.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी की लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधिः

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व—निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है। देयता को प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।



ख) ग्रेच्युटीः

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करता है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निष्कासन और अक्षमता या मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता) की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। इस उददेश्य से एक नीति बनाई गई है।

इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इंड एएस —19 के तहत अपेक्षित जानकारी का प्रकटन बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्य किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी निधि अंशदान के लिए वित्त वर्ष 2017—2018 में कंपनी द्वारा 210.20 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है।

तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त एलएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी ने एलआईसी के माध्यम से ग्रेच्युटी योजना ली है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य फायदों का हकदार है। यह सेवा से बर्खास्त होने या सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो पर भुगतान योग्य है। यह लाभ पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद प्राप्त होता है। इस निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2017—18 के दौरान बीमाकर्ता को 188.92 लाख रुपये के भुगतान योग्य अंशदान के आधार पर मान्य की गई कुल देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	राशि (लाख रुपये)
चालू सेवा लागत – वित्त वर्ष 17–18	185.16
एलआईसी प्रीमियम	3.77
कुल	188.93

ग) पेंशनः

कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। योजना वैकल्पिक है और कंपनी का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन के 2.5% का भुगतान तक सीमित है। अवधि हेतु योजना में अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना मूल संगठन / भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

घ) छुट्टीः

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध—वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में अर्जित होती है। केवल नकदीकरण योग्य छुट्टी खाते में छुट्टी का सेवारत रहने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों (गैर—नकदीकरण योग्य और बिना गणना के आधे वेतन की छुट्टियों सहित) का नकदीकरण होता है।

इस खाते की देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी वेतन अंशदान उनके मूल विभागों को आहरित वेतन (महंगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11% की दर से देय है और इसका लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त एलएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन एक बीमांकिक द्वारा किया गया और तदनुसार लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों में निम्न प्रकार से उचित प्रावधान किए गए हैं: —

छुट्टी नकदीकरण की गणना के परिणाम निम्न प्रकार हैं:

निवल परिभाषित लाभ दायित्व

(लाख रुपये)

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर–वित्तपोषित) (लाख रुपये)
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	चा.व.	265.98	624.26
	पि.व.	48.38	181.71
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	286.01	-
	पि.व.	94.93	-
योजना में अधिशेष या (घाटा)	चा.व.	20.03	-624.26
	पि.व.	46.54	-181.71
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	चा.व.	76.63	139.91
	पि.व.	-2.53	139.91
कुल निवल परिभाषित लाभ दायित्व	चा.व.	210.19	442.56
	पि.व.	34.09	181.71

योजना परिसपत्तियों में संचलन

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर–वित्तपोषित) (लाख रुपये)
वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	94.93	-
	पि.व.	-	-
योजना परिसंपत्तियों के आरंभिक उचित	चा.व.	-1.63	-
मूल्य में समायोजन	पि.व.	-	-
ब्याज आय (+)	चा.व.	6.17	-
	पि.व.	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज	चा.व.	1.23	-
राशियां छोड़कर (+ / –)	पि.व.	-	-



परिसंपत्ति सीमा में परिर्वतन, ब्याज व्यय	चा.व.	-	-
शामिल राशियां छोड़कर (+ / –)	पि.व.	-	-
एफएक्स दर लाभ (+) और हानि (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	185.32	-
	पि.व.	94.93	-
योजना भागीदारों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
भुगतान किए गए लाभ (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
व्यवसाय संयोजन (+) और निपटान (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का	चा.व.	286.01	-
उचित मूल्य	पि.व.	94.93	-

परिभाषित लाभ दायित्वों में संचलन

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर–वित्तपोषित) (लाख रुपये)
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दादियत्व	चा.व.	48.38	181.71
	पि.व.	14.29	30.26
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	136.59	290.84
	पि.व.	3.55	290.84
ब्याज लागत (+)	चा.व.	3.15	11.81
	पि.व.	1.07	2.28
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन से	चा.व.	60.87	129.83
लाभ (–) / हानि (+)	पि.व.	11.82	26.38
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से लाभ	चा.व.	108.41	177.31
लाभ (–) / हानि (+)	पि.व.	15.92	36.56

अनुभव समायोजन (+/-)	चा.व.	-91.41	-167.23
	पि.व.	-30.27	-13.57
एफएक्स दर लाभ (–) और हानि (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
योजना प्रतिभागियों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभों का भुगतान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
व्यवसाय संयोजन (+) और निपटान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	चा.व.	265.98	624.26
	पि.व.	48.38	181.71

लाभ या हानि में मान्य लाभ व्यय

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर—वित्तपोषित) (लाख रुपये)
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	136.59	290.84
	पि.व.	35.55	99.80
ब्याज लागत(+)	चा.व.	3.15	11.81
	पि.व.	1.07	2.28
ब्याज आय (+)	चा.व.	6.17	-
	पि.व.	-	-
निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज	वा.व.	-3.03	11.81
	पि.व.	1.07	20.28
पिछली सेवा लागत (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान लाभ (+) या हानि(-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभ या हानि में मान्य कुल व्यय	चा.व.	133.56	302.65
	पि.व.	36.62	102.08



अन्य व्यापक आय में मान्य की गई राशियां

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर—वित्तपोषित) (लाख रुपये)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	या.व.	76.63	139.91
	पि.व.	-	49.36

योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी प	परियोजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %		
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	100%		

बीमांकिक अनुमान

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	छुट्टी (गैर–वित्तपोषित)
प्रयुक्त विधि	चा.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
	पि.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
छूट दर	चा.व.	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
	पि.व.	6.50% प्रति वर्ष	6.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	चा.व.	10% प्रति वर्ष	10% प्रति वर्ष
	पि.व.	5% प्रति वर्ष	5% प्रति वर्ष
कर्मचारी अपघर्षण/	चा.व.	0% प्रति वर्ष	0% प्रति वर्ष
वापसी दर			
	पि.व.	3% प्रति वर्ष	3% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	चा.व. अ	ाईएएलएम २००६-०८ यूएलटी का १००%) आ	ईएएलएम २००६-०८ यूएलटी का १००%
	पि.व. ३	गाईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100% अ	ाईएएलएम २००६-०८ यूएलटी का १००%

संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रत्याशित लाम भुगतानः 1. संवेदनशीलता विश्लेषण

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रुपये)	31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रुपये)
छुट दर	0.50%	(78.97)	(34.61)
	-0.50%	91.93	40.41
वेतनवृद्धि दर	1.00%	191.82	77.50
	-1.00%	(145.16)	(62.86)
मूल्य मुद्रास्फीति दर	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
मृत्यु दर	+ 3 वर्ष	(2.99)	(1.26)
	-3 वर्ष	2.20	0.92

2. प्रत्याशित लाभ भुगतान

क्र. सं.	भुगतान का वर्ष	छुट्टी नकदीकरण	ग्रेच्युटी
1	31-मार्च-19	0.64	0.26
2	31-मार्च-20	0.74	0.29
3	31-मार्च-21	0.68	6.01
4	31-मार्च-22	0.79	0.31
5	31-मार्च-23	0.84	4.51
6	31-मार्च-2024 से 31-मार्च-2028	5.15	9.43

8 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 21) ''विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव'' के संबंध में प्रकटनः

- क. लाभ और हानि विवरण में जमा की गई विनिमय अंतर राशि (निवल) 0.0128735 लाख रुपये (पि.व. 0.3314678 लाख रुपये) है।
- ख. पीपीई / सीडब्ल्यूआईपी समायोजनों में मौद्रिक मदों के रूपांतरण के कारण 824 लाख रुपये (पि.व. 93 लाख रुपये) की विनिमय अंतर राशि सिम्मिलित है।

9 इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटनों'' के संबंध में प्रकटन

- (क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः
 - 1. श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
 - 2. श्री दलजीत सिंह, पूर्णकालिक निदेशक (वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) (31 / 10 / 2017 तक)
 - 3. श्री महेंद्र कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (रॉलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स)
 - 4. श्री अजय कांत रस्तोगी, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)
 - 5. श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव

(ख) संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों) से कंपनी के लेनदेनों का प्रकटनः

विवरण	2017-18 (लाख रुपये)	2016-17 (लाख रुपये)
वेतन और भत्ते	123.16	114.55
भविष्य निधि और अन्य निधियों, ग्रेच्युटी और समूह बीमा में अंशदान	18.11	15.64
अन्य लाभ	16.32	27.56
कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	157.58	157.75

उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त,

- i. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार वसूली के अधीन कंपनी के स्वामित्व की कार के उपयोग (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।
- ii. वि.व. 2017—18 के दौरान किसी अन्य पक्ष के साथ अन्य कोई लेनदेन नहीं किया गया।



10 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)—33: अर्जन प्रति शेयर के संबंध में प्रकटनः

1. मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अविध के निवल लाभ या हानि में अविध के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जन की गणना के लिए, सभी अविमिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अविध के लिए निवल लाभ या हानि तथा अविध के दौरान बकाया शेयरों की संख्या के भारित औसत को समायोजित किया जाना चाहिए।

विवरण	2017-18 (लाख रुपये)	2016-17 (लाख रुपये)
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कराधान, पूर्व अवधि समायोजनों एवं पिछले वर्षों के कर समायोजनों के बाद लाभ (लाख रुपये)	(2538.29)	(1897.45)
बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्याः		
मूल	997.45	743.94
अवमिश्रित	1586.62	861.11
मूल अर्जन प्रति शेयर (रुपये) (अंकित मूल्य 100 / —रुपए प्रति शेयर)	(2.54)	(2.55)
अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रुपए) (अंकित मूल्य 100 / —रुपए प्रति शेयर)	(1.60)	(2.20)

11. भारतीय लेखांकन मानक प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटनः

(लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2017 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि / अंतरण	वर्ष के दौरान : उपयोग	31.03.2018 को अंतिम शेष
सेवानिवृत्ति लाभ	231.31	514.39	48.72	696.97
Expenses	4245.60	1147.80	4134.19	1259.20
Total	4476.90	662.18	4182.92	1956.17

विवरण	01.04.2017 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि / अंतरण	वर्ष के दौरान : उपयोग	31.03.2018 को अंतिम शेष
सेवानिवृत्ति लाभ	शून्य	231.31	शून्य	231.31
व्यय	शून्य	424 5.60	शून्य	4245.60
कुल	शून्य	4476.90	शून्य	4476.90

12 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)—101 "भारतीय लेखांकन मानक के पहले अंगीकरण" के संबंध में प्रकटनः इंड एएस के पहले अंगीकरण के संबंध में टिप्पणियां

ये 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं।

नोट 29 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक जानकारी और 1 अप्रैल, 2016 (कंपनी की संक्रमण की तारीख) को आरंभिक इंड एएस शेष तैयार करने में लागू किया गया है।

इंड एएस में संक्रमण के लिए कंपनी ने इंड एएस 101 के अनुसार निम्नलिखित अनिवार्य / वैकल्पिक छूटों का लाभ उठाया है:

- क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की समेकित लागतः कंपनी ने इंड एएस 101 के परिशिष्ट डी के पैरा डी7एए के तहत छूट का लाभ उठाया है, जिसमें पहली बार अंगीकरण करने वाली कंपनी को इंड एएस में संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार मापन किए गए अपने पीपीई के वहन मूल्य को जारी रखने की अनुमित दी गई है।
- ख) आरंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उचित मूल्य मापनः वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को इंड एएस में संक्रमण की तारीख को मौजूद तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, पैरा बी8सी और पैरा डी20 के तहत छूट में संक्रमण की तारीख को या उसके बाद किए गए लेनदेनों पर इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के संभावित अनुप्रयोग की अनुमित देता है।

पिछले जीएएपी से इंड एएस में संक्रमण से कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह पर पड़े प्रभाव का स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिकाओं और टिप्पणियों में निर्धारित किया गया है।

पिछले जीएएपी और इंड एएस के बीच समाधानः

इंड एएस 101 में इक्विटी, पूर्व अविध की कुल व्यापक आय के मेल-मिलाप के लिए एक संस्था अपेक्षित होती है। निम्न तालिका पिछले जीएएपी से इंड एएस का समाधान प्रदर्शित करती है:

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तुलनपत्र पर प्रभाव के लिए पिछले जीएएपी और इंड एएस के बीच समाधान

(लाख रुपये)

विवरण		31 मार्च 2017 को आईजी एएपी के अनुसार (लेखा परीक्षित)		31 मार्च 2017 3 इंड एएस आ के अनुसार			1 अप्रैल 2016 को ड एएस के अनुसार
परिसंपत्तियां							
गैर—चालू परिसंपत्तियां							
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	9,682.51		9,682.51	6,448.66		6 ,448.66
(ख) कार्यशील पूंजी	2	1,84,972.46		1,84,972.46	65,540.29		65,540.29
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	3	3,723.09	-	3,723.09	3,768.85		3 ,768.85
(घ) मूर्त परिसंपत्तियां विकास के अधीन	4	293.82	-	293.82	-		-
(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियां	5						
(i) ऋण		3,748.22	(3,748.22)	-	2.68	(2.68)	-
(ii) अन्य		-	156.31	156.31		2.68	2.68



(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	6	-	3,591.92	3,591.92			-
चालू परिसंपत्तियां							
(क) मालसूची	7	-	-	-			-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य १	3 1,	00,718.45	1	00,718.45 36	,303.65	3	6,303.65
(ii) ऋण		37,918.80	(37,918.80)	-	25,584.87	(25,584.87)	-
(ii) अन्य	9	-	230.18	230.18		176.51	1 76.51
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	10		-				-
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	253.33	37,688.61	37,941.94	197.35	25,408.36	25,605.71
कुल परिसंपत्तियां		3,41,310.68	-	3,41,310.68 1,	37,846.35	-1,3	7,846.35
इक्विटी और देयताएं							
देयताएं							
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	12	94,265.00	-	94,265.00	8,005.00		38,005.00
(ग) प्रावधान	13	84,750.87		84,750.87	72,554.54		72,554.54
आस्थगित कर देयताएं							
चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधारियां	14	1,46,432.00	-	1,46,432.00	21,332.00		21,332.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	-	293.88	293.88		79.16	79.16
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं		293.88	(293.88)	-			
(ग) प्रावधान	16	117.97	-	117.97	12.53		1 2.53
आस्थगित कर देयताएं	17	355.33		355.33	116.10		1 16.10
चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) व्यापार प्राप्तियां	18	6,763.98	(105.96)	6,658.02	4,531.29	(59.30)	4,471.99
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	-	3,044.43	3,044.43		640.68	6 40.68
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	3,972.72	(2,938.47)	1,034.24	1,277.15	(660.54)	6 16.62
(ख) प्रावधान	21	4,358.94	-	4,358.94	17.73		1 7.73
कुल इक्विटी और देयताएं	3	,41,310.68		3,41,310.68 1,	37,846.35	- 1,33	7,846.35

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तुलनपत्र पर प्रभाव के लिए पिछले जीएएपी और इंड एएस के बीच समाधान

(लाख रुपये)

	विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (आईजीएएपी)	समायोजन	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (इंड एएस)
	आय				
i)	प्रचालनों से राजस्व	22	-	0.43	0.43
ii)	अन्य आय	23	1,850.66	(0.43)	1,850.22
iii)	पर्वू अवधि आय	2.48	(2.48)		
			1,853.14	(2.48)	1 ,850.65
	कुल आय				
	व्यय				
i)	प्रचालन व्यय	24	-	62.73	62.73
ii)	कर्मचारी लाभ व्यय	25	1,844.91	(42.70)	1,802.21
iii)	वित्त लागत	26	1.00		1.00
iv)	मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय	27	303.48		303.48
V)	अन्य व्यय	28	1,359.51	(69.41)	1,290.10
vi)	पूर्व अवधि व्यय	50.24	(50.24)	-	
	कुल व्यय		3,559.13	(99.62)	3,459.52
कर	पूर्व लाभ / (हानि)		(1,706.00)	97.14	(1,608.87)
	कर व्यय				
	चालू कर				
	आस्थगित कर	17	(239.22)		(239.22)
वर्ष	की लाम/(हानि)		(1,945.22)	97.14	(1,848.09)
अन्	य व्यापक आय				
i)	मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जायेंगी				
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःवर्गीकृत की जायेंगी		-		(49.36)
ii)	मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जायेंगी		-		-
वर्ष	की अन्य व्यापक आय/(हानि)			(49.36)	(49.36)
अव	धि की कुल व्यापक आय		(1,945.22)	47.77	(1,897.45)



13 इंड एएस 107 ''वित्तीय लिखतः प्रकटन'' के संबंध में प्रकटन

14.1 वित्तीय लिखित

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

श्रेणीवार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च	2018 के अ	नुसार	31 माच	र्व 2017 के	अनुसार	1 अप्रैल	2016 के	अनुसार
	ऋणशोधित लागत (लाख में)	एफवीटी पीएल (लाख में)	लागत	ऋणषोधित लागत (लाख में)	पीएल	ऋणशोधित लागत (लाख में)	लागत	एफवीटी पीएल (लाख में)	एफवीओ सीआई (लाख में)
वित्तीय परिस	पत्तियां								
ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5 व 9 देखें	650.38	-	-	386.49	-	-	179.19	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य (नोट 8 देखें)	119127.86	-	-	100718.45	-	-	36303.65	-	-
कुल		-	-		-	-		-	-
वित्तीय देयताएं									
उधारियां (नोट 14 देखें)	275405.00	-	-	146432.00	-	-	21332.00	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 व 19 देखें)	7504.30	7500.82*	-	3338.31	-	-	720.02	-	-
व्यापार देय (नोट 19 देखें)	18768.13	-	-	6658.02	-	-	4471.99	-	-
कुल		-	-		-	-		-	_

^{*} अन्य वित्तीय में ठेकेदारों और ग्राहकों से प्रतिभूति राशियां सम्मिलित हैं।

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रमः

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय संपत्तियां और देयताएं उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत की गई हैं। मापन के लिए महत्वपूर्ण आगतों की विचारयोग्यता के आधार पर तीन स्तर परिभाषित किए गए हैं:

स्तर 1: सक्रिय बाजारों में समान वित्तीय लिखतों पर उद्धृत मूल्य (असमायोजित) ताकि मापन तारीख निर्धारित की जा सके।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीकों को अपनाया जाता है जो सुसंगत विचारणीय बाजार आगत का उपयोग बढ़ाती और अनावश्यक आगत का उपयोग घटाती हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण आगत विचारणीय बाजार आगत पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) ऋणशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां / देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटन किया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 201	8 को	31 मार्च, 201	7 को :	3 1 मार्च, 201	६ को
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य व	हन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
ऋण (नोट ३ व १० देखें)	स्तर 2 -			_			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5 व 9 देखें)	स्तर 2	650.38	650.38	386.49	386.49	179.19	179.19
कुल							
वित्तीय देयताएं							
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 व 19 देखें)	Level 2	7504.3	7500.82	3338.31	3338.31	720.02	720.02

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्याकन तकनीकें और प्रक्रिया

- क) 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वहन मूल्य उनका उचित मूल्य दर्शाने वाला माना जाता है।
- ख) ऋणशोधित लागत पर निकाले गए अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण लेखांकन नीति संख्या 20 के अनुसार परिभाशित छूट दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह की छूट द्वारा किया जाता है।

14.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी को वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत कराया गया है। श्रेणी के अनुसार कंपनी की वित्तीय पिरसंपित और देयताएं ऊपर संक्षेप में दी गई हैं। जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों से संपर्क को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अविध के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। कंपनी के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है:

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम के तौर पर कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी का ऋण ईआईबी से प्राप्त ऋण की प्रत्येक किस्त की संवितरण सूचना के अनुसार शून्य ब्याज दर या निश्चित ब्याज दर पर है। कंपनी का मूल्य जोखिम भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विनिमय एक्सचेंज उतार—चढ़ाव का जोखिम भारत के बाहर से संपत्ति संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण है। विदेशी मुद्रा जोखिम से सुरक्षा के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग लिखत नहीं है।

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व की चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान के जोखिम से संबंधित है। कंपनी ने विभिन्न वित्तीय लिखतों पर ऐसे जोखिम का प्रकटन किया उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा इत्यादि। सूचन तारीख पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम खतरा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य से है।



- नकदी और नकदी समतुल्य
- व्यापार प्राप्य
- ऋणशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां।

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की निगरानी करती है, व्यक्तिगत तौर पर उचित लागत, बाहरी क्रेडिट रेटिंग को चिन्हित करती है और / या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती हैं।

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, में रखकर किया जाता है और इन बैंकिंग संबंधों की चलायमान आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ऋणशोधित लागत पर किया जाता है और इसमें कोई हानि नहीं होती है।

ख) प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान

कंपनी निम्न आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान का प्रावधान करती है:

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्यों की हानि तब होती है जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्यों के लिए कराए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनकी हानि नहीं हुई है और जो समीक्षाधीन प्रत्येक सूचन तारीखों पर देय हैं उनकी क्रेडिट गुणवत्ता अच्छी है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ऋणशोधित हानि पर किया जाता है।

कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति से सुरक्षित है जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण मंजूर किया जाता है। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशि की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है, जबकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियां परिभाषित सीमाओं के भीतर हों।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्येक सूचन तारीख को किसी हानि का प्रावधान नहीं है। हम सूचन तारीखों पर इन सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता होने पर विचार करते हैं।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समतुल्य, प्रचालन से उत्पन्न राजस्व, ईआईबी से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

हम नकदी प्रवाहों की निरंतर निगरानी और नकदी और नकदी समतुल्यों की निगरानी करके अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करते हैं, किमयों के निर्धारण के लिए निवल नकदी जरूरतों की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक तरलता जरूरतों में मुख्यतः विविध लेनदार, व्यय देय, कर्मचारी देय, प्रतिधारण और प्रत्येक सूचन तारीख के अनुसार कारोबार के सामान्य व्यवहार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशियां शामिल होती है। हम अपनी अल्पकालिक तरलता जरूरतें पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय—समय पर दीर्घकालिक तरलता जरूरतों का आकलन करते हैं और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी गैर—चालू देयताओं में ईआईबी ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमाराशियां और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएं शामिल हैं।

खड सूचन (इड एएस 108) 15

कंपनी का प्रमुख कारोबार लखनऊ में मेट्रो रेल सुविधा का संचालन और रखरखाव करना है। कंपनी भारत के भीतर काम करती है और विभिन्न जोखिमों और प्रतिफल वाले आर्थिक माहौल में संचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में प्रचालन माना जाता है।

प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

किसी भी एकल ग्राहक ने 31.03.2018 और 31.03.2017 को समाप्त हुए दोनों वर्षों में कंपनी के राजस्व में 10: या उससे अधिक का अंशदान नहीं दिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त जानकारी: 16.

राशि लाख रुपये

क्र.सं.	विवर	ण	2017-18	2016-17
1	सीआ	ईएफ बेसिस पर गणना की गई आयात का मूल्य		
	क.	कच्चा माल	शून्य	शून्य
	ख.	स्टोर और स्पेयर्स	शून्य	शून्य
	ग.	पूंजीगत सामान	27100.00	शून्य
2	विदेश	ी मुद्रा में व्यय		
	क.	पेशवर और परामर्श शुल्क	3468.00	1535.00
	ख.	दूर और ट्रेवल्स	15.00	32.00
	ग.	अनुबंध	22190.00	16618.00
3	विदेश	ी मुद्रा में कमाई	शून्य	शून्य
4	घटक	ों, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग किए गए स्टोर का मूल्य		
	क.	आयातित	शून्य	शून्य
	ख.	स्वदेशी	शून्य	शून्य

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तृति से तूलन योग्य बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनः वर्गीकृत / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी एस. शुक्ला एड कपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एफआरएनः 000773सी

ਵ0/-

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सद सं.: 408990

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 23.07.2018 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ਵ0/-

ਵ0/-

(कुमार केशव) प्रबंध निदेशक

(अजय कांत रस्तोगी)

निदेशक वित्त

डीआईएन: 02908695

डीआईएन: 07228424

ਵ0/-

(पृष्पा बेलानी) कंपनी सचिव



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2018 की तिथि को तुलन—पत्र, और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार सिमलित है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सिहत, भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सिहत वित्तीय कार्यनिष्पादन), नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करना; और सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले और तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल—कपट या त्रुटि से, से मुक्त इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से सुसंगत लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कारगर, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर ध्यान दिया है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निदिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और उचित निश्चय के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि इंड एएस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में इंड एएस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सिम्मिलत होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, इंड एएस वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, छल—कपट या त्रुटि के कारण, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तय करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने से सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है। किसी लेखापरीक्षा में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता के साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत इंड एएस सिहत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), और इसके लाभ / हानि (अन्य व्यापक आय सिहत वित्तीय निष्पादन), इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

अपनी राय पर जोर दिए बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1 कंपनी के पक्ष में भूमि के स्वामित्व डीड के निष्पादन के संबंध में, इंड एएस वित्तीय विवरण की नोट सं. 1।
- 2) इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 14 और 29—बी, पैरा सं. 17, वित्तीय देयता के तौर पर प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल्य पर ब्याज मुक्त अधीनस्थ सरकारी ऋण को मान्य करने के संबंध में, अधीनस्थ ऋण की चुकौती अवधि में अनिश्चितता के कारण, इंड एएस 109 — वित्तीय लिखतों के अनुरूप मापन नहीं किया गया है।
- 3) इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट सं. नंबर 29—बी पैरा सं. 7.4, यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) का 98100 लाख रुपये बकाया ऋण और 259 लाख रुपये प्रोद्भूत ब्याज, भारत सरकार ने लखनऊ (उ.प्र.) में मेट्रो रेल परियोजना के निष्पादन के लिए निकासी सहायता (PTA) के माध्यम से इन ऋण संवितरणों की व्यवस्था की। विनिमय दर में उतार—चढ़ावों से लाभ / हानि का प्रावधान इंड एएस 21 विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार नहीं किया गया है और भारत सरकार की सलाह पर लेनदेन आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

अन्य विषय

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2016 की संक्रमण तारीख को आरंभिक तुलनपत्र तिथि को कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की गई जिनकी क्रमशः 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु दिनांक 22/05/2017 और 26/09/2016 की रिपोर्ट में इंड एएस में संक्रमण पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में भिन्नता पर समायोजित किए गए उन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय प्रकट की, जिसकी हमने लेखापरीक्षा की है।

इन विषयों पर हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हम ''अनुलग्नक क'' में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण पेश करते हैं।
- 2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार, हम ''अनुलग्नक ख'' में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों पर आधारित विवरण पेश करते हैं।
- 3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं किः
 - क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा उन बहियों की हमारी जांच से

लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रतीत होता है।

- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन—पत्र, लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
- ङ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी के निदेशकों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर—463(ई) के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं है।
- 4. कंपनी की वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावीपन के संबंध में, ''अनुलग्नक ग'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- 5. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
 - i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों देयताओं का जिनका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, नोट सं. 30(1) में प्रकटन किया है।
 - ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं थे जिन पर कोई भौतिक नुकसान हुआ हो।
 - iii. ऐसी कोई राशिं नहीं है जिसे, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करना अपेक्षित है।

कृते— डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

(एफआरएन स.: 000773सी)

ਵ0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0: 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - क

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 से संदर्भित)

- i) कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - (क. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्डी का रखरखाव किया है।
 - ख. कंपनी में स्थिर परिसंपत्तियों की समग्र मदों का इस प्रकार सत्यापन करने का कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गई।
 - ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अचल संपत्तियों का स्वामित्व, इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 1 में प्रकट किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर है।
- ii. कंपनी मेट्रो रेल अवसंरचना और अनुरक्षण के कारोबार में संलग्न है और इसके पास कोई भौतिक मालसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश की धारा (ii) के तहत सूचन कंपनी पर लागू नहीं होता।
- iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रिजस्टर में निहित अन्य कंपनियों, फर्मीं व पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत मंजूर नहीं किया।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं दिया या निवेश नहीं किया या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है, और इसलिए इन पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- v. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2018 को कोई गैरदावाकृत जमाराशियां नहीं हैं और इसलिए, आदेश की धारा 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डी का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है अतएव कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सांविधिक देयों के संबंध में:
 - क. कंपनी आम तौर पर इस पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों सिहत अविवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त विभागों को नियमित रूप से भुगतान करती है।
 - ख. 31 मार्च 2018 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित देय राशि देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
 - ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है।
- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान और सरकार को देयों की चुकौती के संबंध में कोई चूक नहीं की है।
- ix. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश या मियादी ऋणों के माध्यम से रकम जुटाई और रकम का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वे जुटाई गई।

लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- x. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना पाई या सूचित नहीं की गई।
- xi. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता। तदनुसार, आदेश की धारा 3;गपद्ध के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश की धारा 3(xii) के तहत सूचन कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188, जहां भी लागू हों के अनुपालन में हैं और संबंधित पार्टी लेनदेनों का विवरणों का प्रकटन लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया गया है।
- xiv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान आबंटन या शेयरों या आंशिक या पूर्णतः प्रदत्त परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश की धारा 3(xiv) के तहत सूचन कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों से कोई गैर—नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते- डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(एफआरएन स .: 000773सी)

ਵ0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0: 408990

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 / 07 / 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 2 से संदर्भित) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्न प्रकार से सूचित करते हैं:

- 1. क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड का स्पष्ट स्वामित्व / लीज लेख है? यदि नहीं तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसका स्वामित्व / लीज लेख उपलब्ध नहीं हैं? हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अचल संपत्तियों के स्वामित्व लेख, 19,830 वर्ग मीटर माप की फ्रीहोल्ड भूमि जिसकी अधिक जानकारी इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 1 में प्रकट की गई है, को छोड़कर
- 2. क्या माफी / ऋणों / उधारों / ब्याज इत्यादि को बट्टे डालने के कोई मामले हैं, यदि हां, तो उनके कारण और संलिप्त राशि?

कंपनी के नाम पर हैं।

सामान्यतया लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान माफी / ऋणों / उधारों / ब्याज इत्यादि बट्टे डालने का कोई मामला हमें नहीं मिला।

3. क्या तृतीय पक्षों के पास पड़े सामानों और सरकार या अन्य विभागों से उपहार / अनुदान के तौर पर प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा गया है?

जैसा हमें स्पष्ट किया गया तृतीय पक्ष के पास कोई मालसूची नहीं है, साथ ही कंपनी ने पीएसी और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान से बाजार मूल्य से कम पर भूमि प्राप्त की जिसका उचित मूल्यांकन किया गया है और 19035 लाख रुपये के सरकारी अनुदान को मान्य किया गया, वर्ष के दौरान सरकार या अन्य विभागों से उपहार / अनुदान के तौर पर कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

4. क्या सार्वजनिक निजी साझेदारी में चलाई जाने वाली परियोजनाओं को चिन्हित करने की प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशानिर्देशों / नीतियों के अनुसार है? विचलनों, यदि कोई हों पर टिप्पणी दें?

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) किराया संग्रहण प्रणाली के लिए एचडीएफसी बैंक का मर्चेंट एक्वायरर बैंक के तौर पर चयन किया है, छह वर्ष का अनुबंध और पीपीपी मॉडल के अधीन एलाइड बैंकिंग अनुप्रयोगों का प्रावधान, सरकारी दिशानिर्देशों / नीतियों के अनुपालन में कोई विचलन सूचित नहीं किया गया।

5. क्या कार्यों के निष्पादन के साथ ही अनुबंध में निर्धारित उपलब्धि की निगरानी की प्रणाली मौजूद है और लागत में वृद्धि, यदि कोई हो, अनुबंधों से राजस्व / नुकसानों इत्यादि के प्रभाव का बहियों में उचित लेखांकन किया गया है।

कार्यों के निष्पादन के साथ ही अनुबंध में निर्धारित उपलिक्ष की निगरानी की प्रणाली उपयुक्त है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) के तकनीकी कार्यपालक एलएमआरसी द्वारा नियुक्त जनरल कंसल्टेंट्स (GC) के साथ अनुबंध में निर्धारित उपलिक्षियों के अनुसार दावों और कार्यों की जांच और निरंतर निगरानी करते हैं। अनुबंधों से किसी राजस्व / हानियों का बिहयों में उचित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है।



6. क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित रूप से लेखांकन/ उपयोग किया गया? विचलनों के मामलों की सूची दें।

कंपनी द्वारा प्राप्त निधियां अनुमोदित डीपीआर में वित्तीय मॉडल के अनुसार हैं जिनका उचित रूप से लेखांकन / उपयोग किया गया है।

7. क्या बैंक गारटियों का समय पर पुनःवैधीकरण कराया गया है?

बैंक गारंटियों का समय पर वैधीकरण कराया गया है।

8. व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, मियादी जमाओं, बैंक खातों एवं प्राप्त नकदी के शेषों की पुष्टि पर टिप्पणियां

कंपनी ने अपने बैंक शेषों और मियादी जमा के लिए शेष पुष्टिकरण प्राप्त किए हैं जिसका किसी अंतर के लिए लेखा बहियों से समाधान किया जाता है, साथ ही व्यापार प्राप्य के अधिकांश शेषों की गैर पुष्टि और कंपनी की लाभदेयता / हानि पर खाता शेषों और वास्तविक शेषों के परिणामी प्रभाव समाधान, यदि कोई हो, के अधीन हैं, कंपनी के पास कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं जिनके लिए पुष्टि लेना आवश्यक हो।

कृते— डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(एफआरएन सं.: 000773सी)

ਵ0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0: 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 4 से संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप—धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 को लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('ICAI') द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय सूचन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय सूचन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय सूचन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक संबंधों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, का निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे जालसाजी या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं।

वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय सूचन की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। किसी कंपनी के वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल होती हैं:

(1) जो रिकॉर्डों, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं, के रखरखाव से संबंधित हों;

ल्याक मेटो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- (2) जो यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
- (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वामाविक सीमाएं

वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सिहत, त्रुटि या छल—कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अविधयों के लिए वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से, वित्तीय सूचन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

कृते **डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एफआरएन नं. 000773सी

> हस्ता. / – **श्रीहर्ष शुक्ला** साझेदार सद. सं. 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 31 मार्च, 2018 की तिथि को बैलेन्स-शीट

(लाख रुपये में)

विवरण परिसंपत्तियां गैर-चालू परिसंपत्तियां (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (ख) कार्यशील पूंजी (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां (i) ऋण (ii) अन्य (घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य (ii) अन्य (ग) चालू कर परिसंपत्तियां इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी (ख) अन्य इिक्वटी (ख) अन्य इिक्वटी वेयताएं के क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा	2,02,612.25 2,07,386.48 3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72 21,296.52	9,682.51 1,84,972.46 3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	31 मार्च 2017 को 6,448.66 65,540.29 3,768.85 - - 2.68 - - - 36,303.65 176.51
परिसंपत्तियां गैर—चालू परिसंपत्तियां (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (ख) कार्यशील पूंजी 2 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां (इ) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के अधीन (इ) वित्तीय परिसंतियां (i) ऋण (ii) अन्य (हं) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (ढं) नकदी एवं नकदी समतुल्य (ढं) वित्तीय परिसंपत्तियां (ढं) नकदी एवं नकदी समतुल्य (ढं) अन्य चालू परिसंपत्तियां (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां (ढं) कुल परिसंपत्तियां (ढं) अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,02,612.25 2,07,386.48 3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	9,682.51 1,84,972.46 3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	6,448.66 65,540.29 3,768.85 - 2.68 - 36,303.65
गैर—चालू परिसंपत्तियां (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 1 (ख) कार्यशील पूंजी 2 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां 3 (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां 4 (इ) वित्तीय परिसंत्तियां 5 (घ) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां 6 चालू परिसंपत्तियां 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां 8 (іі) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां इक्वटी 13 देयताएं 13	2,07,386.48 3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	1,84,972.46 3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	65,540.29 3,768.85 - - 2.68 - - 36,303.65
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (ख) कार्यशील पूंजी 2 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां (इ) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के अधीन (इ) वित्तीय परिसंत्तियां (i) ऋण (ii) अन्य (ह) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य (ह) अन्य चालू परिसंपत्तियां (ह) इिवर्टी (ह) इिवर्टी शेयर पूंजी (ह) अन्य इिवर्टी (ह) इिवर्टी (ह) अन्य इिवर्टी (ह) अन्य इिवर्टी	2,07,386.48 3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	1,84,972.46 3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	65,540.29 3,768.85 - - 2.68 - - 36,303.65
(ख) कार्यशील पूंजी 2 (ग) अमूर्त परिसंपत्तियां 3 (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के अधीन 4 (इ) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) ऋण (ii) अन्य 5 (च) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां 6 चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 इक्विटी और देयताएं इक्विटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं	2,07,386.48 3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	1,84,972.46 3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	65,540.29 3,768.85 - - 2.68 - - 36,303.65
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के अधीन (इ) वित्तीय परिसंपित्तयां (i) ऋण (ii) अन्य (5) (च) अन्य गैर—चालू परिसंपित्तयां चालू परिसंपित्तयां (क) मालसूची (क) मालसूची (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य (ii) अन्य (ग) चालू कर परिसंपित्तयां (घ) अन्य चालू परिसंपित्तयां चकुल परिसंपित्तयां (ां) उन्य चालू परिसंपित्तयां (घ) अन्य चालू परिसंपित्तयां (घ) अन्य चालू परिसंपित्तयां इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी (क) इिक्वटी शेयर पूंजी (ख) अन्य इिक्वटी 13 देयताएं	3,569.89 565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	3,723.09 293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	3,768.85 - - 2.68 - - - 36,303.65
(घ) अमूर्त परिसंपतियां विकास के अधीन (इ) वितीय परिसंतियां (i) ऋण (ii) अन्य 5 (च) अन्य गैर—चालू परिसंपतियां 6 वालू परिसंपतियां (क) मालसूची 7 (ख) वितीय परिसंपतियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपतियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपतियां 11 कुल परिसंपतियां 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्टी 13 देयताएं	565.45 - 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	293.82 - 156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	- 2.68 - - 36,303.65
(इ) वित्तीय परिसंतियां (i) ऋण (ii) अन्य 5 (च) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां 6 चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्टी 13 देयताएं	- 185.97 - 8.23 1,19,127.86 464.41 2.72	156.31 3,591.92 - 1,00,718.45 230.18	- - 36,303.65
(i) ऋण (ii) अन्य 5 (च) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां 6 चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्टी 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	3,591.92 - 1,00,718.45 230.18 -	- - 36,303.65
(ii) अन्य 5 (च) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां 6 चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्टी 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	3,591.92 - 1,00,718.45 230.18 -	- - 36,303.65
(च) अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची , 7 (ख) वितीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य , 8 (ii) अन्य , 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां , 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां , 11 कुल परिसंपत्तियां , 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी , 12 (ख) अन्य इिक्टी , 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	3,591.92 - 1,00,718.45 230.18 -	- - 36,303.65
चालू परिसंपत्तियां (क) मालसूची , 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य , 8 (ii) अन्य , 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां , 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां , 11 कुल परिसंपत्तियां , 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी , 12 (ख) अन्य इिक्टी , 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	1,00,718.45 230.18	36,303.65
(क) मालसूची 7 (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 11 इिक्टी और देयताएं इिक्टी (क) इिक्टी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्टी 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	230.18	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 8 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्वटी 13 देयताएं	1,19,127.86 464.41 2.72	230.18	
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य 9 (ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां 21 इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्वटी 13 देयताएं	464.41 2.72	230.18	
(ii) अन्य 9 (ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11	464.41 2.72	230.18	
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां 10 (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्वटी 13 देयताएं	2.72	-	176.51
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां 11 कुल परिसंपत्तियां इिक्वटी और देयताएं इिक्वटी (क) इिक्वटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इिक्वटी 13 देयताएं	•		-
कुल परिसंपत्तियां इक्विटी और देयताएं इक्विटी (क) इक्विटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं	1 21.296.52		I
इक्विटी और देयताएं इक्विटी (क) इक्विटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं		37,941.94	25,605.71
इक्विटी (क) इक्विटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं	5,55,219.78	3,41,310.68	1,37,846.35
(क) इक्विटी शेयर पूंजी 12 (ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं			
(ख) अन्य इक्विटी 13 देयताएं			
देयताएं	1,58,165.00	94,265.00	38,005.00
· ·	91,464.17	84,750.87	72,554.54
*			
गैर—चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां 14	2,75,405.00	1,46,432.00	21,332.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं 15	541.48	293.88	79.16
(ख) अन्य गैर—चालू देयताएं		-	
(ग) प्रावधान 16	623.62	1 17.97	12.53
आस्थगित कर देयताएं 17	-	355.33	1 16.10
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय 18	18,768.13	6,658.02	4,471.99
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं 19	6,959.34	3,044.43	6 40.68
(ख) अन्य चालू देयताएं 20	1,950.94	1,034.24	6 16.62
(ग) प्रावधान 21	I	4,358.94	17.73
कुल इक्विटी और देयताएं	1,342.10	3,41,310.68	1,37,846.35

इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न

29 & 30

कृते डी एस शुक्ला एड कपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएनः 00773सी

हस्ता./-

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सद.सं. 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 02908695

हस्ता./-

(पुष्पा बेलानी)

कम्पनी सचिव

हस्ता./—

(अजय कांत रस्तोगी) निदेशक (वित्त)

डीआईएनः 07228424



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
आय			
(i) प्रचालनों से आय (ii) अन्य आय	22 23	555.40 6,931.95	0.43 1,850.22
कुल आय व्यय		7,487.35	1,850.65
(i) प्रचालन व्यय (ii) कर्मचारी व्यय (iii) वित्त लागत (iv) मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय (v) अन्य व्यय	24 25 26 27 28	1,616.72 2,778.27 82.64 4,430.84 1,255.95	62.73 1,802.21 1.00 303.48 1,290.10 3,459.52
कुल व्यय कर पूर्व लाभ / (हानि) अपवादात्मक मदें		(2,677.07)	(1,608.87)
कर पूर्व लाम कर व्यय चालू कर		(2,677.07)	(1,608.87)
आस्थगित कर	17	355.33	(239.22)
वर्ष का लाम / (हानि) बंद प्रचालनों से लाभ / (हानि) बंद प्रचालनों का कर व्यय बंद प्रचालनों से कर पश्चात लाभ / (हानि)		(2,321.74)	(1,848.09)
। वर्ष का लाम अन्य व्यापक आय		(2,321.74)	(1,848.09)
 (i) मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जायेंगी - पिशािषत लाभ योजनाओं का पुनःमापन (ii) मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जायेंगी 		(216.54)	(49.36)
वर्ष की अन्य व्यापक आय / (हानि)		(216.54)	(49.36)
अविध की कुल व्यापक आय प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:		(2,538.28)	(1,897.45)
(1) मूल (रु.) प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:		(2.54)	(2.55)
(2) अवमिश्रित (रु.)		(1.60)	(2.20)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स	29 एवं 30		

इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न

कृते डी एस शुक्ला एड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजी. सं. 00773सी

हस्ता./-

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सद.सं. 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 02908695

हस्ता./-

(पुष्पा बेलानी)

कम्पनी सचिव

हस्ता./-

(अजय कांत रस्तोगी) निदेशक (वित्त)

डीआईएनः 07228424

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

वि	वरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
		समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	कर पश्चात निवल लाभ / हानि	(2,538.28)	(1,897.45)
	समायोजन :-	4 430 05	202.40
	मूल्यहास	4,430.85	303.48
	आस्थगित कर देयता एलडीए से आबंटिन अनुदान	(355.33) (418.37)	239.22 (8.81)
	एकडीआर से प्राप्त ब्याज	(6,449.83)	(1,777.47)
	पूर्व अवधि गैर नकदी आय	(0,443.03)	(1,/////)
	मोबाइल हैंडसेटों के निपटान से लाभ	(0.01)	(0.11)
	ब्याज और वित्त प्रभार	82.65	1.00
	आस्थगित सरकारी अनुदान	(4,436.88)	(4,463.12)
	आयकर रिफंड	8.85	27.12
	उचित मूल्य समायोजन	(3.47)	-
	एसओसीआईई	(163.86)	(48.48)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	(9,843.68)	(7,624.62)
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	20,237.35	(15,928.16)
	चालू कर परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2.72)	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(263.90)	(207.30)
	मालसूची में (वृद्धि) / कमी	(8.23)	-
	प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	(2,511.18)	4,446.65
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) / कमी	9 16.68	417.63
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	12,110.11	2,186.04
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	4,162.51	2,618.47
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	24,796.94	(14,091.29)
ख.	निवेशन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ч.	मोबाइल हैंडसेटों का निपटान	0.77	0.95
	खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां	(1,97,207.32)	(3,390.97)
	अमूर्त परिसंपत्तियां	(0.82)	(100.72)
	प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	(22,414.02)	(1,19,432.17)
	प्रगति अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	(271.63)	(293.82)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(2,19,893.02)	(1,23,216.73)
		(2,19,893.02)	(1,23,216.73)
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी और शेयर आवेदन राशि	59,127.00	63,900.00
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	19,034.84	10,946.35
	वर्ष के दौरान जुटाए गए ऋण	1,28,973.00	1,25,100.00
	वर्ष के दौरान ऋण की वापसी	- 1	-
	ब्याज और वित्त प्रभार	(82.65)	(1.00)
	एफडीआर से प्राप्त ब्याज	6,449.83	1,777.47
	उचित मूल्य समायोजन	3.47	
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	2,13,505.49	2,01,722.82



घ. नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग) उ. नकदी और नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष) च. नकदी और नकदी समतुल्य (अतिम शेष)	18,409.42 1,00,718.46 1,19,127.88	64,414.81 36,303.65 1,00,718.46
नकदी प्रवाह विवरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणिया (क) नकदी और नकदी समतुल्यों में शामिल हैं:		
(i) हस्तगत नकदी और बैंक में शेष	15,090.83	62,421.29
(ii) अल्प अवधि निवेश	1,04,037.05	38,297.17
	1,19,127.88	1,00,718.46

इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न कृते डी. एस. शुक्ला एड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजी. सं. 408990सी

हस्ता. / – (श्रीहर्ष शुक्ला) साझेदार सद.सं. 408990

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23.07.2018 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. / – (कुमार केशव) प्रबंध निदेशक डीआईएनः 02908695

हस्ता. / – **(पुष्पा बेलानी)** कम्पनी सचिव हस्ता. / — (अजय कांत रस्तोगी) निदेशक (वित्त) डीआईएनः 07228424

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 1 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपये)

		研	क्ल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
विवरण	01.04.2017 को	वर्धन / समायोजन	बिक्री / समायोजन	31.03.2018 को	1.04.2017 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2018 तक	31.03.2018 •	31.03.2017 ^क ो
कंप्यूटर और एक्सेसरीज	324.01	23.93	2.34	345.60	106.14	1.89	100.21	204.46	141.13	217.86
उपकरण और मशीनरी	651.76	453.42	ı	1,105.18	16.31	1	60.53	76.84	1,028.34	635.45
मोबाइल सेट	21.14	6.55	0.59	27.10	8.25	0.27	7.51	15.49	11.61	12.88
फर्नींचर	385.50	116.58	1	502.08	37.23	1	41.31	78.54	423.53	348.26
कार्यालय भवन	66.44	1	1	66.44	3.65	1	1 .05	4.70	61.74	62.79
वाहन	36.96	ı	1	36.96	9.43	1	4.39	13.82	23.14	27.52
कार्यालय उपकरण	186.81	19.25	1	206.06	68.50	1	3 8.08	106.58	99.49	118.31
फ्रीहोल्ड भूमि	7,877.74	1,406.09	1	9,283.83	1	1	ı	ı	9,283.83	7,877.74
फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)	1	19,445.51	1	19,445.51	1	1	1	1	19,445.51	1
भूमि (उ.प्र. सरकार से अनुदान)	T) 0.00002	İ	1	0.00002	ı	1	1	1	0.00002	0.00002
लीजहोल्ड भूमि (९० वर्ष)	381.69	İ	1	381.69	1	1	1	1	381.69	381.69
एएएसी प्रणाली	ı	2,966.93	1	2,966.93	ı	1	163.50	163.50	2,803.43	ı
एयरकंडीशनिंग प्रणाली (डक्टेड)	-	343.16	1	343.16	1	1	7 .49	7.49	335.67	1
डिपो भवन	1	17,731.11	1	17,731.11	1	1	302.51	302.51	17,428.60	1
डीजी सेट	ı	94.28	1	94.28	1	1	1.96	1.96	92.33	ı
विद्युत स्थापन और उपकरण	1	112.07	1	112.07	1	1	4.03	4.03	108.04	1
एलीवेटर्स	1	1,215.72	ı	1,215.72	ı	1	27.96	27.96	1,187.76	1
ईएंडएम कार्य	1	1,537.66	1	1,537.66	1	1	42.39	42.39	1,495.27	1
एस्केलेटर्स	ı	1,848.12	1	1,848.12	1	1	61.40	61.40	1,786.72	ı
अग्निशमन कार्य	1	254.92	1	254.92	1	1	9.16	9.16	245.76	1
सचल स्टॉक	1	26,770.64	1	26,770.64	ı	1	542.07	542.07	26,228.57	1
सुरक्षा उपकरण	1	211.65	1	211.65	1	1	7.60	7.60	204.05	1
साइनेज	1	736.18	ı	736.18	1	1	198.32	198.32	537.87	1
सिगनलिंग उपकरण	ı	12,670.97	1	12,670.97	1	1	404.40	404.40	12,266.57	ı
स्टेशन भवन	ı	36,172.14	1	36,172.14	1	1	737.31	737.31	35,434.83	ı
टेलीकॉम उपकरण	1	4,822.97	1	4,822.97	1	1	178.77	178.77	4,644.20	1
टैक कार्य	ı	11,578.54	1	11,578.54	1	1	207.94	207.94	11,370.60	ı
टैक्शन उपकरण	1	16,508.32	1	16,508.32	1	1	294.05	294.05	16,214.27	1
ट्यूबवैल्स	ı	39.60	1	39.60	1	1	1.42	1.42	38.17	ı
यूपीएस सिस्टम	1	122.04	1	122.04	1	1	5.39	5.39	116.65	1
वायाडक्ट	-	39,998.97	-	39,998.97	-	_	826.09	826.09	39,172.88	1
कुल – चालू वर्ष	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	249.51	2.16	4,276.84	4,524.19	2,02,612.25	9,682.51
पिछले वर्ष	6,542.29	3,390.97	1.23	9,932.03	93.63	(0.47)	156.35	249.52	9,682.51	6,448.66



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

संपत्ति, संयत्र और उपकरण 1 नोट 1

(लाख रुपये) 169.53 6.95 6,448.66 76.02 125.44 31.82 136.84 381.08 31.03.2016 3100302016 63.84 5,476.25 0.00002 निवल ब्लॉक 12.88 348.26 62.79 31.03.2017 南 217.86 635.45 27.52 381.69 6,448.66 118.31 ,877.74 9,682.51 0.00002 8.25 37.23 106.14 3.65 9.43 68.50 93.63 16.31 249.52 31 03 2017 13.59 5.94 22.80 4.39 34.74 76.30 1.05 156.35 कों के लिए 0.02 (0.47)6.13 (0.39)(0.09)वर्ष के दौरान वर्धन / समायोजन मृल्यहास 2.71 14.44 2.60 5.14 33.74 93.63 2.72 14.07 1 04 2016 1 31.03.2017 • 21.14 385.50 651.76 66.44 36.98 186.81 381.69 9,932.03 6,542.29 ,877.74 324.01 0.00002 25.20 1.23 1.23 बिक्री / समायोजन सकल ब्लॉक 573.02 12.71 245.62 16.22 0.60 6,383.90 समायोजन 141.32 2,401.49 3,390.97 वर्धन / 1.04.2016 को 78.74 182.69 99.6 39.88 66.44 36.98 170.58 381.08 6,542.29 183.60 5,476.25 0.00002 भूमि (उ.प्र. सरकार से अनुदान) लीजहोल्ड भूमि (90 वर्ष) कंप्यूटर और एक्सेसरीज उपकरण और मशीनरी कुल – चालू वर्ष कार्यालय उपकरण कार्यालय भवन फ्रीहोल्ड भूमि - पिछले वर्ष मोबाइल सेट फनींचर

फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर) — यह भूमि 174.00 करोड़ रुपये की लागत पर संपूर्णानंद जेल के 41 फ्लैटों, हॉकी मैदान और पीएसी परिसर के आवासीय और गैर—आवासीय भवनों के निर्माण के बदले प्राप्त हुई है। भूमे का उचित मूल्यांकन अधिग्रहण की तारीख को बाजार मूल्य पर किया गया है।

रु वि.व. 2017—18 के दौरान, 8.5 कि.मी. के उत्तर—दक्षिण कोरीडोर का प्राथमिकता खंड जनता के लिए खोला गया जिसकी 1757.00 करोड़ रुपये (लगभग) लागत की परिसंपत्तियों को कार्यशील पूंजी से पूंजीकृत

रु वि.व. 2017—18 के दौरान, रक्षा मंत्रालय से भूमि प्राप्त की गई है जिस भूमि के उपयोग का अधिकार स्थायी रूप से दिया गया है। अतएव, भूमि को रक्षा विभाग को किए गए भुगतान के आधार पर पूंजीकृत किया

रु वि.व. 2017—18 के दौरान, 92.13 लाख रुपये की उधारी लागत को पीपीई में पूंजीकृत किया गया है।

किया गया।

रु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 31 मार्च 2018 तक विभिन्न निजी पार्टियों के माध्यम से कुल 9283.83 लाख रुपये की फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया और 43,957.68 वर्ग मी. माप की भूमि के हक का निष्पादन किया गया। 19830.00 वर्ग मी. भूमि निष्पादन की प्रक्रिया के अधीन है।

रु लीजहोल्ड आधार पर अधिग्रहित 84229.64 वर्ग मी. माप की भूमि पंजीकृत लीजहोल्ड भूमि है।

이동ન

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 2 – कार्यशील पूंजी

नोट २ – कायशील पूंजी					(लाख रुपये)
विवरण	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वर्धन / समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूँजीगत	अंतिम शेष
स्वचालित किराया संग्रहण	1,254.65	1,801.70	3,056.35	2,837.14	219.21
भवन और वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	1,19,902.18	1,14,160.36	2,34,062.54	97,138.52	1,36,924.02
विद्युत स्थापन और उपकरण	53.84	58.23	112.07	112.07	,
एस्केलेटर्स और एलीवेटर्स	2,088.66	2,388.87	4,477.53	2,903.21	1,574.32
फर्नींचर और फिक्सचर्स	86.23	25.59	111.82	86.23	25.59
एलएमआरसी स्टाफ क्वार्टर्स	692.48	7,870.07	8,562.55	1	8,562.55
संयंत्र और मशीनरी	1,269.98	208.15	1,478.13	310.60	1,167.53
सचल स्टॉक और सिगनलिंग	16,118.28	43,094.94	59,213.22	36,457.04	22,756.18
सुरक्षा उपकरण	253.62	-	253.62	211.65	41.97
साइनेज	566.68	161.55	728.23	728.23	,
टेलीकॉम उपकरण	3,614.79	2,182.32	5,797.11	4,644.03	1,153.08
ट्रैक कार्य (पी-वे)	16,714.07	4,304.46	21,018.53	10,910.15	10,108.38
ट्रैक्शन उपकरण	14,694.28	12,612.51	27,306.79	15,673.60	11,633.19
कुल	1,77,309.74	1,88,868.75	3,66,178.49	1,72,012.47	1,94,166.02
जोड़ें : निर्माण के दौरान व्यय	7,662.72	14,726.78	22,389.50	9,169.04	13,220.46
कुल योग	1,84,972.46	2,03,595.53	3,88,567.99	1,81,181.51	1,81,181.51 2,07,386.48



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनक

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 2 – कार्यशील पूंजी

(लाख रुपये)

विवरण	01 04 2016	वर्ष के दौरान वर्धन /	कल	वर्ष के दौरान	आंतिम
	को	समायोजन	,	प्लीकृत	शेष
स्वचालित किराया संग्रहण		1,254.65	1,254.65	1	1,254.65
भवन और वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	53,464.75	66,437.43	1,19,902.18	1	1,19,902.18
विद्युत स्थापन और उपकरण	ı	53.84	53.84	1	53.84
एस्केलेटर्स और एलीवेटर्स	ı	2,088.66	2,088.66	1	2,088.66
फर्नीचर और फिक्सवर्स	15.44	70.79	86.23	1	86.23
एलएमआरसी स्टाफ क्वार्टर्स	ı	692.48	692.48	1	692.48
संयंत्र और मशीनरी	1	1,269.98	1,269.98	1	1,269.98
सचल स्टॉक और सिग्नलिंग	2,381.41	13,736.87	16,118.28	1	16,118.28
सुरक्षा उपकरण	ı	253.62	253.62	1	253.62
साइनेज	ı	266.68	566.68	ı	266.68
टेलीकॉम उपकरण	-	3,614.79	3,614.79	1	3,614.79
ट्रैक्शन उपकरण (पी–वे)	5,406.88	11,307.19	16,714.07	1	16,714.07
ट्रैक्शन उपकरण	715.15	13,979.13	14,694.28	-	14,694.28
कुल	61,983.63	1,15,326.11	1,77,309.74	•	1,77,309.74
जोड़े : निर्माण के दौरान व्यय	3,556.66	4,106.06	7,662.72	1	7,662.72
कुल योग	65,540.29	1,19,432.17	1,84,972.46	1	1,84,972.46

कार्यशील पूंजी में 14.278 कि.मी. उत्तर—दक्षिण कोरीडोर की परिसंपतियां/उपकरण और अवसंरचना शामिल हैं। कार्यशील पूंजी में ईआईबी ऋण पर 119.00 लाख रुपये (पि.व. 33. 50 लाख रुपये) का ब्याज शामिल है।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये)

		स _र	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल	निवल ब्लॉक
विवरण	1.04.2017 को	वर्धन/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31.03.2018 को	1.04.2017 को	वर्ष के दौरान/ वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	वर्ष के लिए 31.03.2018 तक	31.03.2018 <u></u>	31.03.2017 को
सॉफ्टवेयर और लाइसेंस	173.71	0.82	1	174.54	50.65	-	47.23	97.88	76.65	123.06
भूमि के उपयोग के अधिकार 3,737.89	3,737.89	ı	1	3,737.89	137.85	•	106.80	244.65	3,493.24	3,600.03
	1	1		-	1	•	•			•
कुल – चालू वर्ष	3,911.60	0.82	•	3,912.43	188.51	-	154.02	342.53	3,569.89	3,723.09
- पिछले वर्ष	3,810.88	100.72	•	3,911.60	42.03	9.0	1 47.13	188.51	3,723.09	27.33

नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रुपये)

		सकल ब्लॉक				मूल्यद्वास			निवल ब्लॉक	ф (ф
विवरण	1.04.2017 को	वर्धन/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31.03.2018 •	1.04.2017 को	वर्ष के दौरान/ वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2017 तक	31.03.2017 को	31.03.2016 •
सॉफ्टवेयर और लाइसेंस	72.99	100.72	1	173.71	10.97	0.65	40.34	50.65	123.06	62.02
भूमि के उपयोग के अधिकार 3,737.89	3,737.89	1	1	3,737.89	31.06	1	106.80	137.85	3,600.03	3,706.83
कुल – वालू वर्ष	3,810.88	100.72	1	3,911.60	42.03	- 0.65	147.13	188.51	3,723.09	3,768.85
- पिछले वर्ष	<u> </u>	3,780.61	-	3,810.88	2.94	•	39.09	42.03	3,768.85	27.33

नोट 4 – प्रगति अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये)

विवरण वर्ष के दौरान कुल वर्ष के दौरान अंति इंआरपी सॉफ्टवेयर 293.82 2 60.49 554.31 - वेबसाइट 11.14 11.14 - कुल – (बालू वर्ष) 293.82 271.63 565.45 (फिल्ने वर्ष) - 293.82 293.82 -						
293.82 2 60.49 554.31 - - 11.14 11.14 - 293.82 271.63 565.45 - - 293.82 293.82 -	विवरण	01.04.2017	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कें	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	अंतिम शेष
- 11.14 11.14 - 293.82 271.63 565.45 - - 293.82 293.82 -	ईआरपी सॉफ्टवेयर	293.82	2 60.49	554.31	1	554.31
293.82 271.63 565.45 - - 293.82 293.82 -	वेबसाइट	1	11.14		ı	11.14
. 293.82 293.82 .	कुल – (बालू वर्ष)	293.82	271.63		1	565.45
	(पिछले वर्ष)		293.82		1	293.82



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 5 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

			(ארא פווא)
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
दीर्घकालीन			
विद्युत प्रतिभूति जमा	177.80	152.88	2.68
डीएफओ को प्रतिभूति	8.17	3.43	•
कुल	185.97	156.31	2.68

नोट 6 — अन्य गैर—चालू परिसंपत्तियां			(लाख रुपये)
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
गेर-चालू			
ठेकेदारों को अग्रिम			
- मोबिलाइजेशन अग्रिम	٠	2,975.28	1
- संयंत्र और मशीनरी अग्रिम	1	616.64	1
কুল	•	3,591.92	•

नोट ७ – मालसूची

नाट 7 — मालसूचा			(लाख रुपये)
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
खुले औजार, स्पेयर्स और स्टेशनरी	8.23		
कुल	8.23	-	•

पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 8 – नकदी और नकदी समतुल्य

						(लाख रुपये)
विवरण	31 मार्च 2018 को	.018 को	31 मार्च 2017 को	017 को	01 अप्रैल	01 अप्रैल 2016 को
i) वालू खातों में बैंकों में शेष						
क) एचडीएफसी खाता सं. 50100101197587	14,945.68		70,082.99		554.76	
ख) एचडीएफसी खाता सं. 5020009236810	13.78		(478.41)		1,530.28	
ग) एसबीआई खाता सं. 36257192704	8.76		0.01		1	
घ) एचडीएफसी खाता सं. 50200026910055	52.47	15,020.69		69,604.59	•	2,085.04
ii) अन्य खातों में बैंक शेष						
क) एसबीआई में फ्लेक्सी जमा	3,968.31		3,232.55		27,608.34	
एसबीआई-33509093494	4.54		(7,179.72)		3,545.76	
एसबीआई— 35778181248	1.29	3,974.14	(3.59)	(3,950.76)	ı	24,062.58
ख) मियादी जमाए			ı			
i) एचडीएफसी बैंक	1,00,068.74		35,064.61		153.18	
ii) भारतीय स्टेट बैंक		1,00,068.74	ı	35,064.61	10,002.85	10,156.03
iii) हस्तगत चेक / ब्राफ्ट	64.29	64.29		0.01		
कुल योग		1,19,127.86		1,00,718.45		36,303.65

नोट 9 — अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण अल्पकालीन	31 मार्च 2018 को		
अत्पकातीन		31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
	448.76	203.55	160.41
प्रोद्भूत ब्याज		8.31	,
डीएमआरसी में प्रतिभूति जमा	15.65	18.32	16.10
कुल	464.41	230.18	176.51



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 10 – वालू कर परिसंपत्तियां

विवरण

(लाख रुपये) 01 अप्रैल 2016 को 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2018 को म्रोत पर कर कटौती कें

(लाख रुपये)

- अन्य चालू परिसंपतियां नोट 11

29.20 24,659.35 202.36 20.83 25,605.71 693.97 01 अप्रैल 2016 को 262.66 23.15 27.62 37,941.94 29,179.28 1,786.63 6,690.22 31 मार्च 2017 को 821.86 14,841.40 2,152.55 1,153.97 21,296.52 2,094.79 204.33 31 मार्च 2018 को - राज्य करों के लिए राज्य सरकार से प्राप्य . संयंत्र और मशीनरी अग्रिम - अन्य चालू परिसंपत्तिया ** मोबिलाइजेशन अग्रिम ठेकेदारों को अग्रिम - इनपुट जीएसटी - सामग्री अग्रिम - अन्य अग्रिम* विवरण चालू कुल

^{*} अन्य अग्रिमों में आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, नेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो पर किया गया 820.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2016–17 में 242.56 लाख रुपये) का व्यय शामिल है जिसे उनके निगमन के बाद उनसे वसूल किया जाएगा। ** अन्य चालू परिसंपतियों में पूर्वदत्त व्यय, स्टाफ अस्थायी अग्रिम, स्टेशन इम्प्रेस्ट, भूमि अधिग्रहण के लिए एडीएम (एलए) एलकेओ के पास चेक इत्यादि शामिल हैं।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

(लाख रुपये)

नोट 12 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

						,
विवरण	31 मार्च 2018 को	को	31 मार्च 2017 को	117 को	<u> २</u> ू भूक्ष १०	01 अप्रैल 2016 को
प्राधिकृत पूंजी	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि	शेयरों की संख्या (लाख)	साक्ष	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि
100 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त						
100 रुपये प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,581.65	1,58,165.00	942.65	94,265.00	380.05	38,005.00
कुल	1,581.65	1,58,165.00	942.65	94,265.00	380.05	38,005.00
(क) सूचन अवधि के आरम और अंत में बकाया शेयरों की संख्या और राशि का समाघान						
विवरण	शेयरो की संख्या (लाख)	राशि इ	श्रीयरों की संख्या (लाख)	राशि शे	राशि शैयरों की संख्या (लाख)	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	942.65	94,265.00	380.05	38,005.00	70.05	7,005.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	639.00	63,900.00	562.60	56,260.00	310.00	31,000.00
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,581.65	1,58,165.00	942.65	94,265.00	380.05	38,005.00
(ख) 5: से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरघारक द्वारा घारित शेयरों का						
शेयरधारक का नाम	शेयरो की संख्या (लाख)	% धारिता	शेयरो की सख्या (लाख)	% धारिता	शेयरो की संख्या (लाख)	% धारिता
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	930.00	28.80%	730.00	77.44%	380.00	%66'66
भारत के राष्ट्रपति	651.60	41.20%	212.60	22.55%	-	ı



पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवेतन का विवरण

नोट 13 – अन्य इक्विटी

(लाख रुपये)

विवर्ण	लंबित आवंटन शेयर	आरक्षित और अधिशेष	प्ंजीगत अनुदान	मौद्रिक अनुदान	कुल
	आषदन राशि	प्रतिधारित आय	गैर–मौद्रिक अनुदान	गैर—मौद्रिक अनुदान	
सूचन अवधि के आरंभ-31/03/2017 में शेष	36,400.00	(4,431.99)	1	52,782.86	84,750.87
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां		(163.86)			(163.86)
उचित मूल्य समायोजन—गैर मीद्रिक अनुदान		1	19,034.84		19,034.84
वर्ष का लाभ	(2,321.74)			(2,321.74)	
अन्य व्यापक आय		(216.54)			(216.54)
अन्य कोई परिवर्तन (आयकर रिफंड)		8.85			8.85
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	59,127.00				59,127.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	(63,900.00)				(63,900.00)
कार्यशील पूंजी में अंतरित				(4,436.88)	(4,436.88)
आय में अंतरित				(418.37)	(418.37)
सूचन अवधि के अंत - 31/03/2018 को शेष	31,627.00	(7,125.28)	19,034.84	47,927.61	91,464.17

आवटन लंबित शेयर आवेदन राशि के संबंध में व्याख्यात्क नोट

- 1. जारी करने हेतु शेयरों की संख्या 100 / रुपये प्रत्येक के 364.00 लाख शेयर (01.04.2016: 287.60 लाख)
- 2. उपरोक्त लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि में वित्त वर्ष 2014—15 और 2015—16 में यूपीएसआईडीसी से प्राप्त 3500 लाख रुपये शामिल हैं जिसमें 1000 लाख रुपये के शेयर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर आवंटित किए गए हैं और शेष 2500 लाख रुपये का आवंटन अभी लंबित है क्योंकि डीपीआर वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार यूपीएसआईडीसी को शेयर आवंटित नहीं किए जा सकते।

पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

(लाख रुपये)

नोट 13 — अन्य इक्विटी

27.12 (47.76)(49.36)(8.81)कुल 72,554.54 10,946.35 63,900.00 (4,463.12) 84,750.87 (56,260.00)आस्थिगित अनुदान 16,308.44 10,946.35 (1,848.09)(4,463.12)52,782.86 मौद्रिक अनुदान गैर-मौद्रिक अनुदान पूजीगत अनुदान आरक्षित और अधिशेष (49.36)27.12 (2,513.90)(47.76)(4,431.99)प्रतिधारित और 28,760.00 63,900.00 36,400.00 (1,848.09)(56,260.00)लंबित आवटन शेयर आवेदन राशि सूचन अवधि के आरम - 31/03/2016 में शेष सूचना अवधि के अंत - 31/03/2017 को शेष लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि ऋटियां अन्य कोई परिवर्तन (आयकर रिफंड) जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान कार्यशील पूंजी में अंतरित प्राप्त शेयर आवेदन राशि अन्य व्यापक आय आय में अंतरित वर्ष का लाभ विवरण

आवटन लंबित शेयर आवेदन राशि के संबंध में व्याख्यात्मक नोट

- जारी करने हेतु शेयरों की संख्या 100 / रुपये प्रत्येक के 364.00 लाख शेयर (01.04.2016: 287.60 लाख)
- उपरोक्त लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि में वित्त वर्ष 2014—15 और 2015—16 में यूपीएसआईडीसी से प्राप्त 3500 लाख रुपये शामिल हैं जिसमें 1000 लाख रुपये के शेयर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर आवंटित किए गए हैं और शेष 2500 लाख रुपये का आवंटन अभी लंबित है क्योंकि डीपीआर वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार यूपीएसआईडीसी को शेयर आवंटित नहीं किए जा सकते।



(लाख रुपये)

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों के भाग रूप टिप्पणियां

नोट 14 – उधारियां

2,832.00 21,332.00 18,500.00 01 अप्रैल 2016 को 6,000.00 12,500.00 53,500.00 8,832.00 84,100.00 1,46,432.00 31 मार्च 2017 को 26,000.00 27,500.00 68,505.00 1,82,200.00 2,75,405.00 24,700.00 31 मार्च 2018 को 24,700.00 39,505.00 29,000.00 1,82,200.00 उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) से प्राप्त अधीनस्थ भारत सरकार से यूरोपीय निवेश बँक से प्राप्त भारत सरकार (Gol) से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज रहित और अप्रतिभूत) ऋण (ब्याज रहित और अप्रतिमूत) केंद्रीय करों के लिए केंद्रीय करों के लिए ब्याज सहित ऋण भूमि के लिए विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

. भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण / अधीनस्थ ऋण उन्हीं नियमों और शतौं पर है जहां इस तरह के ऋण अन्य मेट्रो परियोजना को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए इन्हें उचित मूल्य

2. भारत सरकार के माध्यम से ईआईबी से ब्याज सहित ऋण 4 वर्ष की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद 16 वर्ष (अर्धवार्षिक समान किस्तों) में चुकौती योग्य है।

3. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, ईआईबी से ईआईबी के माध्यम से ब्याज सहित ऋण की वापसी के बाद 10 समान किस्तों में चुकौती योग्य है।

4. लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर यूरोपीय निवेश बैंक ने 450.00 मिलियन यूरो मंजूर किए हैं, 30—03—2016 के वित्त समझौते के अनुसार ऋण की दो किस्ते 0.287% यूरीबोर की आज दर पर 200.00 मिलियन यूरो और 0.161% यूरीबोर की व्याज दर पर 100 मिलियन यूरो 20 वर्ष की चुकौती अवधि (4 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) के साथ, प्राप्त हुई हैं। हालांकि भारत सरकार ने 31—03—2018 तक ईआईबी ऋण में से निकासी सहायता के माध्यम से कंपनी को 182200.00 लाख रुपये जारी किए हैं। ईआईबी ऋण हैं और इसलिए भारत सरकार कार्यों के निष्पादन के लिए निकासी सहायता के माध्यम से प्रबंधन कर रही है। 31 मार्च 2018 तक प्राप्त 182200.00 लाख रुपये के पीटीए को दीर्घकालिक उधारियों के तहत अप्रतिभृत ऋण के तौर पर दिखाया गया है।

नोट 15 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
दीर्घकालीन प्राप्त निष्पादन गारंटी	541.48	293.88	7 9.16
कुल	541.48	293.88	79.16

नोट 16 — प्रावधान

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	01 अप्रैल 2016 को
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए			
छुट्टी नकदीकरण 12.53		623.62	117.97
कुल	623.62	117.97	12.53

नोट आस्थगित कर देयताएं / परिसंपत्तियां

			(लाख रुपय)
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	<u>01 अप्रैल 2016 को</u>
i) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-	-
क) आयकर के अनुसार अनावशोषित मूल्यहास		93.78	3 7.11
ख) कर्मचारी हितलाभ योजना और अन्य का प्रावधान		62.32	
उप योग (i)		156.10	116.10
ii) आस्थगित कर देयताएं			
क) मूल्यहास / ऋणशोधन		355.67	215.67
ख) बट्टे डाले गए प्रारंभिक व्यय	-	39.66	39.66
उप योग (ii)			
जोड़ें / घटाएं: आरंभिक शेष	355.33	116.10	(102.12)
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (निवल)	(355.33)	355.33	116.10

आस्थिगित कर परिसंपत्ति को मान्य नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी कोई आभासी निश्चितता प्रमाणित नहीं है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होने पर ऐसी आस्थिगित कर परिसंपत्तियां वसूल की जा सकें।

नोट 18 – व्यापार देय

110 10 941111 44			
			(लाख रुपये)
विवरण	<u> 31 मार्च 2018 को</u>	<u> 31 मार्च 2017 को</u>	<u>31 अप्रैल 2016 को</u>
सूक्ष्म और लघु स्तर के औद्योगिक उपक्रम(मों) के कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक से देय शून्य रु.)	-	-	-
मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रम(मों) के कुल बकाया देय	-	-	-
(30 दिनों से अधिक से देय शून्य रु.)			
यात्रा भत्ता देय	0.58	0.79	-
सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत सामानों के विविध लेनदार	18,318.96	6,500.57	3,678.15
प्रोफेशनल और अन्य सेवाएं देय	20.33	73.21	715.14
ग्राहकों से अग्रिम	87.60	-	-
अन्य	340.66	83.45	78.70

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



नोट 19 — अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 अप्रैल 2016 को
अल्पकालीन			
जमाराशियां / ठेकेदारों और अन्य से प्रतिधारण राशि	6,959.34	3,044.43	640.68
कुल	6,959.34	3,044.43	640.68

नोट 20 - अन्य चालू देयताए

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 अप्रैल 2016 को
चालू			
देय शुल्क और कर	1,020.93	928.29	557.31
कर्मचारियों के देय 59.31		146.04	105.95
भर्ती के लिए अग्रिम	541.34	-	-
ईआईबी ऋण पर ब्याज	224.04	-	-
ग्राहकों से प्रतिभूति जगासशियां	18.59	<u>-</u>	-
पूल 1,950.94	1,034.24	616.62	

नोट 21 — प्रावधान

| विवरण | 31 मार्च 2018 को 31 मार्च 2017 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31 अप्रैस 2016 को 31

^{*}अन्य में सीडब्ल्यूआईपी व्यय देय, कर्मचारी प्रतिपूर्ति व्यय देय, किराए पर उपकरण लेना और रखरखाव व्यय देय, ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं (ईआईबी ऋण), सीमा शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान, ग्रेच्युटी अंशदान का प्रावधान, पेंशन अंशदान का प्रावधान इत्यादि शामिल हैं।

नोट 22 — प्रचालनों से राजस्व		
		(लाख रुपये)
	_	
विवरण	31.03.2018 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 का समाप्त वर्ष के लिए
फेयर बॉक्स राजस्व	435.45	-
गैर फेयर बॉक्स राजस्व	119.95	0.43

नोट – 23 अन्य आय

(लाख रुपये)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय:-			
विविध आय	34.98	63.95	
ब्याज आय:-			
मियादी जमाएं / एफडीआर		5,765.80	1,169.21
फ्लेक्सी जमाएं	396.03	556.94	
ई नेट खाते पर ब्याज	288.00	51.31	
आस्थगित राजस्व अनुदान		418.37	8.81
उचित मूल्य समायोजन		28.77	-
कुल		6,931.95	1,850.22

नोट 24 – प्रचालन व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
सुरक्षा व्यय	666.13	8.39
विद्युत व्यय	660.82	47.27
उपकरण संचालन और अनुरक्षण व्यय	15.13	7.07
हाउसकीपिंग व्यय	164.05	-
डिपो संचालन और अनुरक्षण व्यय	21.30	-
स्टेशन संचालन और अनुरक्षण व्यय	70.62	-
स्टोर और कन्ज्यूमेबल्स	5.18	-
बीमा व्यय	13.49	-
कुल	1,616.72	62.73

नोट 25 – कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	1,510.77	999.57
भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान	287.38	250.32
कर्मचारी आवास हेतु लीज किराया	206.87	184.86
चिकित्सा व्यय	22.71	26.57
वाहन किराया प्रभार	276.12	123.59
कर्मचारी यूनीफॉर्म व्यय	25.90	55.54
छुट्टी नकदीकरण व्यय	314.96	109.76
ग्रेच्युटी में अंशदान		133.56
52.00		



नोट 26 — वित्त लागत

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2018 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार	1.25	1.00
ईआईबी ऋण पर ब्याज	81.39	-
कुल	82.64	1.00

नोट 27 — मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2018 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए मूल्यहास और ऋणशोधन		
क) मूर्त परिसंपत्तियां	4,276.82	156.35
ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	154.02	147.13
कुल	4,430.84	303.48

नोट 28 - अन्य व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2018 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 समाप्त वर्ष के लिए
प्रिंटिंग और स्टेशनरी व्यय	115.98	63.70
टेलीफोन, इंटरनेट और संचार व्यय	88.36	55. <i>7</i> 5
पुस्तकें, आवधिक, समाचारपत्र और पत्रिकाओं पर व्यय	0.71	2.02
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3.79	2.07
विज्ञापन और प्रचार व्यय	123.18	114.04
कार्यालय संचालन और अनुरक्षण व्यय	95.08	56.52
डाक और कोरियर व्यय	0.81	1.86
विविध व्यय	50.93	2.73
यात्रा और वाहन व्यय 139.37		130.36
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	11.16	186.47
आतिथ्य और रिफ्रेशमेंट व्यय	74.10	88.52
आउटसोर्सिंग और जॉब वर्क व्यय	142.52	103.81
सांविधिक व्यय	0.05	0.88
सेमीनार, समारोह, सम्मेलन पर व्यय	233.55	146.39
कमीशन और ब्रोकरेज	0.14	1.59
लाईसेंस, विधिक और अन्य व्यय	9.11	6.20
प्रोफेशनल और अन्य सेवाएं	107.19	278.77
किराया, दरें और कर 39.41		43.63
उचित मूल्य समायोजन	25.29	_
विदेश मुद्रा उतार—चढ़ावों का प्रभाव	0.01	-

वार्षिक विवरण 2017-18

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उ.प्र. "आडिट भवन" टीसी—35-V-I, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010



Indian Audit & Accounts Department Office of the Accountant General (Economic & Revenue Sector Audit), U.P., "Audit Bhawan" TC-35-V-1,Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010

संख्या : ई.एस-1/कम्पनी लेखा/LMRC/2017-18/1062 दिनाकः 27 सितम्बर, 2018

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ — 226 010

महोदय.

एतत्सह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका—टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका—टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The Office of the Accountant General (Economic and Revenue Sector Audit), Uttar Pradesh, disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

सहपत्र– यथोपरि।

) (राज कमार)

भवदीय

प्रधान निदेशक



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) या 139(7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 23 जुलाई 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना प्रतीत होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेखनीय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी नजर में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।

क वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाः

तुलन पत्र

देयताए

1. अन्य वर्तमान देयताएः 19.51 करोड़ रुपये (नोट—20)

उत्तर रेलवे (एनआर) ने 28 फरवरी 2018 के अपने पत्र के माध्यम से 04 स्थानों पर रेलवे भूमि पार करने की अनुमित के लिए कंपनी से 34.30 करोड़ रुपये के क्रॉसिंग शुल्क की मांग की। उसमें से, कंपनी ने 2015—16 के दौरान एनआर के पास 33.06 करोड़ रुपये जमा किए। बकाया लंबित राशि 1.24 करोड़ रुपये है। चूंकि, कंपनी एनआर को इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और इसे प्रबंधन द्वारा रिकॉर्ड में भी स्वीकृति दी गई है, लेखा बिहयों में इसे आकिस्मिक देयता दर्शाना उचित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयता के साथ ही कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।

2. प्रावधानः 13.42 करोड़ रुपये (नोट-21)

इंड एएस 37 (पैरा 10) के अनुसार: "प्रावधान अनिश्चित समय या राशि की देयता है" जबकि "आकस्मिक देयता (क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व है और जिसका अस्तित्व भविष्य में पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घटित होने या न होने से पुष्ट हो; या (ख) चालू दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न है किंतु मान्य नहीं है क्योंकि (i) यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा; या (ii) दायित्व की राशि का पर्याप्त विश्वसनीयता से मापन नहीं किया जा सकता।

कंपनी लखनऊ में डालीगंज—बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे भूमि पर निर्माण गतिविधियां चला रही है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार नौ महीने तक रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग के साथ रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के लिए कंपनी को शुल्क का भुगतान करना है। कंपनी ने इस पर 8.95 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है और इसे संबंधित रेलवे प्राधिकरणों को अग्रेषित (नवंबर 2017) किया है। कंपनी ने इस राशि को अपनी लेखा बहियों में आक्रिमक देयता के तौर पर दर्शाया है।

चूंकि, कंपनी रेलवे बोर्ड की नीति और इस तथ्य के संदर्भ में रेलवे को इन शुल्कों के भुगतान के लिए बाध्य है कि कंपनी ने 2015—16 के दौरान रेलवे भूमि पार करने के एक अन्य मामले में इन शुल्कों का भुगतान किया है। इंड एएस 37 के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, इसे आकिस्मक देयता के तौर पर मानने की बजाय इसके लिए लेखा बिहयों में प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। यह प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप अल्पकालीन प्रावधान के साथ ही कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) प्रत्येक में 8.95 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।

3. उपरोक्त में ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि के तौर पर (मैसर्स एक्वाफ्रिस एसएलः 18.06 लाख रुपये, मैसर्स ऑटोलिफ्ट जीएमबीएचः 60.04 लाख रुपये, मैसर्स लुकास हाइड्रोलिक जीएमबीएचः 13.53 लाख रुपये, मैसर्स विंडहॉफः 17.82 लाख रुपये) रखे गए 1.09 करोड़ रुपये शामिल हैं। चूंकि, यह भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों से कटौती के प्रतिधारण की प्रकृति के हैं; इसलिए इसे 'प्रावधान' के तहत दर्शाने की बजाय 'अन्य वित्तीय देयताओं (नोट—19)' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।

4. अन्य चालू परिसंपत्तियां — 212.97 करोड़ रुपये

उपरोक्त में शामिल हैं (क) कंपनी द्वारा आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो के लिए व्यय किया गया 8.20 करोड़ रुपये, जो एलएमआरसी द्वारा इन संस्थाओं से उनके निगमन पर वसूल किया जाएगा और (बी) राज्य सरकार से प्राप्य राज्य करों के लिए 11.54 करोड़ रुपये।

चूंकि, इनमें से दोनों राशियां नकद या किसी अन्य इकाई से दूसरी वित्तीय परिसंपत्ति में पुनर्प्राप्त करने योग्य हैं, इसलिए, इसे अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट—11) के बजाय अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट—9) के तहत दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि इंड एएस 32 द्वारा अपेक्षित है।

इसके परिणामस्वरूप 19.74 करोड़ रुपये प्रत्येक (8.20 करोड़+11.54 करोड़) का अन्य चालू परिसंपत्तियों में अधिक अंकन और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कम अंकन किया गया है।

(ख) नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

5. नकदी प्रवाह विवरण में, कंपनी ने 64.50 करोड़ रुपये 'वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह' में एफडीआर से प्राप्त ब्याज के तौर पर दर्शाए हैं, जिन्हें इंड एएस 7 द्वारा अपेक्षित 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के तहत दर्शाया

लखनऊ मेट्रो

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह में अधिक अंकन और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में इसी हद तक कम अंकन किया गया है।

(ग) अन्य टिप्पणियां

6. प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः (1) मूल— (2.54), (2) डाइल्यूटेड— (1.60)

लाभ और हानि विवरण में और क्र. सं. 10 ''इंड एएस 33 के संबंध में प्रति शेयर अर्जन के संबंध में प्रकटन'' के साथ पित नोट सं. 30 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां में प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन (2.54) और (1.60) बताया गया है। कंपनी ने इसकी ग़लत गणना की है। प्रति इक्विटी शेयर सही मूल और डाइल्यूटेड अर्जन क्रमशः (1.70) और (1.59) है।

इस प्रकार वित्तीय विवरणों में प्रति इक्विटी शेयर के मूल और डाइल्यूटेड अर्जन का गलत उल्लेख किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

> (राज कुमार) प्रधान निदेशक

स्थानः लखनऊ

दिनाकः 27 सितंबर, 2018

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत पत्र संख्या ई एस —1/कंपनी लेखा/एलएमआरसी/2017—18/1062 दिनांक 27—9—2018 के अनुसार सीएजी रिपोर्ट के संदर्भ में प्रबंधन के उत्तर

東.	सीएजी की टिप्पणियां	एलएमआरसी के उत्तर/अनुपालन	
सं. (क) वित्तीय स्थिति प्रतुलन पत्र देयताएं अन्य वर्तमान देयताएं अन्य वर्तमान देयताएं उत्तर रेलवे (एनआर) ने अपने पत्र के माध्यम से भूमि पार करने की अनुम् से 34.30 करोड़ रुपये के मांग की। उसमें से, कंप दौरान एनआर के पास जमा किए। बकाया लंकि रुपये है। चूंकि, कंपनी एका भुगतान करने के लि प्रबंधन द्वारा रिकॉर्ड में इसे दर्शाना उचित नहीं है। इचालू देयता के साथ स्तीडब्ल्यूआईपी) प्रत्येक	(क) वित्तीय स्थित पर टिप्पणियाः तुलन पत्र देयताएं अन्य वर्तमान देयताएं: 19.51 करोड़ रुपये (नोट—20) उत्तर रेलवे (एनआर) ने 28 फरवरी 2018 के अपने पत्र के माध्यम से 04 स्थानों पर रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के लिए कंपनी से 34.30 करोड़ रुपये के क्रॉसिंग शुल्क की मांग की। उसमें से, कंपनी ने 2015—16 के दौरान एनआर के पास 33.06 करोड़ रुपये जमा किए। बकाया लंबित राशि 1.24 करोड़ रुपये है। चूंकि, कंपनी एनआर को इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और इसे प्रबंधन द्वारा रिकॉर्ड में भी स्वीकृति दी गई है, लेखा बहियों में इसे आकरिमक देयता दर्शाना उचित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयता के साथ ही कार्यशील पूंजी	इंड एएस 37 में उल्लेख के अनुसार आकस्मिक देयताओं की पिश्माषा का संदर्भ लिया जाए। आकस्मिक देयताः (क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व भविष्य में पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घटित होने या न होने से पुष्ट हो; या (ख) चालू दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न किंतु मान्य नहीं है क्योंकिः (i) यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बिहर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा; या (ii) दायित्व की राशि का पर्याप्त विश्वसनीयता से मापन नहीं किया जा सकता। एलएमआरसी का विचार है कि इन दायित्वों को आकस्मिक देयताओं की परिभाषा के तहत अधिकता से शामिल किया गया है क्योंकि यह तत्व आकस्मिक प्रकृति दर्शाता है, इस चरण में तथ्य निश्चित नहीं है। इसी को दर्शाया गया है।	
	चालू देयता के साथ ही कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



2. | प्रावधानः १३.४२ करोड् रुपये (नोट–२१)

इंड एएस 37 (पैरा 10) के अनुसारः "प्रावधान अनिश्चित समय या राशि की देयता है"

जबिक "आकिस्मिक देयता (क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व है और जिसका अस्तित्व भविष्य में पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घटित होने या न होने से पुष्ट हो; या (ख) चालू दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न है किंतु मान्य नहीं है क्योंकि ;पद्ध यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा; या ;पपद्ध दायित्व की राशि का पर्याप्त विश्वसनीयता से मापन नहीं किया जा सकता।

कंपनी लखनऊ में डालीगंज—बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे भूमि पर निर्माण गतिविधियां चला रही है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार नौ महीने तक रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग के साथ रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के लिए कंपनी को शुल्क का भुगतान करना है। कंपनी ने इस पर 8.95 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है और इसे संबंधित रेलवे प्राधिकरणों को अग्रेषित (नवंबर 2017) किया है। कंपनी ने इस राशि को अपनी लेखा बहियों में आकरिमक देयता के तौर पर दर्शाया है। स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, उत्तर रेलवे द्वारा मांगी गई 1.24 करोड़ रुपये की राशि, अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 31.03. 2018 को आकिस्मक देयता के तौर पर दर्शाई गई है न कि चालू देयता के तौर पर। मामले को अंतिम रूप दिए जाने पर उस देयता की पुष्टि कर दी जाएगी।

उत्तर रेलवे द्वारा आकस्मिक देयता के तौर पर मांगे गए क्रॉसिंग प्रभारों को वर्गीकृत करने के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे ध्यान देने योग्य हैं:

उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा एलएमआरसी को अनुमित देने का मामला उनके अधीन है। यह समझा जाता है कि मामला मंडलीय रेल प्रबंधक, उत्तर पूर्व रेलवे के कार्यालय से प्रधान मुख्य अभियंता, उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय में भेजा गया है। किंतु उत्तर पूर्व रेलवे को भुगतान करने की कोई स्वीकृति/सलाह एलएमआरसी को अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

एलएमआरसी द्वारा दिनांक 07—11—2017 को उत्तर पूर्व रेलवे की 1128.54 वर्ग मी. भूमि पार करने की अनुमति देने और उत्तर पूर्व रेलवे की 287.35 वर्ग मी. भूमि के अस्थायी उपयोग की स्वीकृति देने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया।

मेट्रो रेल परियोजना आम जनता हेतु जन परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक समयबद्ध परियोजना होने के कारण, प्रस्तावित साइट पर कार्य शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापन सं. के—14011/50/2014— एमआरटीएस—III दिनांक 27 जनवरी 2015 के संदर्भ में शुरू किया गया है। भूमि के उपयोग से संबंधित प्रासंगिक पैरा

3.1 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

—"कैबिनेट द्वारा मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन हो जाने पर, सभी मंत्रालय / विभाग संबंधित मंत्रालयों के बीच परामर्श में भूमि का वास्तविक हस्तांतरण लंबित होने पर भी प्रासंगिक भूमि (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो रेल कंपनी द्वारा मांगी गई) पर तुरंत प्रचालन अधिकार प्रदान करें, ताकि परियोजना का कार्य प्रभावित न हो और लोगों को असुविधा न हो।"

उत्तर पूर्व रेलवे को एलएमआरसी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अभी तक उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा नहीं बताई गई है। उत्तर पूर्व रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमित के लिए उत्तर पूर्व रेलवे को देय संभावित शुल्क का अनुमान एलएमआरसी कार्यालय में लगाया गया और 31.03.2018 को 8.95 करोड़ रुपये की राशि एलएमआरसी की बहियों में आकरिमक देयता के तौर पर दर्शाई गई थी। चूंकि, कंपनी रेलवे बोर्ड की नीति और इस तथ्य के संदर्भ में रेलवे को इन शुल्कों के भुगतान के लिए बाध्य है कि कंपनी ने 2015—16 के दौरान रेलवे भूमि पार करने के एक अन्य मामले में इन शुल्कों का भुगतान किया है। इंड एएस 37 के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, इसे आकिस्मिक देयता के तौर पर मानने की बजाय इसके लिए लेखा बिहयों में प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। यह प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप अल्पकालीन प्रावधान के साथ ही कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) प्रत्येक में 8.95 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस खाते पर देयता की अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण अभी पुष्टि की जानी है। चूंकि मांग की अब तक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि यह तुलन पत्र में प्रावधान के लिए अर्ह नहीं है और इसलिए आकस्मिक देयता में शामिल की गई है।

3. उपरोक्त में ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि के तौर पर (मैसर्स एक्वाफ्रिस एसएलः 18.06 लाख रुपये, मैसर्स ऑटोलिफ्ट जीएमबीएचः 60.04 लाख रुपये, मैसर्स लुकास हाइड्रोलिक जीएमबीएचः 13.53 लाख रुपये, मैसर्स विंडहॉफः 17.82 लाख रुपये) रखे गए 1.09 करोड़ रुपये शामिल हैं। चूंकि, यह भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों से कटौती के प्रतिधारण की प्रकृति के हैं; इसलिए इसे 'प्रावधान' के तहत दर्शाने की बजाय 'अन्य वित्तीय देयताओं (नोट—19)' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।

अनजाने में इसे अन्य वित्तीय देयता की बजाय प्रावधानों में शामिल किया गया है, हालांकि दोनों शीर्ष चालू देयता के भाग हैं। यह आश्वासन दिया जाता है कि चालू वर्ष में इसका अनुपालन किया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप 1.09 करोड़ रुपये का प्रावधानों में अधिक अंकन और अन्य वित्तीय देयताओं (नोट—19) में कम अंकन किया गया है।

4. अन्य चालू परिसंपत्तियां — 212.97 करोड रुपये

उपरोक्त में शामिल हैं (क) कंपनी द्वारा आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो के लिए व्यय किया गया 8.20 करोड़ रुपये, जो एलएमआरसी द्वारा इन संस्थाओं अनजाने में इसे अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत शामिल किया गया है, हालांकि दोनों शीर्ष चालू परिसंपत्तियों के भाग हैं। यह आश्वासन दिया जाता है कि चालू वर्ष में इसका अनुपालन किया जाएगा।



से उनके निगमन पर वसूल किया जाएगा और (बी) राज्य सरकार से प्राप्य राज्य करों के लिए 11.54 करोड़ रुपये।

चूंकि, इनमें से दोनों राशियां नकद या किसी अन्य इकाई से दूसरी वित्तीय परिसंपत्ति में पुनर्प्राप्त करने योग्य हैं, इसलिए, इसे अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट—11) के बजाय अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट—9) के तहत दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि इंड एएस 32 द्वारा अपेक्षित है।

इसके परिणामस्वरूप 8.20 करोड़ रुपये (अन्य अग्रिम) और 11.54 करोड़ रुपये (राज्य करों के लिए राज्य सरकार से प्राप्य) प्रत्येक का अन्य चालू परिसंपत्तियों में अधिक अंकन और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कम अंकन किया गया है।

5. नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

नकदी प्रवाह विवरण में, कंपनी ने 64.50 करोड़ रुपये 'वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह' में एफडीआर से प्राप्त ब्याज के तौर पर दर्शाए हैं, जिन्हें इंड एएस 7 द्वारा अपेक्षित 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह में अधिक अंकन और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में इसी हद तक कम अंकन किया

कंपनी द्वारा इसे नोट किया गया है और यह सराहनीय है कि पारदर्शिता और उपयोगकर्ता को बैंक जमाओं से कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज पर निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय विवरण के प्रासंगिक स्थानों पर एफडीआर पर ब्याज का उचित रूप से प्रकटन किया गया है, और हम आश्वासन देते हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में उपयुक्त वर्गीकरण किया जाएगा।


6. (ग) अन्य टिप्पणियां

प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः (1) मूल— (2. 54), (2) डाइल्यूटेड— (1.60)

लाभ और हानि विवरण में और क्र. सं. 10 "इंड एएस 33 के संबंध में प्रति शेयर अर्जन के संबंध में प्रकटन" के साथ पठित नोट सं. 30 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां में प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन (2.54) और (1.60) बताया गया है। कंपनी ने


यह शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए फॉर्मूला फीड करने में टाइप की त्रुटि है, जिसमें अंतिम प्रति में 63900000 की बजाय अनजाने में 6390000 टाइप हो गया था।

यह आश्वासन दिया जाता है कि चालू वर्ष में इसका अनुपालन किया जाएगा।





लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड







लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

निकट डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ—226 010

फोन: 0522-2304014, 2304015; फैक्स: 0522-2304012

वेबसाइट : www.lmrcl.com